लोक-सभा
वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

1st Lok Sabha
(Session IX)

(खण्ड २ में अंक २१ से अंक ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

चार आने (देश में) एक शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

(भाग १— प्रश्नोत्तर)

(खंड २—अंक २१ से ४० —२३ मार्च से १९ अप्रैल, १९५६)

अंक २१—बुधवार, २३ मार्च, १९५५

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३६७ से १३७३, १३७४, १३७७, १३७९ से १३८१, १३८६, १३८८, से १३९०, १३९२, १३९३, १३९६, १३९७, १३९९, १४००, १४०३, १४०४, १४०६, १४०७, १४०९, १४१३ से १४१५, १४१७, १४१८ और १४२१ . १५८७—१६३०

प्रश्नों के लिखित उत्तर:—

तारांकित प्रश्न संख्या १३७४, १३७६, १३७८, १३८२ से १३८५, १३८७, १३९१, १३९४, १३९८, १४०१, १४०२, १४०५, १४०८, १४१० से १४१२, १४१६, १४१९ और १४२० १६३०—१६४५

अतारांकित प्रश्न संख्या ४१६ से ४२३ . . १६४५—१६५०

अंक २२— गुरुवार, २४ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १४२२—१४३५, १४३८, १४४१, १४४२, १४४४, १४४६, १४४८, १४५०, १४५३, १४६४, १४६७, १४६८, १४७०, १४७१ . . . . १६५१—१६९९

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १४३६, १४३७, १४३९, १४४०, १४४३, १४४५, १४४७, १४४९, १४५१, १४५२, १३६४, १४६६, १४७२–१४७७ १६९९—१७१०

अतारांकित प्रश्न संख्या ४२४ से ४२७ . . . १७१०—१७१४

अंक २३ — शुक्रवार, २५ मार्च १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४७८, १४७९, १४८०, १४८१, १४८३ से १४८५, १४८७, १४८८, १४९० से १४९२, १४९४, १४९६, १४९८, १४९९, १५०१, १५०४, १५०७, १५०८, १५१० से १५१३, १५१५ से १५१७, १५२१ से १५२३, १५२५, १५२७, १५३०, १५३१, १५३३ और १५३५ . . . १७१५—१७६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४८२, १४८६, १४८६, १४६३, १४६५, १४६७, १५००, १५०२, १५०३, १५०५, १५०६, १५०६, १५१४, १५१८ से १५२०, १५२४, १५२६, १५२८, १५२६, १५३४ और १५३६ से १५३८ . . . १७६१—१७६३

अतारांकित प्रश्न संख्या ४२८ से ४६० १७७४—१८०२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ १८०२

अंक २४—सोमवार, २८ मार्च, १६५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५३६ से १५४१, १५४३ से १५५०, १५५२, १५५४, १५५५, १५५७ से १५६०, १५६२, १५६४, १५६८, १५६६, १५७१से १५७७, १५७६, १५८०, १५८२, १५८५ से १५८८ . १८०३—१८५०

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १५४२, १५५१, १५५३, १५५६, १५६३, १५६५ से १५६७, १५७०, १५८१, १५८३, १५८४ . . . १८५०—१८५७

अतारांकित प्रश्न संख्या ४६१ से ४६८ . . १८५७—१८६२

अंक २५— मंगलवार, २६ मार्च, १६५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १५८६, १५६२, १५६४ से १६००, १६०२, १६०७, १६११ से १६१३, १६१५, १६१७, १६१६ से १६२१, १६२४ से १६२८, १६३० से १६३५, १६३८, १६४०, १६४२ से १६४८ और १६५० . . १८६३—१६१४

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १५६३, १६०१, १६०३ से १६०६, १६०८, १६०६, १६१४, १६१८, १६२३, १६२६, १६३६, १६३७ और १६३६ . . . . . १६१५—१६२३

तारांकित प्रश्न संख्या ४६६ से ४८४ १६२३—१६३४

अंक २६—बुधवार, ३० मार्च, १६५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६५१ से १६५६, १६६४ से १६६६, १६६८, १६७० से १६७४, १६७७, १६७८, १६८०, १६८२, १६८६, १६८६ से १६६५ और १६६७ से १७०५ . . १६३५—१६८१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६६० से १६६३, १६६७, १६६६, १६७५, १६७६, १६७६, १६८१, १६८३ से १६८५, १६८७, १६८८, १६६६, १७०६ से १७१० और १७१२ से १७२२ . . १६८१—२०००

अतारांकित प्रश्न संख्या ४८५ से ४६० और ४६२ से ५१६ २०००—२०२२

अंक २७—गुरूवार, ३१ मार्च १९५५

प्रश्नो के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७२३ से १७२७, १७२९ से १७३४, १७३७, १७३८, १७४२, १७४४, १७४५, १७४७ से १७५२, १७५४, १७५५, १७७०, १७५७ और १७५८ से १७६६ . . २०२३--२०७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १७२८, १७३६, १७३९ से १७४१, १७४३, १७४६, १७५३, १७५६, १७६७ से १९६९ १७७१, और १७७२ . . . . . २०७१--२०७८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५२० से ५२३, ५२५ और ५२६ . २०७८--२०८२

अंक २८— शनिवार, २ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १७७४, १७७८, १७८०, १७८६, १७८९, १७९०, १७९२—१७९४, १७९६, १७९७, १७९९—१८०२, १८०४, १८०६, १८०८, १८०९, १८११, १८१३, १८१४, १८१७, १८१९, १८२१ १८२२—१८२४, १८२६—१८२८, . २०८३--२१३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १७७३, १७७९, १७८७, १७८८, १७९५, १७९८, १८०३, १८१०, १८१२, १८१६, १८१८, १८२०, १८२५. १८२९ . . . . . २१३३—२१४१

अतारांकित प्रश्न संख्या ५२७—५३७. . . २१४१—२१४

अंक २९-- सोमवार, ४ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १८३० से १८३२, १८३६, १८३८, १८४० से १८४४, १८४७ से १८४९, १८५१ से १८५३, १८५५, १८५७, १८५९, १८६०, १८६२ से १८६४, १८६६ से १८७०, १८७२, १८७८, १८७९, १८८२ से १८८४, १८८७ से १८८९, १८९१ और १८९२ . . . . . २१४९--२१९९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ . . . . . २२००—२२०४

तारांकित प्रश्न संख्या १८८२ के उत्तर में शद्धि . . . २२०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १८३३, १८३४, १८३७, १८३९, १८४५, १८४६, १८५०, १८५४, १८५६, १८५८, १८६१, १८६५, १८०१, १८७३ से १८७७, १८८०, १८८१, १८८५, १८८६, १८९० और १८९३ से १८९९ . . . . २२०५—२२२

अतारांकित प्रश्न संख्या ५३८ से ५७५ . . . २२२३—२२५

अंक ३०— मंगलवार, ५ अप्रैल, १९५५

मौखिक उत्तर के प्रश्न —

तारांकित प्रश्न संख्या १९००—१९०४, १९०६, १९०७, १९०९, १९१०, १९१३, १९१६, १९१८, १९२०, १९२१, १९२४—१९२६, १९२८, १९२९, १९३१, १९३५—१९३९, १९४१, १९४२, १९४४—१९५०, १९५३ . . . २२५१—९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १९०५, १९०८, १९११, १९१२, १९१७, १९१९, १९२२, १९२३, १९३०, १९३२, १९३३, १९४०, १९४३, १९५१, १९५२, १९५४–१९५९ . . . २२९७—२३०८

अतारांकित प्रश्न सख्या ५७६, ५७७, ५७९—५९४, ५९७—६०२ . २३०८—२३२४

अंक ३१— बुधवार, ६ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १९६१, १९६५, १९६६, १९६८ से १९७२, १९७४ से १९७७, १९८० से १९८२, १९८४ से १९८७, १९८९ से १९९२, १९९४, १९९५, १९९७, १९९८, २००० से २००६ और २००८ से २०१० . . . . २३२५—२३७०

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १९६०, १९६२ से १९६४, १९६७, १९७३ १९७८, १९७९, १९९३, १९९६ और १९९९ . . . २३७०–२३७७

अतारांकित प्रश्न संख्या ६०३ से ६१९ . . . . २३७७–२३७८

अंक ३२— बृहस्पतिवार, ७ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०१३, २०१५–२०१७, २०१९, २०२२, २०२३, २०२५, २०२६, २०२८, २०३०, २०३३–२०३५, २०३७, २०३९—२०४२, २०४४, २०४५, २०४७–२०५३, २०५६, २०५९–२०६५, २०६७ . . २३८९—२४३५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०११, २०१२, २०१८, २०२०, २०२१, २०२४, २०२७, २०२९, २०३१, २०३२, २०३६, २०३८, २०४३, २०५४, २०५५, २०५७, २०५८, २०६६, २०६८—२०७१. . २४३५—२४४५

अतारांकित प्रश्न संख्या ६२०—६५५ . . . . २४४६—२४७०

अंक ३३—शनिवार, ९ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०७२, २०७४, २०७६, २०७७, २०७९ से २०८१, २०८५, २०९१, २०९२, २०९५, २०९९, २१००, २१०२ से २१०४, २१०६, २१०७, २१०९, १७३५, २०८२, २०९३. २०९४, २०९६, २०९७ और २०९०. . . . . २४७१—२५०५

प्रश्नों के लिखित उत्तेर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०७५, २०७८, २०८३, २०८४, २०८६ से २०८९, २०९८, २१०५, २१०८ और २११०. . . २५०५—२५१२

अतारांकित प्रश्न संख्या ६५६ से ६८२. . . . २५१२—२५३०

अंक ३४—सोमवार, ११ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१११ से २११४, २११८, २१२०, २१२३, २१२५, २१२९, २१३०, २१३२, २१३३ से २१३५, २१३८, २१३९, २१३९—क, २१४०, २१४१, २१४३ से २१५९ . . २५३१—२५७९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९८३, १९८८, २००७, २११५ से २११७, २११९, २१२१, २१२२, २१२४, २१२६, २१२८, २१३१, २१३६, २१३७, २१४२. . . . . २५७९—२५८९

अतारांकित प्रश्न संख्या ६८५ से ७१६. . . . २५८९—२६१०

अंक ३५—मंगलवार, १२ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१६० से २१६३, २१६५, २१६६, २१६८, २१६९, २१७१, २१७४, २१८० से २१८४, २१८६, २१८७, २१८९, २१९२ से २१९४, २१९६, २१९८, २२०० से २२०२, २१७६, २१७८, २१६७ और २१९०. . . २६११—५०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७— . . . २६५०—५२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१६४, २१७०, २१७२, २१७३, २१७५, २१७७, २१७९, २१८५, २१८८, २१९५, २१९७, २१९९ और २२०३ . . . . . २६५३—५९

अतारांकित प्रश्न संख्या ७१७ से ७७८ . . . . २६५९—९६

अंक ३६—गुरुवार, १४ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२०४ से २२०८, २२१० से २२१५, २२१९, २२२१, २२२३ से २२२९ और २२३४ से २२४३ २६९७—२७३५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२०९, २२१६ से २२१८, २२२०, २२२२, २२३० और २२३२ . . २७३५—४०

अतारांकित प्रश्न संख्या ७७९ से ८०७ . . . . २७४०—५८

अंक ३७—शुक्रवार, १५ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२४४, २२४८, २२५१, २२५२, २२५६, २२५९, २२७६, २२६१, २२६२, २२६५, २२६६, २२६८, २२७०, २२७१, २२७२ से २२७४, २२७७ से २२७९, २२८१ से २२८४, २२५५, २२५८, २२६३, २२६९, २२५३ और २२८० . . २७५९—९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२४६, २२४७, २२४९, २२५०, २२५४, २२६०, २२६४, २२६७ और २२७५ . . २७९८—२८०२

अतारांकित प्रश्न संख्या ८०८ से ८१६ और ८१८ से ८२९ . . २८०२—१४

अंक ३८— शनिवार, १६ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२८६ से २२८८, २२९२, २२९४, २२९६ से २२९८, २३००, २३०२ से २३०४, २३०६, २३१०, २३१३ से २३१५, २३१७, २३१८, २३२१, २३२२ और २२९९ २८१५—४१

तारांकित प्रश्न संख्या २२९२ के उत्तर में शुद्धि २८४१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ २८४१—४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२८५, २२८९, २२९० से २२९३, २२९५, २३०१, २३०५, २३०७ से २३०९, २३११, २३१२, २३१६, २३१९, २३२० और २३२३ . २८४७—५४

अतारांकित प्रश्न संख्या ८३० से ८७० . . . . २८५४—७८

अंक ३९—सोमवार, १८ अप्रैल, १९५५

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण २८७९

प्रश्नों के मौत्तिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३२५, २३२७, २३२८, २३३० से २३३९, २३४१, २३४४ से २३४६, २३४९, २३५१, २३५३ से २३५५, २३५७ से २३५९, २३६२ और २३६४ . . .२८७९—२९११

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३२४, २३२६, २३२८, २३२९, २३४०, २३४२, २३४७, २३४८, २३५०, २३५२, २३५६, २३६०, २३६१ और २३६३. . . . . २९११—२९१७

अतारांकित प्रश्न संख्या ८७२ से ८८५ . . . . २९१७—२९२६

अंक ४०—मंगलवार, १९ अप्रैल, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३६५ से २३७०, २३७२ से २३७६, २३८० से २३८४, २३८६, २३८८, २३९०, २३९२, २३९३, २३९७ . २९२७—५७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३७१, २३७७ से २३७९, २३८५, २३९१, २३९४, २३९५, २३९८ . . . . . २९५७—६२

अतारांकित प्रश्न संख्या ८८६ से ९०१, ९०३ से ९०८ . २९६२—७२

खंड २ की अनुक्रमणिका . . . . . १—१८९

लोक सभा

सोमवार, २८ मार्च १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

भारत का रक्षित बैंक अधिनियम

*१५३९. **श्री एस० एन० दास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत का रक्षित बैंक अधिनियम को इस प्रकार संशोधित करने के प्रश्न पर, जिस से कि सभी राज्य सरकारों के लिये रक्षित बैंक को ही एकमात्र बैंकर नियुक्त करना अनिवार्य हो जाये, विचार कर लिया है ; तथा

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) और (ख). यह अखिल भारतीय ग्रामीण उधार सर्वेक्षण की निदेशन समिति की सिफारिशों में एक है, और यह अब भी सरकार के विचाराधीन है ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं ऐसे राज्यों के नाम जान सकता हूं जिन्होंने रक्षित बैंक को अपना एकमात्र बैंकर नियुक्त नहीं किया है ?

श्री ए० सी० गुह : यह प्रश्न केवल भाग 'ख' राज्यों से सम्बन्धित है । भाग 'क' एवं 'ग' राज्यों को रक्षित बैंक को ही अपना एकमात्र बैंकर स्वीकार करना पड़ता है । राजस्थान तथा पैप्सू को छोड़ कर सभी भाग 'ख' राज्य भी रक्षित बैंक का, अपने बैंकर के रूप में उपयोग कर रहे हैं ।

श्री एस० एन० दास : रक्षित बैंक के पिछले प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि कुछ अतिविशिष्ट प्रश्नों का अभी निर्णय करना बाकी है, जिस से कि राजस्थान तथा पैप्सू की सरकारें रक्षित बैंक को ही अपना एकमात्र बैंकर नियुक्त कर सकें । क्या मैं जान सकता हूं कि ये अति विशिष्ट प्रश्न क्या हैं ?

श्री ए० सी० गुह : मुझे इस प्रश्न के लिये पूर्व सूचना की आवश्यकता होगी । मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दे सकता हूं कि भारत के स्टेट बैंक के सम्बन्ध में इस मामले का शीघ्र ही निर्णय किया जायेगा ।

अफजलगढ़ में भूतपूर्व सैनिकों की बस्ती

*१५४०. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **रक्षा** मंत्री ११ मई, १९५४ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या २४०२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अफजलगढ़ की भूतपूर्व सैनिकों की बस्ती में कितनी और आगे प्रगति हुई है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : मई १९५४ से अब तक हस्त-श्रम द्वारा १७५० एकड़ जंगल साफ किया गया, ११८४ एकड़ खेती में लाया गया, २० मकान

बसने वालों के लिये बनाये गये, १२४ जोड़ी बैल दिये गये और १२७ और भूतपूर्व सैनिक इस बस्ती में बसाये गये। अफजलगढ़-कालागढ़ सड़क के धरातल का काम पूरा हो चुका है और पक्का करने का काम इस साल में किया जायेगा। एक ट्यूब वैल खोदा गया है और दूसरे पर काम हो रहा है।

हाल में ही उत्तर प्रदेश सरकार नें बस्ती के १०,००० एकड़ और बस्ती के पास की १५,००० एकड़ जमीन की सिंचाई करने के लिये रामगंगा नदी से एक नहर बनाने की मंजूरी की है। नपाई पूरी हो चुकी है और खोदाई का काम जल्द ही शुरू होगा।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सत्य है कि कुछ महीनों पहले माननीय उपमंत्री महोदय ने स्वयं जा करके इस कालौनी का निरीक्षण किया था और उस समय वहां के रहने वालों को उन्होंने कुछ आश्वासन दिये थे ? मैं जानना चाहता हूं कि वह आश्वासन किस हद तक पूरे किये जा चुके हैं ?

सरदार मजीठिया : कोई डेढ़ साल हुआ मैं वहां गया था और मैं ने सारी बस्ती को घूम कर देखा था। एक गांव, कोला बाग में पानी इस कैनाल के द्वारा नहीं जा सकता क्योंकि वह ऊंचाई पर है। इसलिये वहां के रहने वालों के लिये मैं ने चार एकड़ दूसरों से ज्यादा जमीन दी ताकि वह अपना काम कर सकें। यह आरजी तौर पर दी गयी थी जब तक कि ट्यूब वैल्स वहां न लग सकें। अगर यह देखा गया कि ट्यूब वैल्स नहीं लग सकते तो फिर यह चार एकड़ पक्के तौर पर उन को दे दी जायगी।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सत्य है कि जो एक हजार परिवार यहां बसाये जाने वाले हैं उन में से अभी तक करीब दो सौ परिवार ही बसाये जा सके हैं ? क्या य प्रयत्न किया जा रहा है कि एक या दो वर्ष के अन्दर ही वह योजना पूरी कर दी जाय और बाकी ८०० परिवार यहां बसाये जा सकें ?

सरदार मजीठिया : इतनी जल्दी होना तो मुश्किल है क्योंकि जंगल को साफ करने का काम बड़ा मुश्किल है। उस में देरी लगती है। जैसे जैसे जमीन खेती में लायी जाती है वैसे वैसे उस पर आदमी बसाये जाते हैं।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड

*१५४१. **श्री झूलन सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने ऐसे व्यक्तियों की सहायता के लिये भी कुछ राशि व्यय की है, जो यद्यपि शारीरिक रूप से स्वस्थ्य हैं किन्तु फिर भी मोतियाबिन्द (कैटरैक्ट), ग्लाई-कोमा (पलक उलट जाने का रोग) ट्राई कि एसिस आदि उपचार योग्य आंख के रोगों के कारण बुरी तरह असमर्थ हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : जानकारी एकत्र की जा रही है तथा यथा सम्भव शीघ्रता से सभा-पटल पर रखी जायेगी। अपने प्रारम्भ से केन्द्रीय समाज बोर्ड अंधों की ४२ संस्थाओं एवं संगठनों को १,७२,००० रुपये का अनुदान दे चुका है। उन ४२ संस्थाओं में वे १५ संस्थायें भी सम्मिलित हैं जिन के कार्य का एक अंग नेत्र-रोगों को चिकित्सा करना है ?

श्री झूलन सिंह : क्या दिल्ली के विभन्न अंध सहायता अस्पतालों एवं शिविरों को भी कोई अनुदान दिया गया है ?

डा० एम० एम० दास : मैं माननीय सदस्य से मूल उत्तर का निर्देश करूंगा—अर्थात् जानकारी एकत्र की जा रही है।

श्री गिडवानी : क्या प्रार्थना पत्र सीधे ही संस्थाओं से प्राप्त होते हैं, अथवा राज्य सरकारों के द्वारा आते हैं ?

डा० एम० एम० दास : वे सीधे संस्थाओं से आते हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : राज्य बोर्डों का क्या कार्य है तथा वे किस प्रकार बनाये जाते हैं ?

डा० एम० एम० दास : राज्य बोर्ड मंत्रणादाता बोर्ड होते हैं । वे केन्द्रीय बोर्ड को सलाह देते हैं । मैं कई बार उन के गठन, आदि के सम्बन्ध में बता चुका हूं । इन बोर्डों का सभापति राज्य सरकारों के मुख्य मंत्री के परामर्श से चुना जाता है ।

श्री बी० के० दास : क्या शारीरिक रूप से असमर्थ लोगों की संख्या का अनुमान लगाने के लिये योजना के अनुसार किसी चुने हुए क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया है ?

डा० एम० एम० दास : जहां तक मुझे ज्ञात है, कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

श्री एस० एन० दास : क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों को विभिन्न राज्य सरकारों का मत जानने के लिये उनके यहां प्रेषित किया जाता है और तदुपरांत निर्णय किया जाता है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : नहीं । डायरेक्ट दरख्वास्तें बोर्ड को मिलती हैं। स्टेटों में जो एडवायज़री बोर्ड हैं वे अपने अपने हल्कों के बारे में अपनी सिफारिशें भेजते हैं ।

अन्डमान द्वीप समूह का विकास

***१५४३. श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री २३ अप्रैल, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २००८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्डमान तथा निकोबार द्वीपों के विकास के लिये सरकार द्वारा क्या अग्रेतर कार्यवाही की गई है ; तथा

(ख) १९५४ के दौरान विकास योजनाओं में कुल कितना व्यय किया गया है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : **(क)** और (ख). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये** परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या १]

श्री कृष्णाचार्य जोशी : विवरण में यह बताया गया है कि डाक्टरी सहायता तथा शिक्षा सुविधाओं की व्यवस्था की गई है । वहां कितने स्कूल तथा अस्पताल चल रहे हैं ?

श्री दातार : मेरे पास निकोबार द्वीप के अतिरिक्त और किसी जगह की विस्तृत जानकारी नहीं है। वहां ११ पाठशालायें हैं जिन में विद्यार्थियों की कुल संख्या ६५७ है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या मैं अन्डमान तथा निकोबार की कुल जनसंख्या जान सकता हूं ?

श्री दातार : १९५१ की जनगणना के अनुसार अन्डमान की कुल जनसंख्या १९,००० से कुछ अधिक तथा निकोबार की लगभग १२,००० है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या अन्डमान के विकास के लिये वर्ष १९५३–५४ में बजट में रखी गई राशि व्यपगत हो गई है ?

श्री दातार : जी नहीं, उक्त राशि व्यपगत नहीं हुई । वास्तव में इस प्रयोजन के लिये इस से अधिक राशि रखी गई है ?

बिहार में सूखे की स्थिति

*१५४४. **श्री विभूति मिश्र** : क्या वित्त मंत्री ७ दिसम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८०८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से बिहार की सरकार ने सूखे से प्रभावित क्षेत्र के लोगों के लिये आवश्यक वित्तीय सहायता की राशि से सरकार को अवगत कराया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि मांगी गई है ; और

(ग) इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) जी हां ।

(ख) बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत व्यय के अन्तिम प्राक्कलन, बाढ़ तथा सूखे के व्यय को पृथक् पृथक् रूप में नहीं दिखाते हैं । राज्य सरकार ने दोनों में ४५८·७४ लाख रुपये का अनुदान तथा ५४० लाख पय ऋण का प्राक्कलन दिया है ।

(ग) भारत सरकार ने २९३ लाख रुपये का अनुदान इस आधार पर मंजूर किया है कि २ करोड़ तक के उपदान के व्यय में द्र आधा तथा उस से अधिक के व्यय में केन्द्र तीन चौथाई व्यय वहन करेगा । जहां तक ऋण का सम्बन्ध है बिहार सरकार के पास पर्याप्त रक्षित निधि तथा विनियोजन हैं । उन्हें पहिले उन का उपयोग करने की सलाह दी गई है । भारत सर ार ने राज्य सरकारों को, आवश्यकता पड़ने पर, उन के लिये प्रतिभूतियां खरीद कर सहायता देने का बचन दिया है ।

श्री विभूति मिश्र : क्या बिहार गवर्नमेंट ने लिखा है कि दक्षिण बिहार में कितने आदमी सूखे से पीड़ित हैं ?

श्री एम० सी० शाह : हमें जानकारी नहीं है । यह जानकारी बिहार सरकार से प्राप्त की जा सकती है ।

श्री विभूति मिश्र : क्या बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पास एक रिपोर्ट भेजी है कि दक्षिण बिहार में इतने आदमी सूखे से पीड़ित हैं जिन के लिये कि सहायता की याचना की है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या बिहार सरकार ने यह जानकारी केन्द्र को दी है ?

श्री एम० सी० शाह : उन्होंने हमें केवल यह जानकारी दी है कि वे कुछ निर्माण-कार्यों में इतना व्यय करना चाहते हैं, और फिर उन्होंने सारी राशि का प्राक्कलन बनाया। भारत सरकार की नीति के निर्णय के अनुसार हमने २९३ लाख का अनुदान दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : वह पीड़ित व्यक्तियों की संख्या जानते हैं ।

श्री एम० सी० शाह : वह मेरे पास नहीं है ।

श्री एस० एन० दास : क्या बिहार सरकार ने बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में सहायता-प्राप्त सरकारी अनाज की दुकानें खोलने के लिये केन्द्रीय सरकार की अनुमति प्राप्त की थी ?

श्री एम० सी० शाह : उन्होंने खाद्य तथा अन्य अत्यावश्यक पदार्थों के निःशुल्क वितरण के लिये अनुमति मांगी थी तथा इस प्रयोजन के लिये उन्होंने ३०१ लाख रुपये के व्यय का अनुमान लगाया ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या केन्द्रीय सरकार समय-समय पर यह जांच करेगी कि अनुदान एवं ऋण के रूप में दिये गये धन का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है ?

श्री एम० सी० शाह : हमने केवल अनुदान दिये हैं । जहां तक ऋणों का सम्बन्ध हैं, जब भी राज्य सरकारों की आय तथा साधन की स्थिति अच्छी होती है, और उनके पास संचित राशि भी होती है तो हम ऋण नहीं दिया करते । हमने बिहार सरकार को सलाह दी है कि यदि उनके पास विकास व्यय की कमी हो जाय तो हम उनकी सहायता करने को तैयार हैं, क्योंकि इसके हिसाब में कुछ धनराशियां स्थानान्तरित की जायेंगी । जहां तक अनुदान का सम्बन्ध है, इस सभी लेखे की परीक्षा होती है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या छोटा नागपुर के अन्य भागों के साथ साथ शाहाबाद जिले के भबुआ तथा ससाराम उप-विभागों को सहायता देने एवं भूमि का लगान माफ करने के प्रश्न पर भी सरकार ने विचार किया है, और क्या भारत सरकार को उसकी जानकारी भेजी गई है अथवा नहीं ?

श्री एम० सी० शाह : केन्द्रीय सरकार केवल अनुदान देती है । यदि कुछ कार्यों, जैसे सड़कों की मरम्मत होनी हो, जब वे स्थानीय आस्तियां नहीं बनाते बल्कि केवल नगण्य मूल्य की चीज होती हैं, तब हम पचास प्रतिशत उपदान के रूप में सहायता देते हैं । अतः हम राजस्व के परिहार से सम्बन्धित नहीं हैं । यह काम स्वयं बिहार सरकार करेगी ।

एच० टी०-२ प्रशिक्षक विमान

*१५४५. **श्री हेडा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९५४ में कुल कितने एच० टी०-२ प्रशिक्षक विमान बनाये गये ;

(ख) १९५५ में एतत्संबन्धी कार्यक्रम क्या है;

(ग) क्या सरकार इन विमानों के निर्यात करने का विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार के विमानों का मूल्य विदेशों में निर्मित विमानों की तुलना में कैसा बैठता है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :

(क) ४२ ।

(ख) ६० ।

(ग) कम्पनी निर्यात के बारे में विचार कर रही है ।

(घ) तुलना करना कठिन है क्योंकि प्रत्येक विमान का रूप एवं आकार तथा कार्य भिन्न होता है । आशा की जाती है कि इसी प्रकार के विमानों के मूल्य अपेक्षाकृत अधिक होंगे ।

श्री हेडा : एच० टी०-२ विमान का उत्पादन मूल्य क्या है ?

श्री सतीश चन्द्र : उत्पादन की लागत अन्तिम रूप से नहीं निकाली गई है । प्रारम्भ में विकास पर जो व्यय किया गया है उसे फैलाया जायेगा और वह अन्तिम रूप में उत्पादित विमानों की संख्या पर निर्भर करेगा । यदि ऐसा नहीं किया जाता तो विमानों की वर्तमान लागत भविष्य में बनने वाले विमानों से अधिक होगी ।

श्री हेडा : मुख्य प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में मंत्री जी ने कहा है कि वह निर्यात करने पर विचार कर रहे हैं । यदि वे निर्यात करने पर विचार कर रहे हैं—वे विकास लागत भी लगा सकते हैं—तो किस उत्पादन लागत के आधार पर निर्यात करना चाहते हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : एच० ए० एल० ने तीन सौ हवाई जहाजों के निर्माण की योजना बनाई है, जिसमें से आधे से अधिक का उपयोग अपनी आवश्यकताओं के लिये

होगा । भविष्य में बनने वाले विमान जिनका हम निर्यात करेंगे, विमान की लागत से सस्ते होंगे ।

श्री हेडा : अब मैं समझ गया ।

श्री जी० एस० सिंह : क्या एच० ए० एल० ने नये सिर्रस इंजिनों का आयात किया है, क्योंकि हमें युद्ध के आधिक्य से केवल १५० इंजिन उपलब्ध हुए थे ?

श्री सतीश चन्द्र : एच० ए० एल० के पास सम्पूर्ण निर्माण कार्यक्रम के लिये इंजिन हैं ।

केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड

***१५४६. ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, १९५५ में नई दिल्ली में हुई केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड की बाईसवीं बैठक में किस कार्यसूची पर विचार किया गया, तथा कौन से संकल्प पारित किये गये ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड की बाईसवीं बैठक की कार्यवाही को अभी अन्तिम रूप दिया जाना बाकी है और भारत सरकार ने अभी उस पर स्वीकृति नहीं दी है । इसलिये वह अभी लोक-सभा पटल पर नहीं रखी जा सकती । कार्यवाही को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद उन्हें कार्यसूची तथा ज्ञापकों, आदि सहित प्रकाशित किया जायेगा और यथापूर्व प्रकाशित प्रतियों को संसद् के पुस्तकालय में संसद्-सदस्यों के उपयोग के लिये रखा जायेगा ।

श्री डी० सी० शर्मा : संकल्पों के पारित किये जाने तथा उन पर की जाने वाली कार्यवाही को अन्तिम रूप देने के बीच कितना समय रहता है ?

डा० एम० एम० दास : केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड की यह बाईसवीं बैठक अभी गत जनवरी में हुई थी । कार्यवाही को सदस्यों में परिचालित कर दिया गया है और अभी तक उन्होंने उन की पुष्टि नहीं की है । मेरे विचार में माननीय सदस्य का प्रश्न इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है ।

श्री एस० एन० दास : इस बात का क्या आशय है कि कार्यसूची भी उसी समय दी जायेगी जब कि कार्यवाही सभा-पटल पर रखी जायेगी ? गत बैठक में किन किन विषयों पर चर्चा हुई थी ?

डा० एम० एम० दास : ऐसा हो सकता है कि आखिर में कार्यसूची में कुछ परिवर्तन करने पड़ें ।

दक्षिण के हिन्दू मंदिर

***१५४७. श्री रघुनाथ सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण भारत के प्राचीन हिन्दू मंदिरों की रक्षा एवं जीर्णोद्धार करने के लिये सरकार कोई योजना बनाने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या पुरातत्व विभाग उन मंदिरों को अपने निरीक्षण में ले रहा है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या प्राचीन मंदिरों के रिपैयर्स का इंतिजाम सरकार की ओर से हो रहा है, जैसे रामेश्वरम् आदि के मंदिर हैं, उन के जीर्णोद्धार के लिये सरकार क्या कर रही है ?

डा० एम० एम० दास : मैं माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं कि जो मंदिर राष्ट्रीय महत्व के कहकर घोषित किए गए हैं, उन मंदिरों के ऊपर केन्द्रीय सरकार का अख्तियार है, दूसरों के ऊपर नहीं है ।

श्री रघुनाथ सिंह : दक्षिण भारत में राष्ट्रीय महत्व के कौन कौन से मंदिर हैं, यह बतलाने की कृपा करें ?

डा० एम० एम० दास : हमारा जो ऐतिहासिक तथा प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्त्वीय स्थानों तथा अवशेषों का कानून है उस में एक तालिका दी गई है और उस तालिका में सब मंदिरों के नाम और ठिकाने हैं ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या मैं जान सकती हूं कि सरकार को यह पता है कि समुद्र के धीरे धीरे आगे आने से सेतु बंध रामेश्वर को किसी तरह का खतरा हो गया है या इस बात की सम्भावना है ....

अध्यक्ष महोदय : मेरी समझ में यह असंगत होगा जब तक उन्हें यह पता नहीं कि यह प्राचीन स्मारकों की सूची में सम्मिलित है ।

निर्वाचन याचिकायें

*१५४८. **चौधरी मुहम्मद शफी :** क्या **विधि** मंत्री सभा-पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में यह बताया गया हो कि :

(क) इस समय निर्वाचन अधिकरण के पास राज्य और केन्द्रीय विधान मंडलों के लिये निर्वाचन सम्बन्धी कितनी याचिकायें विचाराधीन पड़ी हैं ;

(ख) १९५२ से ले कर अब तक कितने ऐसे मामले हैं, जिन में उच्च न्यायालयों तथा, उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन अधिकरणों के निर्णयों के विरुद्ध निर्णय दिये ; और

(ग) कितने ऐसे मामले हैं, जिन में न्यायालयों ने निर्वाचन आयोग को यह निदेश दिया है कि वह न्यायाधिकरणों के निर्णयों को उस समय तक गजट में प्रकाशित न करवायें जब तक वे स्वयं उन मामलों की जांच न कर लें ?

विधि मंत्रालय में मंत्री (श्री पाटस्कर) : १ मार्च, १९५५ को जो स्थिति थी वह यह है :—

(क) राज्य विधान मंडलों के लिये निर्वाचनों के सम्बन्ध में ३३ ।

केन्द्रीय विधान मंडल के लिये निर्वाचनों के सम्बन्ध में ४ ।

(ख) १५ ।

(ग) १९ ।

पंडित डी० एन० तिवारी : एक याचिका को निबटाने में अधिक से अधिक कितना समय लगता है ?

श्री पाटस्कर : मेरे विचार में १९५१-५२ के निर्वाचनों से सम्बन्धित दो मामले विचाराधीन पड़े हैं; इसका अर्थ यह है कि एक याचिका के निबटाने में लगभग तीन साल लगते हैं ।

पंडित डी० एन० तिवारी : मैं जानना चाहता था कि अभी तक कितनी पेटीशंस ऐसी पड़ी हुई हैं जो १९५२ में दायर की गयी थीं और अभी तक उन पर फैसला नहीं हुआ है ?

श्री पाटस्कर : १९५१–५२ के सामान्य निर्वाचनों के सम्बन्ध में दो निर्वाचन याचिकायें विचाराधीन पड़ी हैं। उपचुनावों के सम्बन्ध में दो याचिकायें विचाराधीन पड़ी हैं, और १९५१-५२ में राज्य विधान

मंडलों के लिये निर्वाचनों के सम्बन्ध में पांच याचिकायें विचाराधीन पड़ी हैं ।

सांस्कृतिक सम्पर्क के लिये भारतीय परिषद्

*१५४९. **श्री इब्राहीम :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सांस्कृतिक सम्पर्कों के लिये भारतीय परिषद् किन किन देशों से नियमित रूप से सम्पर्क रखती है ;

(ख) इन सम्पर्कों के विकास के लिये १९५४ में कौन कौन से साधन अपनाये गये; और

(ग) पाकिस्तान, श्रीलंका, बर्मा, चीन के जनवादी गणराज्य तथा रूस जैसे पड़ौसी देशों से सांस्कृतिक सम्पर्क अधिक बढ़ाने के लिये उस साल क्या कोई विशेष प्रयत्न किया गया ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या २]**

युद्धास्त्रों का आयात

*१५५०. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत अब भी विदेशों से युद्धास्त्र मंगाता हैं ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : जी हां ।

श्रीमती ला पालचौधरी : क्या सब ही युद्धास्त्र, जो कि हम मंगाते हैं, नवीनतम प्रकार के हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : जहां तक सेना का सम्बन्ध है, बहुत थोड़े अस्त्र मंगाये जाते हैं । क्योंकि माननीय सदस्य ने, यह प्रश्न पूछा था कि क्या आयात जारी है, मुझे उस के उत्तर में 'हां' कहना पड़ा । किन्तु वस्तुतः १९४८ से युद्धास्त्रों के लिये मुश्किल से दो या तीन आदेश विदेशों को दिये गये हैं ।

श्रीमती इला पालचौधरी : हम जो आयात करते हैं, वह डालर देशों से करते हैं अथवा पौंड पावना देशों से ?

श्री सतीश चन्द्र : दोनों से ।

श्री के० के० बसु : ये युद्धास्त्र किन किन देशों से मंगाये जाते हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : अधिकांशतः, इंगलैंड से और कभी कभी अमरीका से ।

अन्डमान तथा निकोबार द्वीप-समूह

*१५५२. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह को भारत की भूमि से मिलाने की वांछनीयता पर विचार करने के लिये अभी हाल ही में मसूरी में होने वाले संयुक्त राष्ट्र प्रादेशिक मानचित्रण सम्मेलन ने जो संकल्प पारित किया था, क्या उस की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अमरीका और कनाडा की सरकारों से सहायता लेना चाहती है और यह पता लगाना चाहती है कि जैसा कि उस संकल्प में सुझाव दिया गया है, इलेक्ट्रानिक ढंगों से अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह का भारत में मिलाना संभव है या नहीं ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). इस संकल्प पर उस समय विचार किया जायेगा, जब कि हमें इस की सूचना दी जायेगी ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या उस सम्मेलन में भाग लेने वाले नीदरलैंड के प्रतिनिधि ने भारत के प्रतिनिधि से यह कहा था कि यदि भारत सरकार घनत्व मापक उपकरण को लेना चाहे, तो वह हमारे देश से ले सकती है, और क्या भारत के प्रतिनिधि ने यह बात सरकार को बता दी है ?

श्री कानूनगो : जी नहीं, हमें उस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं मिली है ।

मुद्रा अवमल्यन से हानि

*१५५४. **कुमारी एनी मैस्करीन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९४९ में भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन करने से १९५२, १९५३ और १९५४ में भारत के व्यापार संतुलन को कितनी हानि हुई ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : माननीय सदस्य की ग़लत धारणा है । अवमूल्यन से, निर्यात में वृद्धि और आयात में कमी होने के कारण व्यापार संतुलन दृढ़ हो जाता है । इस के अतिरिक्त १९४९ में जो उपाय अपनाया गया था उस का १९५२, १९५३ और १९५४ में, व्यापार संतुलन की स्थिति से कोई सम्बन्ध नहीं जोड़ा जा सकता है ।

कुमारी एनी मैस्करीन : क्या सरकार इस से अवगत है कि इन प्रयत्नों के बावजूद भी आयात बढ़ता जा रहा है और उस में कमी नहीं आई है ?

श्री ए० सी० गुह : मैं इस सम्बन्ध में आंकड़े दे सकता हूं, और कह सकता हूं कि अवमूल्यन का सम्बन्ध केवल डालर तथा कुछ अन्य दुर्लभ मुद्रा से ही था । इस का पौंड पावना तथा अन्य सुलभ मुद्राओं से कोई सम्बन्ध नहीं था । अवमूल्यन का प्रभाव केवल दुर्लभ मुद्रा पर ही पड़ा और किसी पर नहीं । १९४९ में हमारे व्यापार संतुलन में ४४ करोड़ रुपये का घाटा था और १९५० में उस में १६ करोड़ रुपये का लाभ रहा ।

कुमारी एनी मैस्करीन : क्या सरकार को मालूम है कि विदेशी व्यापार और भारत के नौवहन से सम्बन्धित आयात व्यापार के लेखे में जो आंकड़े दिये गये हैं, वे बिल्कुल भिन्न हैं ?

श्री ए० सी० गुह : मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है और मैं इस की सूचना चाहूंगा । मेरे विचार में फिर कोई गलत धारणा हो सकती है । १९५१–५२ की स्थिति के बारे में वस्तुतः संतुलन में बहुत घाटा था । इस का कारण यह था कि खाद्यान्नों का बहुत मात्रा में आयात हुआ । इस के पश्चात् दुर्लभ मुद्रा क्षेत्रों के सम्बन्ध में १९५३ और १९५४ में भी हमारे व्यापार संतुलन में लाभ रहा । कुल मिला कर भी, हमारी स्थिति १९४९ से सुधर गई है ।

कुमारी एनी मैस्करीन : इस पुस्तक में हमारे व्यापार के सम्बन्ध म जो जानकारी दी गई है, उस को देखते हुए माननीय मंत्री द्वारा दी गई जानकारी असंगत तथा गलत है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । हमें ऐसा प्रश्न नहीं पूछना चाहिये ।

मलेरिया और क्षय रोग विरोधी योजनायें

*१५५५. **श्री ब्रह्मचौधरी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना में आदिम जाति क्षेत्रों में मलेरिया, कुष्ठ रोग और क्षयरोग विरोधी योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है ; और

(ख) आदिम जाति क्षेत्रों में राज्यवार ऐसी कितनी योजनाओं को द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित करने का विचार किया गया है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) सरकार ने द्वितीय पंच वर्षीय योजना के सम्बन्ध में इस प्रश्न पर कोई विनिश्चय नहीं दिया है ।

(ख) जो राज्य सरकारें प्राथमिक रूप से सम्बन्धित हैं, वे द्वितीय पंच वर्षीय योजना के लिये योजनायें तैयार कर रही हैं और उन की अब भी प्रतीक्षा की जा रही है । मैं माननीय सदस्य को इतना और बता दूं कि प्रथम पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत भी आदिम जाति क्षेत्रों के लिये मलेरिया विरोधी योजनायें चालू हैं ।

श्री अमजद अली : क्या सरकार को यह मालम है कि आदिम जाति क्षेत्रों में कुष्ठ रोग और क्षय रोग का प्रकोप अधिक है ?

श्री दातार : मैं नहीं कह सकता कि सभी ऐसे भागों में उन का प्रकोप अधिक है । यह ठीक है कि कुछ भागों में, विशेषत: बिहार में, भूमि के एक विशेष भाग पर कुष्ठ रोग काफी मात्रा में है ।

श्री अमजद अली : क्या अभी हाल ही में इन रोगों के प्रकोप का पता लगाने के लिये एक राज्यवार सर्वेक्षण किया गया है ?

श्री दातार : मेरे विचार में यह सर्वेक्षण नहीं किया गया है संभवत: राज्य सरकारें इस प्रश्न पर विचार कर रही हैं ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

***१५५७. श्री एस० सी० सामन्त** : क्या शिक्षा मंत्री सभा पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे, जिस में यह बताया गया हो कि :

(क) इस समय अनेक विश्वविद्यालयों से प्राप्त हुए कितने प्रार्थनापत्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास विचाराधीन पड़े हैं और उन पर कोई विनिश्चय नहीं दिया गया है ;

(ख) ये प्रार्थनापत्र किन किन विश्वविद्यालयों से प्राप्त हुए हैं और किस काम के लिये प्रस्तुत किये गये हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय ने पश्चिमी बंगाल में अर्थशास्त्र का एक स्कूल खोलने की सहायता के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्रार्थना की है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या विनिश्चय दिया गया है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा एम० एम० दास) : (क) और (ख). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सभी विश्वविद्यालयों से यह प्रार्थनायें प्राप्त हुई हैं कि उन का विकास किया जाये । ये प्रार्थनायें सामान्यत: संग्रहीत रूप में प्राप्त होती हैं और उन का सम्बन्ध मुख्यत: (क) भवनों (ख) पुस्तकों तथा पत्र पत्रिकाओं (ग) उपकरण और (घ) अध्ययन तथा गवेषणा के विभागों के विकास से होता है । इन अपेक्षाओं में निरन्तर रूपभेद होते रहते हैं और आयोग यह नहीं बता सकता कि अनुदानों के लिये ठीक कितनी संख्या में प्रार्थनापत्र हुए हैं ।

(ग) हां, श्रीमान ।

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस मामले पर विचार कर रहा है ।

श्री एस० सी० सामन्त : प्रश्न के पा सी के बारे में क्या मैं जान सकता हुं कि क्या

कलकत्ता यूनवर्सिटी ने कोई रिटेन स्कीम पेश की है, और अगर पेश की है तो कमेटी ने उसको कंसिडर किया है या नहीं ?

डा० एम० एम० दास : यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमिशन को जनवरी, १९५५ में कलकत्ता युनिवर्सिटी से एक दरख्वास्त मिली थी । उस दरख्वास्त में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने प्रपोज किया था कि एक स्कूल आफ एकानमिक्स की प्रतिष्ठा की जाय । इस स्कूल आफ एकानमिक्स में एक डाइरेक्टर, दो प्रोफेसर, दो रीडर, छः होलटाइम लैक्चरर्स, तीन पार्ट टाइम लैक्चरर्स और १० रिसर्च ऐसिस्टेंट्स रहेंगे । इसका पूरा आवृत्ति खर्च एक लाख पांच हजार रुपया होगा और पांच लाख रुपया अनावृत्ति खर्च होगा । वेस्ट बंगाल सरकार दो लाख रुपया कीमत जितनी जमीन देने को तैयार है ।

श्री एस० सी० सामन्त : स्कूल आफ एकानमिक्स की मदद के लिये कलकत्ता युनिवर्सिटी ने कोई दूसरी रिकमेन्डेशन या स्कीम भी दी थी ?

डा० एम० एम० दास : दूसरी कोई स्कीम उस ने नहीं दी है । मगर युनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन ने इस स्कीम पर विचार किया था और उस प्रस्ताव का प्रिन्सिपल एक्सेप्ट कर लिया है ।

राजाओं की निजी थैलियां

*१५५८. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान में राजाओं की निजी थैलियों की राशि में जो कि भूतपूर्व देशी रियासतों के राजाओं को जाती थीं, उन के उत्तराधिकार प्राप्त करने पर कोई कमी की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो किन किन मामलों में ऐसा किया गया है और कितनी कमी की गई है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां ।

(ख) निम्न लिखित तीन मामलों में कमी की गई है :

जोधपुर	(१९५२)	७,५०,००० रुपये प्रतिवर्ष
डारकोटी	(१९५३)	६०० रुपये प्रतिवर्ष
दाडी	(१९५२)	६०० रुपये प्रतिवर्ष ।

श्री के० सी० सोधिया : इस अवधि में कितने उत्तराधिकारों को मान्यता दी गई ?

श्री दातार : अन्य के साथ इन तीनों को भी मान्यता दी गई ।

श्री के० सी० सोधिया : मैं निश्चित संख्या जानना चाहता हूं ।

श्री दातार : यदि माननीय सदस्य एक पूर्ण विवरण चाहते हैं तो उस के लिये मुझे सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री आर० एस० दीवान : क्या सरकार इस से अवगत है कि कुछ नरेशों ने स्वयं ही निजी थैलियों में कमी स्वीकार कर ली है, किन्तु उन की थैलियों में जितनी कमी हुई है, उतनी ही धनराशि उन को उस ऋण पर ब्याज के रूप में मिल रही है, जो कि उन्होंने राज्य सरकारों को दिये हैं और जिन पर पहले उन को कोई ब्याज नहीं मिलता था ।

श्री दातार : माननीय सदस्य ने जो विस्तृत ब्यौरा दिया है उस का मुझे पता नहीं है ।

सरकारी कार्यालयों में काम के घंटे

*१५५९. **डा० सत्यवादी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में बहुत से कर्मचारियों को प्रायः आठ घंटे से अधिक कार्य करना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें इस के लिये कोई विशेष भत्ता दिया जाता है, और यदि नहीं तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या जहां अधिक कार्य है वहां कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार किया गया है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) सामान्यतः कारखानों में काम करने वालों के अलावा, सिविल कार्यालयों में सरकारी कर्मचारियों के काम करने के घंटे निम्नलिखित होते हैं :—

सोमवार से शुक्रवार तक	सुबह १० बजे से शाम के ५ बजे तक ।
शनिवार,	सुबह १० बजे से १–३० तक ।
खाने की छुट्टी, शनिवार अलावा	१ बजे से १–३० के तक ।

इस के अलावा अगर कभी किसी जरूरी और जल्दी के काम को निबटाना हो तो सरकारी कर्मचारियों को ऊपर दिये घंटों से ज्यादा भी काम करना पड़ता है ।

(ख) समय से अधिक काम करने पर कोई विशेष भत्ता देने की मंजूरी नहीं है, सिवा इस के कि वित्त मंत्रालय के १० अप्रैल, १९५१ के पत्र के अनुसार जिस की एक प्रति टेबल पर रखी है, छोटे कर्मचारियों को वाहन भत्ता दिया जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ८ , अनुबन्ध संख्या ३]**

(ग) भारत सरकार के विभाग और मंत्रालय जब कभी वे यह महसूस करते हैं, कि काम इतना अधिक है कि वर्तमान कर्मचारियों द्वारा साधारण काम के घंटों में नहीं निबटाया जा सकता है, तब वे कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव करते हैं । ऐसे प्रस्तावों पर समय समय पर जब अवसर आता है, विचार किया जाता है ।

डा० सत्यवादी : जो वित्त मंत्रालय का मेमोरेन्डम आपने टेबुल पर रखा है, उस से मालूम होता है कि जो रियायतें आप ने दी हैं, वह फर्राश और स्वीपर्स को नहीं मिलती हैं, तो क्या मैं जान सकता हूं कि इन छोटे मुलाजिमों का क्या कुसूर है कि यह रियायतें उन को नहीं दी जाती हैं ?

श्री दातार : यह नियम सब पर लागू होता है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या केन्द्रीय सरकार ने इस बात की जांच की है कि अनेक विभागों में नियत समय से कितने अधिक घंटों तक काम होता है ताकि यदि ऐसे मामलों की संख्या अधिक हो, जहां कि आजकल नियत समय से अधिक काम पड़ता है, तो कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जा सके ।

श्री दातार : सामान्यतः नियत समय से इतना अधिक काम नहीं है, जितना कि माननीय सदस्य सोचते हैं । जब कभी यह देखा जाता है कि अतिरिक्त काम की आवश्यकता है, तो कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की प्रक्रिया अपनाई जाती है ।

पनडुब्बियों का बेड़ा

*१५६०. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौसेना के पास एक पनडुब्बियों का बेड़ा है ;

(ख) पनडुब्बियों के एक छोटे बेड़े का संचालन करने के लिये अपेक्षित कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने में कितना समय लगेगा ; और

(ग) उस पर कितना खर्चा पड़ेगा ?

रक्षा मंत्री (डा० काटजू) : (क) जी नहीं ।

(ख) एक पनडुब्बी का संचालन करने के लिये एक पदाधिकारी को प्रशिक्षित करने में लगभग ४ साल लगते हैं और नाविकों को प्रशिक्षित करने में १ से २ साल तक लगते हैं ।

(ग) (१) एक मध्यम प्रकार की पनडुब्बी का मूल्य लगभग २$\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये होगा ।

(२) प्रशिक्षण पर कितना खर्चा पड़ेगा, इस की सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है ।

सरदार इकबाल सिंह : क्या सरकार निकट भविष्य में इस प्रकार के छोटे जहाजों के बड़े खरीदना चाहती है ?

डा० काटजू : अभी ऐसा करने का विचार नहीं है ?

श्री जोकीम आल्वा : हमारे तट की लम्बाई तथा गोआ और गोआ के निकट किसी बन्दरगाह के कारण संभव कठिनाई को दृष्टिकोण में रखते हुए क्या सरकार का कम-से-कम नौसेना के युवकों को पनडुब्बी नाशक युद्ध विद्या की प्रशिक्षा देने का विचार है ।

डा० काटजू : यह बात सदा से हमारे विचाराधीन रही है । परन्तु ऐसा करने के लिये कई बातों को ध्यान में रखना पड़ता है । इस समय कोई ऐसी प्रस्थापना विचाराधीन नहीं है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या सेना के किसी पक्ष ने पनडुबकनियों के बारे में प्रशिक्षा देना आरम्भ किया है ?

डा० काटजू : मेरा विचार है कि पनडुबकनी-नाशक प्रशिक्षा दी जा रही है ।

प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के पदों पर भरती

*१५६२. **श्रीमती गंगा देवी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार अधीक्षकों और अवर-सचिवों के पदों की रिक्तियों का एक भाग सीमित विभागीय प्रतियोगिता द्वारा, जैसा कि सहायक अधीक्षकों के बारे में किया गया था, पूरा करने के लिये विचार कर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख) विभागीय परीक्षा द्वारा अवर सचिव की श्रेणी के लिये पदोन्नति के बारे में इस समय एक प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन है । अधीक्षक श्रेणी में पदोन्नति के लिये ऐसी ही परीक्षा का उपबन्ध केन्द्रीय सचिवालय सेवा योजना में मौजूद है और सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि क्या इस स्तर पर ऐसा करने की आवश्यकता है ।

श्रीमती गंगा देवी : जितनी भी प्रमोशन्स इन गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स को दी जाती रही हैं वे उनके सर्विस रिकार्ड या अनुभव के आधार पर ही दिये जाने को थीं और इस प्रकार सरकारी दफ्तर का सभी काम अच्छी तरह चलता रहा लेकिन इस नई स्कीम के अनुसार गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स की, जिनकी सर्विस १५–१५ और २०–२० साल हो गई है कम्पेरेटिव एग्जेमीनेशंस द्वारा उनकी एफीशेंसी का निर्णय करना कहां तक उचित व न्यायपूर्ण है और क्या इन

कम्पेटेटिव एग्जेमिनेशन्स के द्वारा इनकी वास्तविक योग्यता का ठीक ठीक निर्णय हो सकता है ।

श्री दातार : जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है पदोन्नति सामान्यत: वरिष्ठता के आधार पर होगी । परन्तु कतिपय ऐसे मामले हैं जिनके बारे में परीक्षा लेना अधिक अच्छा होगा और यह सामान्य निष्कर्ष निकाला गया है कि कार्य कुशलता पैदा करने के लिये दोनों प्रणालियों का प्रयोग करना चाहियें ।

श्रीमती गंगा देवी : क्या असिस्टट्स को सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पर आने के लिये ही डिपार्टमेंटल टेस्ट रखा गया है या सुपरिंटेंडेंट्स को अंडर सेक्रेटरी होने के लिये भी यह टेस्ट देना पड़ता है और यदि अंडर सेक्रेटरी होने के लिये सुपरिंटेंडेंट्स का नहीं देना पड़ता तो ये टेस्ट्स क्यों नहीं देने पड़ते ?

श्री दातार : असिस्टेंट लोगों को असिस्टेंट सुपरिन्टेडेंट बनने के लिये ही इम्तहान देना पड़ता है और सुपरिंटेडेंट्स को अंडर सेक्रेटरी बनने के लिये नहीं ।

श्री रामानन्द दास : क्या यह सच है कि अंडर सेक्रेटरी से डिपुटी सेक्रेटरी के पद पर पदोन्नति वरिष्ठता और गुणावगुणों के आधार पर की जाती है और यदि हां तो एक असिस्टेंट की सहायक अधीक्षक के पद पर पदोन्नति भी इसी आधार पर क्यों नहीं की जाती ?

श्री दातार : मैंने अभी यही बताया है । जहां तक असिस्टेंटों का सम्बन्ध है असिस्टेंट से सहायक अधीक्षक की पदोन्नति प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं और वरिष्ठता के आधार पर की जाती है । जहां तक उच्च पदाली का सम्बन्ध है यह विचार किया गया है कि वरिष्ठता को उचित अधिमान देना चाहिये परन्तु अपवाद के मामलों में सीमित प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा होनी चाहिये ।

श्री रामानन्द दास : ऐसा क्यों है ?

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस समय उन अधीक्षकों और उप-सचिवों का जो सीधी भर्ती में किये गये हैं उनकी तुलना में क्या अनुपात है जिन्हें विभागीय पदोन्नतियां मिली हैं ?

श्री दातार : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि सामान्यत: यह अनुपात ५०:५० का होता है ।

सेफ डिपोजिट वाल्ट

***१५६४. पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **वित्त** मंत्री १८ अगस्त १९५३ के तारांकित प्रश्न संख्या ५९२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस समय कोई ऐसा विधेयक पुर:स्थापित करने की प्रस्थापना है जिस से सरकार को विक्षिप्त निधि को जानने के लिये सेफ-डिपोज़िट वाल्टों की तलाशी लेने का अधिकार मिल जायेगा ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : सेफ डिपोज़िट वाल्टों के कार्यों का इस प्रकार विनियमन करने के हेतु विधान बनाने के प्रश्न की सरकार ने रक्षित बैंक के परामर्श द्वारा ध्यान पूर्वक परीक्षा की है । सरकार को यह संतोष हो गया है कि इस समय विधान बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है । तलाशी के लिये पहले ही जो सामान्य अधिकार प्राप्त हैं उन के अतिरिक्त सेफ डिपोज़िट वाल्टों के अधिकार प्राप्त करना न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या सरकार ने इन सुरक्षित-निधि-गृहों में से किसी का निरीक्षण किया है या तलाशी ली है, और यदि हां तो उन से कितनी छिपाई हुई धनराशि मिली है ?

श्री ए० सी० गुह : सरकार के पास सुरक्षित-निधि-गृहों में छिपा कर रखी हुई आय के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है । किन्तु मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिला सकता हूं कि कुछ समय पूर्व इस सभा में इसी विषय का एक प्रश्न पूछा गया था और मैंने आश्वासन दिया था कि हम इस मामले का परीक्षण करेंगे । हमने इस मामले के सब पहलुओं का, इस से सम्बन्धित सभी विभिन्न अभिकरणों के द्वारा, परीक्षण कर लिया है और अब यह निर्णय किया गया है कि इस विषय में कोई विधान बनाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह सोचा गया है कि विधान बनाने से सुरक्षित–निधि प्रणाली को कुछ हानि होने की सम्भावना है ।

श्री रामानन्द दास : क्या यह सच है कि बहुत से धनी पुरुष आय-कर देने से बचने के लिये सुरक्षित-निधि-गृहों में अपना धन और आभूषण आदि जमा करवा देते हैं ?

श्री ए० सी० गुह : हमें ऐसी किसी बात की जानकारी नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : ये सब कल्पना की बातें हैं ।

श्री के० के० बसु : क्या सुरक्षित-निधि–गृहों को मुहर बन्द करने या उन का परीक्षण करने का सरकार को कोई अधिकार है ?

श्री ए० सी० गुह : यही बात तो मैंने कही है ; साधारणतया भी, सरकार के पास कुछ शक्तियां होती हैं, जिनके द्वारा वह सुरक्षित-निधि-गृहों की तलाशी ले सकती है ।

राष्ट्रीय छात्र सेना

*१५६८. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य भारत में राष्ट्रीय छात्र सेना के चुनाव के लिये कोई मंत्रणा समिति बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो उस समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) मध्य भारत में नेशनल केडेट कोर के लिये एक सलाहकार समिति है जिसके प्रकार्य नेशनल केडेट कोर के नियमों में दिये हुए हैं ।

(ख) एक विवरण, जिसमें समिति के सदस्यों के नाम हैं, पटल पर रख दिया गया है । [देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ४] :

श्री अमर सिंह डामर : क्या इसमें आदिवासी सदस्य भी हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : नामों से यह पता नहीं लगता कि इस में कौन कौन आदिवासी हैं और कौन कौन नहीं हैं ।

श्री अमर सिंह डामर : इस परिषद् की कितनी बार बैठकें हुई हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : सन् १९५० से चार पांच बार बैठकें हो चुकी हैं हालांकि आशा यह की जाती थी कि हर साल में चार बार मिले ।

राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (नेशनल सेविंग्स सर्टीफिकेट्स)

*१५६९. **श्री भक्त दर्शन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों की बिक्री के लिये कुछ समय पहले जो "अधिकृत अभिकरण प्रणाली" (आथोराइज्ड एजेंसी

सिस्टम) चालू की गई थी, क्या वह सफल रही है; और

(ख) यदि हां, तो उस में कितनी सफलता मिली है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) तथा (ख). सामान्य अधिकृत अभिकरण प्रणाली (जनरल आथोराइज़ड ऐजेंसी सिस्टम) पहली अप्रैल १९५४ से चल रही है और यद्यपि इतनी जल्दी परिणाम का कोई निश्चित निर्धारण नहीं किया जा सकता, फिर भी सरकार को इस बात का संतोष है कि इस साल छोटी छोटी बचतों से धन संग्रह में इस प्रणाली से सारभूत सफलता मिली है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता कि जब से यह अधिकृत अभिकरण प्रणाली जारी की गई है तब से अब तक की रिपोर्टों के अनुसार इसमें किस राज्य में सब से ज्यादा सफलता मिली है ?

श्री ए० सी० गुह : इस का हिसाब हमारे पास नहीं है । हमारे पास सिर्फ कोलेक्शंस (वसूली) का हिसाब है कि किस प्रदेश से कितनी कोलेक्शन हुई है । किस सोर्स (साधन) से कितनी कोलेक्शन हुई है यह हमारे पास नहीं है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रणाली के प्रारम्भ होने से पहले जितना धन एकत्र होता था इस प्रणाली के जारी होने के बाद उस में कितनी बृद्धि हुई ?

श्री ए० सी० गुह: यह तो हर साल बढ़ती जा रही है । पिछले साल के मुकाबले में इस साल चार पांच करोड़ रुपया ज्यादा इकट्ठा हुआ है और आशा है अगले साल और भी ज्यादा होगा । जैसे मैंने कहा कि हम लोगों को संतोष है कि इस साल छोटी छोटी बचतों से धन संग्रह में इस प्रणाली से सारभत सफलता मिली है ।

पाकिस्तानी गुप्तचर

*१५७१. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चम्पारन ज़िले के ढाका थाने और मुज्जफरपुर ज़िले के बैरगनिया थाने में पाकिस्तानी गुप्तचरों का एक दल घूम रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस दल की महिला सदस्यायें घरों में जा कर गुप्त प्रचार करती हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार ने यह उत्तर बिहार सरकार का जो जबाब आया है उस के आधार पर दिया है या अपने सेंट्रल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट द्वारा भी इसकी जांच कराई गई है ?

श्री दातार : सरकार ने इस के बारे में पूरी जांच की है और सब डायरेक्शंस से रिपोर्टस मंगाई है और उसी के आधार पर यह कहा गया है कि कोई सूचना नहीं मिली है ।

गांधीवादी विचारधारा

*१५७२. **श्री हेडा** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड ने गांधीवादी विचारधारा

और जीवन प्रणाली की भारतीय विश्वविद्यालयों के पाठ्य-क्रम में सम्मिलित करने की संभावना का विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त की है; और

(ख) क्या समिति गांधीवादी अर्थ-शास्त्र और राजनीति शास्त्र को विश्वविद्यालय की शिक्षा के विषयों के रूप में रखे जाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड ने, जनवरी, १९५५ में हुई अपनी बाईसवीं बैठक में अपने सभापति (शिक्षा मंत्री) को गांधीवादी विचारधारा और जीवन प्रणाली को हाई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने की संभावना का विचार करने और उस उद्देश्य के लिये उपयुक्त सिफ़ारिशें करने का अधिकार दिया था । क्योंकि बोर्ड की सिफ़ारिशें अभी भारत सरकार के विचाराधीन हैं, इसलिये अभी तक समिति बनाई नहीं गई है ।

(ख) इस स्थिति में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री हेडा : क्या गांधीवादी जीवन प्रणाली में, केवल अर्थ-शास्त्र को ही मुख्य-विषय माना जाता है या राजनीति शास्त्र को भी मुख्य विषय समझा जाता है ?

डा० एम० एम० दास : उन का जीवन, जीवन के सिद्धान्त और उनके आदर्श—सब कुछ ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : क्या किसी विदेशी विश्व विद्यालय ने उनके विश्व विद्यालयों में गांधीवादी विचारधारा सम्बन्धी भाषण देने के लिये प्रोफेसरों के भेजे जाने की प्रार्थना की है ?

डा० एम० एम० दास : जहां तक मुझे मालूम है, हम से किसी विदेशी विश्वविद्यालय ने इस प्रकार की प्रार्थना नहीं की है ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या भारत सरकार का भारत के विभिन्न विश्व विद्यालयों और विभिन्न राज्य सरकारों के साथ कोई सम्पर्क है, जहां प्रश्न (क) में उल्लिखित समस्या पर विचार किया जा चुका है ।

डा० एम० एम० दास : यह प्रश्न पहले पहल केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के समक्ष १९५४ में उनकी इक्कीसवीं बैठक में उत्पन्न हुआ था । क्योंकि उस समय सरकार के पास कोई आंकड़े नहीं थे, इसलिये यह निर्णय किया गया था कि इस प्रश्न पर १९५५ में बाईसवीं बैठक में विचार किया जायेगा, ताकि उस समय तक सरकार और विश्वविद्यालयों को सूचित किया जा सके और उन से आवश्यक आंकड़े इकट्ठे किये जा सकें । तदनुसार केन्द्रीय सरकार ने विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों को इस मामले के सम्बन्ध में कुछ जानकारी देने के लिये लिखा । हमने कुछ राज्यों की सरकारों और कुछ विश्वविद्यालयों से अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर लिये हैं ।

उत्तर प्रदेश में मैगनेसाइट की खानें

*१५७३. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में हाल में खोजी गई मैगनेसाइट की खानों का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : १९४२ में उत्तर प्रदेश के अलमोड़ा जिला में मैगनेसाइट की महत्वपूर्ण खोज हुई थी । भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण द्वारा हाल ही में किये गये अनुसंधानों से ५–६ खानों

का पता चला है । इस क्षेत्र में अभी खोज का काम चल रहा है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात आई है कि उत्तर प्रदेशीय विधान सभा में बजट पर बोलते हुये वहां के उद्योग मंत्री जी ने यह फरमाया था कि भारत सरकार का जो जिआलाजीकल सर्वे (भूतत्वीय सर्वेक्षण) है वह उत्तर प्रदेश के लिये बिल्कुल बेकार सिद्ध हुआ है ? इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी की क्या राय है ?

श्री सतीश चन्द्र : मुझे मालूम नहीं कि इस विषय में कोई राय दी गई है । लेकिन जिआलाजीकल सर्वे (भूतत्वीय सर्वेक्षण) ने माननीय सदस्य के अपने ही जिले गढ़वाल में भी इस चीज़ का पता लगाया है ।

केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस

*१५७४. **चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री १० मार्च १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८८८ के दिये गये उत्तर के सम्बन्ध में निम्न जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) इस समय केन्द्रीय रिजर्व पुलिस में कितने सिपाही और अधिकारी हैं ;

(ख) विभिन्न राज्यों में यह पुलिस किस प्रकार बंटी हुई है ; और

(ग) १९५४ के अन्दर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस द्वारा क्या काम किया गया था ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये** परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ५]

(ख) तथा (ग). इस फोर्स के वितरण सम्बन्धी और यह पुलिस विभिन्न राज्यों में किस प्रकार के कामों में लगाई गई थी, इस सम्बन्धी जानकारी, लोक हित की दृष्टि से, नहीं बताई जा सकती ।

विश्व बैंक का संतुलन-पत्र

*१५७५. **कुमारी एनी मैस्करीन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्व बैंक के पिछले संतुलन-पत्र में भारत की क्या स्थिति थी ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : यह स्थिति दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये** परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ६]

कुमारी एनी मैस्करीन : विश्व बैंक में हमारा क्या भाग है और हमें उस बैंक में पूंजी जमा रखने और भाग रखने के लिये कितने प्रतिशत ब्याज मिलता है ?

श्री ए० सी० गुह : हमारे केवल हिस्से ही हैं । उन पर कोई ब्याज नहीं मिल सकता । भारत का पूंजी भाग ४० करोड़ डालर है और बैंक ने इसका केवल २० प्रतिशत मांगा है इसलिए हम ने ४० करोड़ डालर का केवल २० प्रतिशत बैंक को दिया है । इस पर हमें कोई सूद नहीं मिला है ।

कुमारी एनी मैस्करीन : क्या कुछ लाभांश हुआ है ?

श्री ए० सी० गुह : लाभांश बांटा नहीं गया है, यह रिजर्व निधि में रखा गया है जो अब समस्त बैंक की १६$\frac{1}{2}$ करोड़ डालर है ।

कुमारी एनी मैस्करीन : क्या हम ने १९५४ में बैंक से कुछ ऋण लिया है, और यदि हां, तो किस काम के लिये ?

श्री ए० सी० गुह : हम बैंक से कुछ ऋण लेते रहे हैं, किन्तु मेरे पास सही आंकडे नहीं हैं कि हम ने किस वर्ष कितना धन लिया है आदि । मैं समझता हूं, हम ने १९५४

में कुछ रकम निकलवाई थी । ३ करोड़ १५ लाख रुपय की एक रकम थी, जो २९-१०-१९५४ को निकलवानी थी, जो संभव है निकलवा ली गई हो । १ करोड़ ५ लाख रुपय की एक और रकम थी जो २२-३-५४ को निकलवानी थी ।

श्री के० के० बसु : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारे हिस्सों पर इकट्ठा होने वाला लाभांश बांटा नहीं जाता, क्या हमें उस धनराशि के ब्याज की दर में कुछ रियायत मिलती है, जो हम बैंक से ऋण के रूप में लेते हैं ?

श्री ए० सी० गुह : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने मेरे उत्तर को ठीक ठीक नहीं समझा है । ऐसी बात नहीं है कि केवल हमारा लाभांश ही नहीं बांटा जाता, बल्कि सभी भागीदारों को लाभांश नहीं बांटा जाता और रक्षित निधि में रख लिया जाता है । और किसी रियायत का प्रश्न नहीं उठ सकता ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या विश्व बैंक सब सदस्य देशों के लिये कुछ अभ्यंश निर्धारित करता है और क्या भारत के लिय भी बैंक का सदस्य होने के नाते कुछ अभ्यंश निर्धारित किया गया था, अथवा क्या विश्व बैंक में कुछ धन जमा करना भारत के लिये ऐच्छिक था ?

श्री ए० सी० गुह : भारत पांच मूल सदस्यों में से एक है, और ९ अरब २ करोड़ ८० लाख डालर की प्रार्थित पूंजी में भारत का भाग ४० करोड़ डालर है ।

श्री के० के० बसु खड़े हुए —

भारतीय नौ सेना

*१५७६. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार नौ सेना को बलशाली बनाने के निमित्त अधिक युद्ध-पोत और पनडुब्बी किश्तियों का एक बेड़ा बढ़ाने का इरादा रखती है ?

रक्षा मंत्री (डा० काटजू) : सरकार को जब कभी आवश्यकता होती है, नौ सेना के लिये जहाज ले लेती है । मैं यह भी बता दूं जैसा कि मैं ने पिछले प्रश्न के उत्तर में कहा है, कि इस समय पनडुब्बी बेड़ा या युद्ध के जहाज अधिग्रहण करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्रीमती इला पालचौधरी : आधुनिक पनडुब्बी किश्ती या युद्ध-पोत की क्या लागत है?

डा० काटजू : मैं ने कहा है कि मध्यम आकार की पनडुब्बी किश्ती की लागत लगभग २ १/२ करोड़ रुपये होगी ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या इस बात की कोई पड़ताल की गई है कि आया विशाखापटनम जहाज निर्माण कारखाने में सरलतम प्रकार के युद्ध-पोत बनाये जा सकते हैं ?

डा० काटजू : मुझे सूचना चाहिये :

विशेष पुनर्गठन मितव्ययता एकक

*१५७७. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ यथार्थ कठिनाइयों के कारण विशेष पुनर्गठन मितव्ययता एकक की सिफ़ारिशें, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में कार्यान्वित नहीं की जा सकी हैं,

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की कठिनाइयां थीं और एकक ने क्या सिफ़ारिशें की थीं ; और

(ग) सिफ़ारिशों को कार्य रूप में कब परिणत किया जायगा ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) से (ग). विशेष-पुनर्गठन मितव्ययता एकक ने वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के सचिवालय के सम्बन्ध में अभी अपनी सिफ़ारिशों को अन्तिम रूप नहीं दिया है । एकक ने उस मंत्रालय के विभिन्न विभागों का सर्वेक्षण कर लिया है, किन्तु इस का अन्तिम प्रतिवेदन अभी प्रकाशित नहीं हुआ । इसलिये प्रतिवेदन के कार्यान्वित होने अथवा उस के कार्यान्वित होने के मार्ग में किन्हीं यथार्थ कठिनाइयों का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

श्री के० सी० सोधिया : अनुपूरक मांगों के विषय में जो चर्चा हुई थी उस के अन्दर इस बात का उल्लेख हुआ था कि इस एकक की सिफारिशों को वाणिज्य तथा उद्योग मत्रालय ने कार्यान्वित नहीं किया है । क्या यह बात सच नहीं थी ?

श्री एम० सी० शाह : उस समय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के लिये ३·४८ लाख रुपये की अनुपूरक मांग के बारे में एक प्रश्न उठाया गया था । यह बताया गया था कि कुछ पद हटा दिये जायेंगे और कुछ मितव्ययता की जायगी । किन्तु अन्तिम रूप में कोई निर्णय नहीं हुआ था, इसलिये वित्त मंत्रालय ने १९५३-५४ के लिये ३·४८ लाख रुपये की कटौती पर जोर दिया था, परन्तु चर्चा होने के पश्चात् उन सिफारिशों को कार्यान्वित करना संभव नहीं समझा गया, इसलिये हमें अनपूरक मांग के लिये आना पड़ा । यदि माननीय सदस्य उस स्थिति का उल्लेख करते हैं तो वह इस प्रकार ही है ।

श्री के० सी० सोधिया : वे अन्तिम रूप में अपना प्रतिवेदन कब देंगे ?

श्री एम० सी० शाह : इस में कुछ समय लगेगा क्योंकि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में बहुत से संगठन और संबद्ध कार्यालय आदि हैं । इन सब का परामर्श लेना अनिवार्य है । समस्त मामला विचाराधीन है और हमें आशा है कि प्रतिवेदन शीघ्र ही प्रस्तुत हो जाएगा ।

छावनी बोर्ड

*१५७९. **डा० सत्यवादी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह स्वीकार कर लिया है कि विभाजन से पूर्व पश्चिमी पंजाब के छावनी बोर्डों के भूतपूर्व कर्मचारियों, जिन्हें भारत के छावनी बोर्डों में नौकरी दी जा चुकी है, की वरिष्ठता का निश्चय करने में उन की विभाजन से पूर्व की सेवा की गणना की जानी चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को विदित है कि अम्बाला में ऐसे विस्थापित व्यक्तियों के अधिकारों की अवहेलना कर कनिष्ठ कर्मचारियों की पदोन्नति कर दी गई है ;

(ग) ऐसे कितने कर्मचारियों की पदोन्नति की गई है ; और

(घ) ऐसे विस्थापित कर्मचारियों के साथ न्याय करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ). वरण पदों पर ६ पदोन्नति की गईं । पदोन्नति के लिये निकष केवल ज्येष्ठता का ही नहीं बल्कि गुण का भी है । किसी विस्थापित कर्मचारी के साथ अन्याय नहीं किया है ।

डा० सत्यवादी : क्या मैं जान सकता हूं कि गवर्नमेंट आफ इंडिया की ८ दिसम्बर, १९५४ की हिदायत जारी होने से पहले पश्चिमी पंजाब से आये हुए सीनियर कैंटोनमेंट मुलाजिमों को नजरन्दाज कर के जिन

मुलाजिमों को सीनियर बनाया गया है उन को सरकार ने जायज तसलीम किया है ?

सरदार मजीठिया : हां कुछ ऐसा हुआ है । मगर जो कैंटोनमेंट बोर्डस हैं वे आटानमस बाडीज़ हैं । उन को अधिकार है कि वे ऐसा कर लें ।

डा० सत्यवादी : क्या यह सही है कि सरकार ने इस किस्म की हिदायत जारी की थी कि ऐसा न किया जाये ।

सरदार मजीठिया : एक चिट्ठी लिखी गयी थी कि जिन्होंने पाकिस्तान में सेवा की है उन का खास ख्याल रखा जाये ।

डा० सत्यवादी : क्या यह बात ठीक है कि इस किस्म की पालिसी के खिलाफ कैंटोंनमेंट बोर्ड अम्बाला के किसी मुलाजिम ने सन् ४८ में अपील की थी जिस पर अभी तक फैसला नहीं हुआ है, और अगर यह ठीक है तो इस अपील पर आखिरी फैसला देने में सरकार को अभी कितने और वर्ष दरकार होंगे ?

सरदार मजीठिया : ऐसी बात मेरे ध्यान में तो नहीं आयी है। मगर जैसा मैं ने पहले कहा, यह आटानमस बाडीज़ हैं, उन को अपने कर्मचारी रखने का और उन को प्रोमोशन देने का अधिकार है ।

प्रचार कार्य

*१५८०. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२, १९५३ और १९५४ में रक्षा सेवाओं के प्रचार कार्य पर कितनी राशि व्यय की गई है ; और

(ख) उपरोक्त काल में सेना, नौ सेना और वायु बल के प्रचार कार्य पर अलग अलग कितनी राशि व्यय की गई ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ७].

सरदार इकबाल सिंह : क्या यह सच है कि नौ सेना और वायु बल का उतना प्रचार नहीं किया जाता जितना कि सेना का ?

सरदार मजीठिया : यह सच नहीं है । वस्तुतः नौ सेना और सेना की भर्ती इकट्ठी ही होती है जब कि वायु बल का भर्ती के लिये अलग संगठन है और अपनी शाखाओं का प्रचार वे स्वयं करते हैं । मेरे विचार में यह पर्याप्त है ।

सरदार इकबाल सिंह : क्या इस प्रचार कार्य के लिये नियुक्त किये गये पदाधिकारियों की संख्या का अनुपात सेवाओं से है याकि व्यक्तियों की संख्या से ?

सरदार मजीठिया : जैसा कि मैं ने बताया है बचत के विचार से प्रचार का काम इकट्ठा ही किया जाता है । पर्याप्त प्रचार किया जा रहा है । इस के अतिरिक्त सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय भी आकाशवाणी में अपने कार्यक्रम में इसे स्थान दे कर और प्रलेख चित्र बना कर हमारी सहायता कर रहा है ।

छात्रवृत्तियां

*१५८२. **श्री सुबोध हांसदा** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटिश उद्योगों के संघ द्वारा १९५४–५५ में दी जाने वाली छात्रवृत्तियों के लिये कितने उम्मीदवारों ने आवेदन पत्र दिये थे ; और

(ख) वे किन किन राज्यों के हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) तथा (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता

है । [देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ८]

श्री सुबोध हासदा : क्या आवेदन पत्र प्रत्यक्ष रूप से मांगे गये थे या कि औद्योगिक साथों के द्वारा ?

डा० एम० एम० दास : यह छात्र-वृत्तियां देने के लिये उमीदवारों के आवेदन पत्र केन्द्रीय मंत्रालयों; राज्य सरकारों; विश्वविद्यालयों; इंजीनियरिंग और टैक्निकल संस्थाओं और उद्योगों के द्वारा मांगे गये थे ।

श्री सुबोध हासदा : क्या १९५५-५६ के लिये ब्रिटिश इस्पात उद्योग ने ऐसी छात्रवृत्तियां देने का वचन दिया है ?

डा० एम० एम० दास : इस समय इस बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है ।

श्री सुबोध हासदा : छात्रवृत्ति कितनी राशि की है ?

डा० एम० एम० दास : छात्रवृत्तियां (क), ( ) और (ग) तीन प्रकार की हैं । (क) प्रकार की छात्रवृत्तियां दो वर्ष के लिये ३९० पाउंड वार्षिक की हैं और उस के साथ ही ब्रिटेन को जाने और आने के सफर का खर्च भी दिया जाता है, (ख) प्रकार की छात्रवृत्तियां ३०० पाउंड वार्षिक की हैं, और ब्रिटेन जाने आने का खर्च भारत सरकार करती है, (ग) प्रकार की छात्रवृत्तियां ३०० पाउंड वार्षिक अथवा कम समय के लिये छः से १२ मास तक उस के अनुपात से होती हैं, ब्रिटेन जाने और वहां से आने का खर्च भारत सरकार करती है ।

श्री सुबोध हासदा : वर्ष १९५४–५५ के लिये ५१५ उम्मीदवारों में से कितने चुने गये थे ?

डा० एम० एम० दास : केवल छः ।

करेंसी नोट (पत्र मुद्रायें)

***१५८५. डा० राम सुभग सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने करेंसी नोटों का कागज बनाने के लिये एक कारखाना खोलने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो वह कब से चालू होगा और कहां स्थापित किया जायगा ; और

(ग) उस कारखाने के खोलने में कुल कितना व्यय होने का अनुमान है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) से (ग). करेंसी नोट छापने के काम आने वाला कागज तैयार करने के लिये एक करखाना खोलने का सिद्धांत रूप में निश्चय किया गया है । उस कारखाने के लिये उपयुक्त स्थान चुनने के सम्बन्ध में कुछ पड़ताल की गयी है पर अभी यह फैसला नहीं किया गया है कि कारखाना कहां खोला जाये । चूंकि अभी कोई ठोस योजना नहीं बनायी गयी है इसलिये यह बताना सम्भव नहीं है कि यह कारखाना कब चालू हो जायेगा और उस की स्थापना पर कितना खर्च आयेगा ।

श्री के० के० बसु : क्या इस प्रकार का कागज बनाने के लिये अपेक्षित सब कच्ची सामग्री हमारे देश में प्राप्य है ?

श्री ए० सी० गुह : मैं तो ऐसा ही समझता हूं । कम से कम मुख्य सामग्री अर्थात् चीथड़े और कपड़े की मिलों से कतरनें काफी मात्रा में उपलब्ध हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या इस कार-ख़ाने में पत्र मुद्रा में काम आने वाला कागज ही बनाने का विचार है या कि दूसरी प्रकार क

कागज भी जैसे रक्षा तथा सुरक्षा प्रयोजनों के लिये अपेक्षित कागज भी बनाने का विचार है ?

श्री ए० सी० गुह : मुद्रा में काम आने वाला और वह कागज जिस पर छाप लगी होती है—इन दो प्रकार के कागजों को बनाने का हमारा विचार है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या इस के लिये कुछ बाहर से विशेषज्ञों के मंगवाने की सम्भावना है और अगर है तो कितने विशेषज्ञ बुलाये जायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहती हैं कि क्या इस प्रकार के काम के लिये कोई विशेषज्ञ आये हैं ?

श्री ए० सी० गुह : अभी तो हम लोग कागज मंगाते हैं। विलायत की एक कम्पनी "पोर्टेल्स" से उस के एक्सपर्ट के रूप में इधर आने की बात है, इधर आ कर तीन, चार जगह देखे भालेगी, अभी पूरा बंदोबस्त नहीं हुआ है ।

सरकारी कर्मचारी

*१५८६. **कुमारी एनी मैस्करीन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्नलिखित जानकारी हो ।

(क) केन्द्रीय सेवा में काम करने वाली विवाहित और अविवाहित महिलाओं की अलग अलग संख्यायें क्या हैं ; और

(ख) निवृत्ति वेतन प्राप्त करने के लिये एक सरकारी कर्मचारी को कम से कम कितनी सेवा करनी पड़ती है और निवृत्ति वेतन का स्वीकार्य क्रम क्या है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) प्रथम मार्च, १९५३ को भारत सरकार के अधीन कुल २०,६६८ महिलायें नौकर थीं, उन में से कितनी विवाहित थीं और कितनी अविवाहित, यह जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है ।

(ख) निवृत्ति वेतन प्राप्त करने के लिये कम से कम अर्हसेवा और केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर निवृत्ति वेतन सम्बन्धी उपबन्धों द्वारा शासित व्यक्तियों के लिये स्वीकार्य निवृत्ति-वेतन क्रम वित्त मंत्रालय के ओ० एम० नं० ३ (१) एस्टस् (एस० पी० एल०) । ४७ दिनांक १७ अप्रैल, १९५० में दिये गये हैं । उसमें से संगत संग्रह सभा पटल पर रखे गये हैं । **[देखिये** परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ९]

दूसरे पदाधिकारियों के लिये सम्बन्धित उपबन्ध उच्च असैनिक सेवा नियमों और असैनिक सेवा विनियमनों में दिये गये हैं जिनकी प्रतियां सभा के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

कुमारी एनी मैस्करीन : क्या गृह-कार्य मंत्रालय के उस परिपत्र को लागू किया जा रहा है जिसमें विवाहित स्त्रियों को सरकारी सेवा के लिये अनर्ह करार दिया गया है ?

श्री दातार : यह कोई अनर्हता नहीं है । केवल कुछ मामलों में जहां एक विवाहित स्त्री नियुक्त कर ली गई है यदि सरकार कार्यकुशलता के हित में चाहे तो उसे त्याग पत्र देने के लिये कह सकती है ।

कुमारी एनी मैस्करीन : क्या सरकारी सेवाओं में विवाहित स्त्रियों को प्रसूतिकाल में छुट्टी तथा अन्य सुविधायें दी जाती हैं ?

श्री दातार : सम्भव है कि मुझे गलती लग रही हो, पर मेरा विचार है कि दी जाती हैं ।

कुमारी एनी मैस्करीन उठीं—

सहायता तथा कल्याण के लिये संयुक्त परिषद्

*१५८७. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहायता तथा कल्याण के लिये संयुक्त परिषद् का वर्तमान विधान और इस का वर्तमान कार्यक्रम क्या है ;

(ख) १९५४-५५ के दौरान में परिषद् की कितनी बैठकें हुईं ; और

(ग) १९५४–५५ के दौरान में परिषद् को कुल कितना अनुदान दिया गया और वह किन प्रयोजनों के लिये था ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है। सभा पटल पर रख दी जायेगी।

भारतीय प्रशासन सेवा परीक्षा

*१५८८. **श्री चौधरी मुहम्मद शफी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू व काश्मीर राज्य निवासी भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा परीक्षाओं में नहीं बैठ सकते जो कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाती हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार यह प्रतिबन्ध हटाना चाहती है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). जी हां। जम्मू व काश्मीर अभी अखिल भारतीय सेवा योजना में सम्मिलित नहीं हुआ है।

(ग) ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है। सब राज्यों के उम्मीदवार जो अखिल भारतीय सेवा योजना में सम्मिलित होते हैं वे साधारणतया इन सेवाओं में लिये जा सकते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

ढलाई का स्कूल, खड़गपुर

*१५४२. **श्री केशवैयंगार :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खड़गपुर में ढलाई के स्कूल में प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम में दाखिल होने के लिये इस वर्ष मैसूर राज्य से कितने लोगों ने आवेदन पत्र दिये ;

(ख) उन में से कितने चुने गये हैं ;

(ग) क्या आवेदन पत्र देने वालों में कोई महिलायें भी थीं ; और

(घ) स्कूलों में महिला विद्यार्थियों की संख्या क्या है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) छः।

(ख) पांच।

(ग) तथा (घ). कोई नहीं।

विदेशी छात्रों को छात्रवृत्तिवां

*१५५१. **सेठ गोविन्द दास :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने के लिये कितने विदेशी छात्रों को १९५४ में छात्रवृत्तियां तथा अन्य सुविधायें दी गई थीं ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : चार सौ तीन।

केन्द्रीय भूभौतिकीय संस्था

*१५५३. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक**

गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वर्ष पूर्व भूभौतिक योजना समिति द्वारा सरकार को दिये गये प्रतिवेदन के साथ केन्द्रीय भूभौतिक संस्था के लिये कोई योजना तैयार कर के प्रकाशित की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलना आज़ाद) : (क) यह कोई योजना न थी बल्कि केन्द्रीय भूभौतिकीय संस्था के लिये एक साधारण सी प्रारम्भिक योजना थी ।

(ख) एक केन्द्रीय भूभौतिकीय संस्था स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया है परन्तु प्रथम पंच वर्षीय योजना के काल में ऐसा करना सम्भव न था । यह निश्चय किया गया था कि अभी भिन्न भिन्न विभागों और विश्वविद्यालयों में उपलब्ध भूभौतिकीय कार्य की सुविधाओं का ही उपयोग किया जाये । द्वितीय पंच वर्षीय योजना के दौरान में केद्रीय भूभौतिकीय संस्था स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

पोर्ट ब्लेअर हाई स्कूल, अंदमान

*१५५६. **श्री भागवत झा आज़ाद :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पोर्ट ब्लेअर हाई स्कूल, अंदमान का माध्यमिक शिक्षा के केन्द्रीय बोर्ड अजमेर से १९५५ से होने वाला सम्बन्ध (एफीलियेशन) स्थगित कर दिया गया है ?

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि आठवीं श्रेणी का पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षा के केन्द्रीय बोर्ड, अजमेर के अनुसार प्रारम्भ कर दिया गया था ; और

(घ) क्या अन्दमान भारतीय सन्था (एसोसियेशन) ने इस सम्बन्ध में सरकार को कोई ज्ञापन भेजा है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) से (घ) . यह जानकारी इकट्ठी की जा रही है और बाद में सदन के सामने रख दी जायेगी ।

केन्द्रीय सचिवालय में क्लर्क

*१५६३. **श्री रामजी वर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अर्द्ध-स्थायी क्लर्कों को, असिस्टेंट बनाने के लिये, उन क्लर्कों के समान रखा है जो विभाजन से पहले स्थायी थे ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह उन क्लर्कों की सेवा की शर्तों को भंग नहीं करता जो विभाजन से पूर्व स्थायी थे ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) अप्रैल, १९५२ में सरकार ने निश्चय किया था कि स्थायी कर्मचारियों के समान अर्द्ध-स्थायी कर्मचारियों की अगले उच्च वर्ग में पदोन्नति के बारे में भी विचार किया जाना चाहिये चाहे उच्च वर्ग के लिये निर्धारित की गई कम से कम अर्हतायें उन्हें प्राप्त न हों परन्तु शर्त यह है कि वे अन्यथा ऐसी पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझे जायें ।

(ख) नहीं । समय समय पर सरकार द्वारा किये गये निश्चयों के अनुसार भर्ती और पदोन्नति की जाती है । एक नये

विनिश्चय का यह अर्थ नहीं कि पहली शर्त का उल्लघन किया गया है।

त्रिपुरा में कला अकादमी

*१५६५. **श्री दशरथ देव :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के पास त्रिपुरा में नाच, संगीत और अन्य कलाओं की एक अकादमी स्थापित करने की कोई योजना है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : नहीं, श्रीमान्।

त्रिपुरा के स्कूलों को सहायता

*१५६६. **श्रीमती सुचेता कृपलानी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में सरकारी सहायता पाने वाले स्कूलों को कितने प्रतिशत अनुदान दिया गया था ;

(ख) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में लोगों द्वारा चलाये गये स्कूलों को सरकार से कोई अनुदान नहीं मिलता क्योंकि वे व्यय के अपने भाग को पूरा नहीं कर सकते ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इसी कारण कुछ स्कूलों को बन्द करना पड़ा; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का ऐसे स्कलों के बारे में विशेष रूप से विचार करने अथवा ऐसे स्कलों को प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रबन्ध में लेने का विचार है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा पटल पर रखी जायेगी।

अफ़ीम

*१५६७. **श्री राम दास :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अफ़ीम खाने वाले व्यक्तियों की (राज्यवार) अनुमानतः कितनी संख्या है ;

(ख) देश में अफ़ीम को मुंह से खाने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रतिवर्ष अफ़ीम का अनुमानतः कितना उपभोग होता है ; तथा

(ग) अफ़ीम को मुंह से खाने पर कब तक पूर्णरूपेण नियंत्रण लग जायेगा ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) भारत के सभी राज्यों में अफ़ीम खाने वाले व्यक्तियों को पंजीबद्ध करने की कोई रीति नहीं है। अतः अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) १९५३-५४ के दौरान में भारत सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों को २,५५८ मन, ५ सेर ८ छटांक अफ़ीम संभरित की थी।

इस अफ़ीम का मुख्य भाग, अनुज्ञप्ति प्राप्त दुकानदारों द्वारा जनता को मुंह से खाने के लिये बेच देने के लिये था।

(ग) ऐसी आशा की जाती है कि मुंह से खाने के लिये अफ़ीम का राज्य सरकारों को संभरण करने का कार्य ३१ मार्च, १९५५ तक पूर्णरूप से समाप्त हो जायेगा।

विश्व पत्री सुधार

*१५७०. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या २८ अक्टूबर, १९५३ को भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव को विश्व पत्री सुधार के प्रश्न पर कोई ज्ञापन भेजा था ; तथा

(ख) यदि हां, तो उस के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) इस सुझाव पर संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद् (ईकोसोक्) ने जुलाई, १९५४ में जनेवा में होने वाले अपने अधिवेशन में सोच विचार किया था । परिषद् ने यह निश्चय किया है कि इस प्रस्थापना को विभिन्न राज्य सरकारों संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों और गैर सदस्यों को इस आशय से निर्देशित किया जाये कि वे इस पर अपने विचार प्रकट करें और ऐसा निर्णय किया है कि आगामी अधिवेशन में इस प्रस्थापना और इस के सम्बन्ध में प्राप्त हुए उत्तरों पर फिर से सोच विचार किया जाये ।

केन्द्रीय सचिवालय में क्लर्क

***१५८१. श्री रामजी वर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि केन्द्रीय सचिवालय के ऐसे स्थायी क्लर्कों को, जो कि विभाजन से पूर्व सेवा कर रहे थे, उन की सेवा के निबन्धनों और शर्तों के अधीन, सहायकों के ग्रेड में स्थायी करने के लिये, कुछ विभागीय कोटा आवंटित किया गया था ;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि सहायक-ग्रेड की प्रारम्भिक रचना में इस प्रकार का कोई भी कोटा रक्षित नहीं किया गया ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस से उनके सेवा के निबन्धनों और शर्तों का अतिक्रमण होता है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) यह सत्य है कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा की रचना से पूर्व किसी भी कार्यालय में सहायक ग्रेड में उत्पन्न होने वाले स्थायी रिक्त स्थानों का एक कोटा, उसी कार्यालय में काम करने वाले द्वितीय श्रेणी के क्लर्कों के लिये रक्षित किया गया था ।

(ख) जी हां ।

(ग) नहीं । केन्द्रीय सचिवालय सेवा के विधान को दृष्टि में रखते हुए ३० जून, १९४९ के उपरान्त सभी सम्बद्ध कार्यालयों में सहायक ग्रेड के उत्पन्न होने वाले रिक्त स्थान, ग्रेड चार के रिक्त स्थानों के रूप में संकलित कर लिए गए थे । किसी भी स्थायी द्वितीय श्रेणी के क्लर्क को, इस नूतन ग्रेड की नौकरी में स्थायी होने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है यद्यपि यह स्वीकार कर लिया गया था कि प्राथमिक रचना के उपरान्त ऐसे क्लर्कों के लिये इन रिक्त स्थानों को भरने के लिये एक विशेष कोटा रखा जायेगा ।

गोआ से चोरी छिपे माल ले जाना

***१५८३. श्री अमर सिंह डामर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोआ से आने वाले व्यक्तियों के पास से १९५३–५४ में कितना सोना बरामद किया गया ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० मुह) : गोआ से आने वाले व्यक्तियों के पास से १९५३–५४ में लगभग ९,२९४ तोला सोना बरामद किया गया ।

भुतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियों में स्मारक

***१५८४. श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियों के यथार्थ रूप में स्थानान्तरण के उपरान्त, वहां के प्राचीन स्मारकों और ऐतिहासिक तथा

पुरातत्व संबंधी स्मृतिशेषों का प्रशासन कार्य, भारत सरकार ने ले लिया है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : अभी नहीं, श्रीमान् ।

त्रिपुरा में माध्यमिक विद्यालय

४६१. **श्री बीरेन दत्त** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आदिम जाति के ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिन्हें त्रिपुरा के माध्यमिक विद्यालयों में प्रवेश नहीं मिल सका है; और

(ख) वहां पर गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा जारी रखने के उद्देश्य से अनुदानों के लिये, आदिम जातीय विद्यार्थियों से, शिक्षा संचालक को कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं ; तथा

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) त्रिपुरा सरकार से ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आयी है कि वहां पर माध्यमिक विद्यालयों में किन्हीं आदिम जातीय विद्यार्थियों को प्रवेश प्राप्त नहीं हो सका ।

(ख) विद्यालय छात्र-वृत्तियों के लिये ४३ प्रार्थनापत्र, पुस्तक-अनुदानों के लिये ६ प्रार्थनापत्र, और पाठशालाओं के अन्तिम परीक्षा-शुल्कों के लिये एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है ।

(ग) पाठशालाओं की अन्तिम परीक्षा के शुल्कों की अदायगी और पाठ्य पुस्तकों के क्रय के लिये वित्तीय सहायता दी गयी है । पाठशाला-वृत्तियों के लिये आए हुए प्रार्थनापत्र अभी राज्य सरकार के विचाराधीन हैं

अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा

४६२. **श्री बीरेन दत्त** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सत्य है कि त्रिपुरा राज्य सरकार ने ऐसी घोषणा की है कि त्रिपुरा के सभी राजकीय कालिजों और स्कूलों में पढ़ने वाले अनुसूचित जातियों के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दी जायेगी ;

(ख) क्या इस घोषणा के तीन मास उपरान्त अधिकारियों ने विद्यार्थियों से पिछला देयधन फिर से मांग लिया है और उन्हें यह कहा गया है कि या तो इस का भुगतान करें या संस्थाओं को छोड़ जायें ;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार की कार्यवाही के कारण क्या हैं ; तथा

(घ) क्या सरकार इन विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा जारी रखेगी ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) राज्य सरकार को ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) उपरोक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) सरकार उन विद्यार्थियों को तब तक निःशुल्क शिक्षा देती रहेगी, जब तक वह ऐसा करना आवश्यक समझेगी ।

त्रिपुरा में कोयले के निक्षेप

४६३. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा राज्य में कोयले के निक्षेप पाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो किस किस स्थान पर पाये गये हैं ; तथा

(ग) क्या इन्हें किन्हीं निजी समवायों को पट्टे पर दे दिया जायेगा अथवा सरकार स्वयं यहां पर कार्य प्रारम्भ करेगी ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद): (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण यहां सम्बद्ध है। [**देखिये** परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या १०]

भवनों की सुरक्षा

४६४. **सेठ गोविन्द दास :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार का विचार उस भवन को पुरातत्व विभाग की सुरक्षा के अधीन लाने का है जहां कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद): नहीं ।

अगरतला में सभा का आयोजन

४६५. **श्री बोरेन दत्त :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक संसद् सदस्य ने त्रिपुरा के जिलाधीश से इस बात की अनुज्ञा मांगी थी कि उन्हें २४ फरवरी, १९५५ को अगरतला, त्रिपुरा के बाल पार्क अथवा और किसी सार्वजनिक ग्रांउड में एक सार्वजनिक सभा करने की अनुमति दी जाये ;

(ख) क्या उन्होंने इस बात का विशेष उल्लेख किया था कि वह इस सभा में अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के सम्मुख भाषण देंगे ;

(ग) क्या जिलाधीश ने अनुमति नहीं दी थी ; तथा

(घ) क्या यह सत्य है कि उस पार्क में पहले कई अवसरों पर कांग्रेस और कांग्रेस की पक्षपाती संस्थाओं को सभा करने की अनुमति मिल चुकी है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी हां । इसलिये कि राज्य सरकार की ऐसी नीति है कि बाल पार्क जैसी सार्वजनिक ग्रांउंडों में राजनीतिक बैठकें करने की अनुमति न दी जाये ।

(घ) जी, नहीं ।

विधेयकों को राष्ट्रपति की अनुमति

४६६. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संविधान के प्रवर्तन के समय से लेकर, भाग 'ग' राज्यों की विधान सभाओं द्वारा पारित किये गये ऐसे विधेयकों की वर्ष-वार और राज्यवार संख्या कितनी है, जो संविधान के अनुच्छेद २०१ के अन्तर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिये रक्षित किये गये थे ;

(ख) ऐसे कितने विधेयक हैं जिन्हें इस लिये वापिस लौटा दिया गया था कि उन पर राज्य विधान की दोनों सभाएं फिर से विचार करें ; तथा

(ग) क्या कोई ऐसा विधेयक है जिसे अन्त में राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त नहीं हुई ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये** परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ११]

(ख) १३ (जिन में से ४ विधेयक ऐसे राज्यों से सम्बन्ध रखते हैं जिन में विधान की केवल एक ही सभा है) ।

(ग) जी, हां ।

(१) आसाम गैर-कृषि नागरीय क्षेत्र काश्तकारी विधेयक, १९५० ।

(२) बिहार अत्यावश्यक पण्य नियंत्रण (अस्थायी अधिकार) संशोधन विधेयक, १९५४ ।

चलार्थ नोट

४६७. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक रुपये के तथा अधिक मूल्यों के ऐसे नोटों की क्रमशः कितनी संख्या है जिन के लिये १९५४–५५ में विशेष प्रकार का कागज खरीदा गया था ; तथा

(ख) इस प्रकार से खरीदे गये कागज पर कितना खर्च आया था ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) क्रमशः ११,५६० तथा १२,२३० लाख ।

(ख) क्रमशः ५२·५९ लाख तथा १०२,६० लाख रुपया ।

खनिजों का सर्वेक्षण

४६८. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **प्राकृतिक, संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के भूगर्भीय विभाग ने उन विभिन्न भाग 'ख' और 'ग' राज्यों की, जो देशी राज्यों के भाग थे, खनिज सम्पत्ति का अनुमान लगाने के कोई प्रयत्न किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस का क्या परिणाम निकला ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) तथा (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सम्बद्ध है । [**देखिये** परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या १२]

लोक सभा

वाद-विवाद

(भाग २--प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

(खंड २, १९५५)

(१४ मार्च से ३१ मार्च १९५५)

1st Lok Sabha

नवम सत्र, १९५५

(खंड २ में अंक १६ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली।

विषय-सूची

(खण्ड २, अंक १६ से ३०--१४ मार्च से ३१ मार्च, १९५५)

अंक १६--सोमवार, १४ मार्च, १९५५

	स्तम्भ
राजा त्रिभुवन का निधन	१४८१--८४
संविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव असमाप्त . . .	१४८४--१५७८
श्री जवाहरलाल नेहरू	१४८४--९८
श्री एन० सी० चटर्जी	१४९९--१५०५
श्री एच० एन० मुकर्जी	१५०६--१२
श्री अशोक मेहता .	१५१२--१८
श्री पाटस्कर . .	१५१८--४७
श्री फ्रैंक एन्थनी	१५४७--५२
डा० कृष्णस्वामी . .	१५५२--५९
श्री सी० सी० शाह . . .	१५५९--६७
श्री वी० जी० देशपांडे . .	१५६७--७८

अंक १७--मंगलवार, १५ मार्च, १९५५

राज्य-सभा से संदेश . .	१५७९--८०
पटल पर रखा गया पत्र--	
लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन (डाक व तार), १९५५, भाग १ .	१५८०
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति--आठवां प्रतिवेदन----उपस्थापित	१५८०
संविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक संयुक्त समिति को सौंप गया	१५८०--१६८२
श्री वी० जी० देशपांडे . .	१५८१--८४
श्री गाडगील .	१५८४--८९
श्री तुलसीदास	१५८९--९६
श्री यू० एम० त्रिवेदी	१५९६--९९
श्री वेंकटरामन	१५९९--१६०५
पण्डित ठाकुर दास भार्गव .	१६०५--१८
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी	१६१८--२२
श्री पुन्नूस	१६२२--२६

स्तम्भ

श्री बी० एस० मूर्ति . . . . . १६२६—२८
श्री पी० एन० राजभोज . . . . . १६२८—३५
श्री टी० टी० कृष्णमाचारी . . . . . १६३५—५३
श्री बर्मन . . . . . १६५३—५५
श्री एस० एन० दास . . . . . १६५५—६१
श्री राघवाचारी . . . . . १६६१—६३
श्री जवाहरलाल नेहरू . . . . . १६६३—७९

अत्यावश्यक पण्य विधेयक—

प्रवर समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित . . १६८२

अंक १८—बुधवार, १६ मार्च, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—

कलकत्ता बन्दरगाह में काम बन्द हो जाना १६८३

पटल पर रखे गये पत्र—

जापान के रेशम उद्योग के बारे में समाचार पत्रिका . . १६८४

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम के अधीन अधिसूचना १६८४

राज्य सभा से सन्देश . . १६८४-८५

हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षता विधेयक—

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन पटल पर रखा गया . . . १६८५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—तेईसवां प्रतिवेदन

—उपस्थापित १६८५

गेहूं के लाने ले जाने पर से प्रतिबन्धों को हटाने के बारे में वक्तव्य . . १६८५—८७

१९५५-५६ का सधारण आय-व्ययक—

सामान्य चर्चा—असमाप्त . . . . १६८७—१७७०

अंक १९—गुरुवार, १७ मार्च, १९५५

राज्य सभा से सन्देश . १७७१—७२

अनुपस्थिति की अनुमति . . १७७२—७३

१९५५-५६ का साधारण आय-व्ययक—

सामान्य चर्चा—असमाप्त १७७३—१८५६

अंक २०—शुक्रवार, १८ मार्च, १९५५ । स्तम्भ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
पांडिचेरी में हड़ताल . . . . . १८५७—६३
१९५५-५६ का साधारण आय-व्ययक—
सामान्य चर्चा—असमाप्त . . . . १८६३—१९०१
गैर-सरकारी विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
तेईसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत . . . . . १९०१—०२
भारतीय कार्मिक संघ (संशोधन) विधेयक—
(नई धारा १५क का रखा जाना)—विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत १९०२—३३
श्री टी० बी० विट्ठल राव . . . १९०२—०५
श्री डी० सी० शर्मा . . . . १९०५—०९
श्री केशवैयंगार . . . . १९०९—१२
श्री साधन गुप्त . . . . १९१२—१५
श्री आर० आर० शास्त्री . . १९१५—२४
डा० सत्यवादी . १९२५—२७
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती . . १९२७—२८
श्री खंडूभाई देसाई . . . १९२८—३२
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक (धारा ५ का संशोधन)—
परिचालित करने का प्रस्ताव—असमाप्त १९३३—४६
श्री यू० सी० पटनायक . . . १९३३—३९
श्री बोगावत . . . . . १९३९—४१
श्री शिवमूर्ति स्वामी . . . . १९४१—४६
श्री भागवत झा आज़ाद . १९४६

अंक २१—शनिवार, १९ मार्च, १९५५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
कलकत्ता पत्तन में हड़ताल . . १९४७—४९
पटल पर रखे गये पत्र—
खनिज संरक्षण तथा विकास नियम, १९५५ . . . १९४९
१९५५-५६ का साधारण आय-व्ययक—
सामान्य चर्चा—असमाप्त . . १९५०—२०७५
राज्य सभा से सन्देश . २०७५—७८

अंक २२—सोमवार, २१ मार्च, १९५५ स्तम्भ

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति २०७७

१९५५-५६ के लिये साधारण आय-व्ययक—

सामान्य चर्चा—समाप्त . . . . . २०७७—२१२९

अत्यावश्यक पण्य विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . २१२९—२१७५

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी . . २१२९—३४, ३५

श्री अमजद अली . . २१३४—३५

श्री यू० एम० त्रिवेदी . . २१३५—३९

श्री वेंकटरामन् २१३९—४३

कुमारी एनी मैस्करीन . . . . २१४३—४५

पंडित ठाकुर दास भार्गव . . . २१४५—६२

श्री तुषार चटर्जी . . . . . २१६२—६४

डा० सुरेश चन्द्र . . . . . २१६४—६८

श्री राघवाचारी . . . . . २१६८—७०

श्री नन्द लाल शर्मा . . . . . २१७०—७२

श्री कानूनगो . . . . . २१७३—७५

खण्ड २ से ७क . . . . . २१७५—९०

अंक २३—मंगलवार, २२ मार्च, १९५५

राज्य सभा से सन्देश . . . . . २१९१—९३

फ्रन्टियर मेल की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य . . . . २१९३—९४

अत्यावश्यक पण्य विधेयक—संशोधित रूप में पारित . . . २१९४—२२०२

खण्ड १ और ८ से १५ . . . . . २१९४—२२०२

पारित करने का प्रस्ताव २२०२

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी २२०२

१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—

मांग संख्या ९९—निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय . . २२०३—८८

मांग संख्या १००—संभरण . . . २२०३—४६

मांग संख्या १०१—अन्य असैनिक निर्माण-कार्य . . २२०३—४६

मांग संख्या १०२—लेखन-सामग्री तथा मुद्रण . . . २२०३—४६

मांग संख्या १०३—निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय २२०३—४६

	स्तम्भ
मांग संख्या १३६—नई दिल्ली पर पूंजी व्यय .	२२०३—४६
मांग संख्या १३७—भवनों पर पूंजी व्यय . . .	२२०३—४६
मांग संख्या १३८—निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	२२०३—४६
मांग संख्या ६४—श्रम मंत्रालय .	२२४५—८८
मांग संख्या ७०—मुख्य खान निरीक्षक . .	२२४५—८८
मांग संख्या ७१—श्रम मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय .	२२४५—८८
मांग संख्या ७२—काम दिलाऊ दफतर तथा पुनस्संस्थापन .	२२४५—८८
मांग संख्या ७३—अर्सैनिक रक्षा .	२२४५—८८
मांग संख्या १२९—श्रम मंत्रालय का पूंजी व्यय .	२२४५—८८
कोयला खानों में दुर्घटनायें . .	२२८७—९८

अंक २४—बुधवार, २३ मार्च, १९५५

पटल पर रखे गय पत्र—

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के ३७वें अधिवेशन में गये हुए भारत सरकार के प्रतिनिधि मण्डल का प्रतिवेदन . . .	२२९९
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
चौबीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . .	२२९९
संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	२३००
सभा का कार्य . . .	२३००—०२
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—	२३०२—२४२०
मांग संख्या ६९—श्रम मंत्रालय . .	२३०२—३६
मांग संख्या ७०—मुख्य खान निरीक्षक . .	२३०२—३६
मांग संख्या ७१—श्रम मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय .	२३०२—३६
मांग संख्या ७२—काम दिलाऊ दफ्तर तथा पुनस्संथापन.	२३०२—३६
मांग संख्या ७३—अर्सैनिक रक्षा . .	२३०२—३६
मांग संख्या १२९—श्रम मंत्रालय का पूंजी व्यय .	२३०२—३६
मांग संख्या ९०—पुनर्वास मंत्रालय . .	२३०२—३६
मांग संख्या ९१—विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय	२३३६—२४२०
मांग संख्या ९२—पुनर्वास मंत्रालय के अधीन विविध व्यय .	२३३६—२४२०
मांग संख्या १३२—पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी व्यय	२३३६—२४२०

अंक २५—गुरुवार, २४ मार्च, १९५५ ।

स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या २३३ के उत्तर की शुद्धि २४२१

मद्यसारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) नियंत्रण विधेयक—

पुरःस्थापित . . २४२१—२२

१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें— २४२२—२५५४

मांग संख्या ९०—पुनर्वास मंत्रालय . २४२२—४०

मांग संख्या ९१—विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय . . २४२२—४०

मांग संख्या ९२—पुनर्वास मंत्रालय के अधीन विविध व्यय २४२२—४०

मांग संख्या १३२—पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी व्यय २४२२—४०

मांग संख्या ४१—खाद्य तथा कृषि मंत्रालय २४३९—२५५४

मांग संख्या ४२—वन २४३९—२५५४

मांग संख्या ४३—कृषि . . . २४३९—२५५४

मांग संख्या ४४—असैनिक पशु-चिकित्सा सेवायें . . . २४३९—२५५४

मांग संख्या ४५—खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय . . . . २४३९—२५५४

मांग संख्या १२१—वनों पर पूंजी व्यय . . २४३९—२५५४

मांग संख्या १२२—खाद्यान्नों का क्रय . . . २४३९—२५५४

मांग संख्या १२३—खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय २४३९—२५५४

अंक २६—शुक्रवार, २५ मार्च, १९५५ ।

१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें— . २५५६—९६,२६१०-११,२६५९—६४

मांग संख्या ४१—खाद्य तथा कृषि मंत्रालय . २५५६—६८

मांग संख्या ४२—वन . . . २५५६—६८

मांग संख्या ४३—कृषि . . . . . २५५६—६८

मांग संख्या ४४—असैनिक पशु-चिकित्सा सेवायें . . . २५५६—६८

मांग संख्या ४५—खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय . २५५६—६८

मांग संख्या १२१—वनों पर पूंजी व्यय . . २५५६—६८

मांग संख्या १२२—खाद्यान्नों का क्रय . . . . २५५६—६८

मांग संख्या १२३—खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय . २५५६—६८

मांग संख्या ११—रक्षा मंत्रालय . २५६९—९६,२६१०—११,२६५९—६४

मांग संख्या १२—रक्षा सेवायें, क्रियाकारी सेना . २५६९—९६,२६१०—११,२६५९—६४

मांग संख्या १३—रक्षा सेवायें, क्रियाकारी-नौ सेना २५६९—९६,२६१०—११,२६५९—६४
मांग संख्या १४—रक्षा सेवायें, क्रियाकारी—वायु बल २५६९—९६,२६१०—११,२६५९—६४
मांग संख्या १५—रक्षा सेवायें, अक्रियाकारी व्यय २५६९—९६,२६१०—११,२६५९—६४
मांग संख्या १११—रक्षा पूंजी व्यय . २५६९—९६,२६१०—११,२६५९—६४
संसद्-सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक—पारित २५९७—२६१,०२६११—१६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—चौबीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत २६१६

श्रमिकों द्वारा सामूहिक संपणन के बारे में संकल्प—अवरुद्ध . . २६१६—१९
मूल्यों के असंतुलन के बारे में संकल्प—अवरुद्ध . . २६१९—२५
नदी घाटी योजनाओं के बारे में संकल्प—
वापिस लिया गया . . . २६२५—६०

अंक २७—सोमवार, २८ मार्च, १९५५ ।

पटल पर रखे गये पत्र—
भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् का १९५२-५३ के लिये वार्षिक प्रतिवेदन २६६५
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . . २६६५—६६
राज्य सभा से सन्देश . . . २६६६—६७
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें— . . . २६६८—२७७६
मांग संख्या ११—रक्षा मंत्रालय . . २६६८—२७७६
मांग संख्या १२—रक्षा सेवायें, क्रियाकारी-सेना . . २६६८—२७७६
मांग संख्या १३—रक्षा सेवायें, क्रियाकारी नौ सेना . २६६८—२७७६
मांग संख्या १४—रक्षा सेवायें, क्रियाकारी वायुबल . २६६८—२७७६
मांग संख्या १५—रक्षा सेवायें, अक्रियाकारी व्यय २६६८—२७७६
मांग संख्या १११—रक्षा पूंजी व्यय . . २६६८—२७७६

अंक २८—मंगलवार, २९ मार्च, १९५५ ।

पटल पर रखे गये पत्र—
आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण . २७७७-७८
आंध्र के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा . . २७७८
राज्य सभा से सन्देश . . . २७७८-७९
वित्त विधेयक—याचिका उपस्थापित . २७७९

	स्तम्भ
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—	२७७९—२८९४
मांग संख्या ११—रक्षा मंत्रालय . . .	२७८१—२८००
मांग संख्या १२—रक्षा सेवायें क्रियाकारी सेना . . .	२७८१—२८००
मांग संख्या १३—रक्षा सेवायें, क्रियाकारी नौसेना	२७८१—२८००
मांग संख्या १४—रक्षा सेवायें क्रियाकारी—वायु बल	२७८१—२८००
मांग संख्या १५—रक्षा सेवायें अक्रियाकारी व्यय	२७८१—२८००
मांग संख्या १११—रक्षा पूंजी व्यय	२७८१—२८००
मांग संख्या ५—संचार मंत्रालय	२७९९—२८९४
मांग संख्या ६—भारतीय डाक तथा तार विभाग (कार्यवहन व्यय सहित) . .	२७९९—२८९४
मांग संख्या ७—अन्तरिक्ष विज्ञान .	२७९९—२८९४
मांग संख्या ८—समुद्र पार संचार सेवा	२७९९—२८९४
मांग संख्या ९—उड्डयन	२७९९—२८९४
मांग संख्या १०—संचार मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	२७९९—२८९४
मांग संख्या १०८—भारतीय डाक तथा तार घर पूंजी व्यय (राजस्व से न देय) . . .	२७९९—२८९४
मांग संख्या १०९—असैनिक उड्डयन पर पूंजी व्यय	२७९९—२८९४
मांग संख्या ११०—संचार मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	२७९९—२८९४

अंक २९—बुधवार, ३० मार्च, १९५५ ।

राज्य सभा से सन्देश	२८९५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
पच्चीसवां प्रतिवेदन —उपस्थापित	२८९५
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—	२८९५—२९१८
मांग संख्या ५—संचार मंत्रालय	२८९५—२९१४
मांग संख्या ६—भारतीय डाक तथा तार विभाग (कार्यवहन व्यय सहित) .	२८९५—२९१४
मांग संख्या ७—अन्तरिक्ष विज्ञान .	२८९५—२९१४
मांग संख्या ८—समुद्र पार संचार सेवा	२८९५—२९१४
मांग संख्या ९—उड्डयन	२८९५—२९१४
मांग संख्या १०—संचार मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	२८९५—२९१४
मांग संख्या १०८—भारतीय डाक तथा तार पर पूंजी व्यय (राजस्व से न देय) . .	२८९५—२९१४
मांग संख्या १०९—असैनिक उड्डयन पर पूंजी व्यय	२८९५—२९१४
मांग संख्या ११०—संचार मंत्रालय पर अन्य पूंजी व्यय .	२८९५—२९१४

	स्तम्भ
मांग संख्या ४६—स्वास्थ्य मंत्रालय	२९१४—४७
मांग संख्या ४७—चिकित्सा सेवायें	२९१४—४७
मांग संख्या ४८—लोक स्वास्थ्य	२९१४—४७
मांग संख्या —स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय .	२९१४—४७
मांग संख्या १२४—स्वास्थ्य मंत्रालय का पूंजी व्यय . .	२९१४—४७
मांग संख्या ७६—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय .	२९४७—९८
मांग संख्या ७७—भारतीय भू-परिमाप . . .	२९४७—९८
मांग संख्या ७८—वानस्पतिक सर्वेक्षण . .	२९४७—९८
मांग संख्या ७९—प्राणकीय सर्वेक्षण .	२९४७—९८
मांग संख्या ८०—भूतत्वीय सर्वेक्षण .	२९४७—९८
मांग संख्या ८१—खानें . . .	२९४७—९८
मांग संख्या ८२—वैज्ञानिक गवेषण	२९४७—९८
मांग संख्या ८३—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय . .	२९४७—९८
मांग संख्या १३०—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय का पूंजी व्यय	२९४७—९८

अंक ३०—गुरुवार, ३१ मार्च, १९५५ ।

पटल पर रखे गये पत्र—	
समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . .	२९९९
राज्य सभा से सन्देश	२९९९—३०००
वित्त आयोग (विविध उपबन्ध) संशोधन विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया	३०००
हैदराबाद निर्यात शुल्क (मान्यीकरण) विधेयक—पुरःस्थापित . .	३०००-०१
रेलवे सामान (अवैध कब्जा) विधेयक—	
प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . . .	३००१
सरकारी भूगृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक—प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय में वृद्धि . .	३००१-०२
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—	
मांग संख्या २१—आदिम जाति क्षेत्र .	३००१—८२,३०८२—३१००
मांग संख्या २२—वैदेशिक कार्य . .	३००१—८२,३०८२—३१००
मांग संख्या २३—पांडिचेरी राज्य . .	३००१—८२,३०८२—३१००
मांग संख्या २४—वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	३००१—८२,३०८२—३१००
मांग संख्या ११३—वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय	३००१—८२,३०८२—३१००
संविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . . .	३०८२

GIPD—HS—41 LSL—13-8-55—240

लोक सभा

सोमवार, २८ मार्च १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

---

१२ बजे मध्याह्न

पटल पर रखे गये पत्र

भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् का १९५२-५३ के लिए वार्षिक प्रतिवेदन

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० डी० कृष्णप्पा) : मैं १९५२-५३ सम्बन्धी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस--९४५५]**

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

सचिव : श्रीमान्, मुझे सभा को यह सूचित करना है कि राष्ट्रपति ने इन विधेयकों के सम्बन्ध में जो चालू सत्र में संसद् की सभाओं द्वारा पारित किए गए हैं, अनुमति प्रदान की है :

१. विनियोग (रेलवे) विधेयक, १९५५ ।

२. विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक, १९५५ ।

३. विनियोग विधेयक १९५५ ।

४. विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९५५ ।

राज्य सभा से सन्देश

सचिव : श्रीमान् मुझे राज्य-सभा के सचिव से प्राप्त हुए इस संदेश को सूचित करना है :

"मुझे लोक-सभा को यह सूचित करने का आदेश दिया गया है कि राज्य-सभा २५ मार्च, १९५५ की अपनी बैठक में हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक १९५४, को सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपे जाने के संलग्न प्रस्ताव को पारित कर के उक्त प्रस्ताव में लोक-सभा से सहमति दिये जाने और उक्त संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले लोक-सभा के सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करने की प्रार्थना करती है ।"

प्रस्ताव

"कि हिन्दुओं में इच्छापत्रहीन उत्तराधिकार सम्बन्धी विधि को संशोधित और संहिताबद्ध करने वाले विधेयक को सभाओं की ४५ सदस्यों की एक संयुक्त समिति को

[सचिव]

सुपुर्द किया जाय; इस सभा के १५ सदस्य यह हैं :

१. डा० श्रीमती सीता परमानन्द,
२. श्री के० पी० माधवन नायर,
३. श्रीमती सावित्री देवी निगम,
४. श्री राजेश्वर प्रसाद नारायण सिन्हा,
५. श्री अवधेश प्रताप सिंह,
६. श्री ओंकार नाथ,
७. श्री देवकीनन्दन नारायण
८. पंडित श्याम सुन्दर दारायण तन्खा,
९. श्री वी० एम० सुरेन्द्र राम,
१०. श्री आदित्येन्द्र,
११. श्रीमती पार्वती कृष्णतन्,
१२. श्री राजेन्द्र प्रताप सिन्हा,
१३. श्री टी० वी० कमलास्वामी,
१४. श्री पी० एस० राजगोपाल नायडू,
१५. श्री अमोलक चन्द,

और लोक-सभा से ३० सदस्य,

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई होगी;

कि अन्य विषयों में, प्रवर समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम, ऐसे परिवर्तनों तथा रूपभेदों के साथ जो अध्यक्ष करें, लागू होंगे;

कि यह सभा लोक-सभा से सिफारिश करती है कि वह उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और लोक सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे; और

कि यह समिति १ अगस्त, १९५५ तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करे ।"

१९५५-५६ के लिए अनुदानों की मांगें

रक्षा-मंत्रालय सम्बन्धी मांगे

अध्यक्ष महोदय : अब रक्षा मंत्रालय संबंधी अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा होगी । इस मंत्रालय की मांगों के लिये आवंटित आठ घंटों में से लगभग १ घंटा ४० मिनट का समय शुक्रवार २५ मार्च, १९५५ को लिया जा चुका है और अब ६ घंटे २० मिनट शेष हैं ।

हमें आज अब से सायंकाल के पांच बजे तक लगभग ५ घंटे मिलेंगे । यदि सभा सहमत हो, तो हम आध घंटा और बढ़ा दें और रक्षा मंत्री कल उत्तर दें । वह पूरा एक घंटा ले सकते हैं । क्या सभा इस से सहमत है ?

अनेक माननीय सदस्य : हां ।

एक माननीय सदस्य : कितने सदस्य भाग लेंगे :

अध्यक्ष महोदय : जो भी भाग लें, वह १५ से २० मिनट के नियम अधीन होंगे । किन्तु जब मंत्री महोदय उत्तर देंगे तो उन्हें एक घंटा समय लेने का पूरा अधिकार होगा। किसी भी काम को २० मिनट से अधिक समय नहीं मिलेगा, १५ मिनट की सामान्य समय-सीमा है ।

श्री डी० सी० शर्मा (होशियारपुर) : मैं उन दो बातों का निर्देश करना चाहता हूं जिन का निर्देश सभा के एक माननीय सदस्य ने किया है । एक बात यह है कि कुछ रक्षा-कर्मचारी रद्दी बैरकों में रह रहे हैं ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

मैं सिद्धान्ततः यह पसन्द नहीं करता हूं कि लोग रद्दी बैरकों में रहें और इसलिये रक्षा मंत्रालय इन बैरकों को तोड़ कर दे। मेरे विचार से रक्षा मंत्रालय उन नियमों को पुनः परीक्षण करे जिन के अनुसार हमें किसी बैरक को अथवा स्थान को रद्दी घोषित करने अथवा न करने का अधिकार होता है।

दूसरी बात यह है कि एक माननीय सदस्य ने यह उल्लेख किया था कि भारतीय सशस्त्र बलों का लोकतन्त्रीकरण होना चाहिये। मैं कह सकता हूं कि यदि भारत में ऐसी कोई सेवा है जो अपनी रचना में और कार्यों में लोकतन्त्र का प्रतिनिधित्व करती है तो वह सशस्त्र बल ही है। हमारे सशस्त्र बलों में सभी वर्ग विभेद और प्रादेशिक विभेद समाप्त कर दिये गये हैं। मैं ने जवानों से ले कर बड़े बड़े पदाधिकारियों को एक दूसरे के प्रति इस प्रकार व्यवहार करते देखा है जो भारत की अन्य सेवाओं के लिये नमूना बन सकता है। हमारे सशस्त्र बलों में भाई चारे की और मित्रता की भावनायें बहुत ऊंचे स्तर पर हैं। मैं देखता हूं कि भारतीय सेना का बहुत शीघ्र राष्ट्रीयकरण हो रहा है और प्रत्येक भारतीय को उस पर गर्व है। अब भारतीय विमान बल एक भारतीय के अधीन है। मैं यह भी देखता हूं कि सेना में खादी का उपयोग प्रारम्भ हो रहा है। इन सब बातों से मुझे प्रसन्नता है। किन्तु इन सब बातों के बावजूद, मैं एक प्रश्न पूछता हूं : क्या हमारे सशस्त्र बल इस समय स्वतन्त्र भारत के उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिये पर्याप्त हैं? मैं जानता हूं कि हमें सुरक्षा समस्याओं को अन्तर्राष्ट्रीय संदर्भ में अपने पड़ौसी देशों की आवश्यकताओं और अपने देश की आवश्यकताओं के संदर्भ में देखना होगा। उस दृष्टिकोण से हमें यह कहना पड़ता है कि हमारे रक्षा बल कर्मचारियों, साधन सामग्री प्रशिक्षण और अन्य प्रत्येक बात के विषय में पर्याप्त नहीं है। मैं रक्षा मंत्री से पूछता हूं कि क्या हम इस तथ्य के प्रति जागरूक हैं कि हम आणविक युग में रह रहे हैं। ब्रिटेन के युद्ध सचिव ने कहा है कि हम अपनी सेना, नौ सेना और वायु सेना को आणविक युग के अनुरूप बना रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि हमारी सेना ने आधुनिक विकास के साथ साथ कदम नहीं रखा है और यह संतोषजनक बात नहीं है। सहायक छात्र सैनिक दल और राष्ट्रीय-छात्र सैनिक दल की तैयारियां देख कर मुझे प्रसन्नता होती है किन्तु उन में छात्र-सैनिकों की संख्या संतोषजनक नहीं है, क्योंकि उन की संख्या केवल पांच लाख है। अतः मैं यह कहूंगा कि हमारे देश की रक्षा संबंधी तैयारियां पर्याप्त नहीं हैं। हमारे आयुध कारखाने क्या कर रहे हैं? हम ने एचटी २ किस्म का एक विमान तैयार किया है और उसी से बहुत संतुष्ट और प्रसन्न हो रहे हैं। मुझे प्रतिवेदन से ज्ञात हुआ है कि आयुध कारखानों में असैनिक उपयोग की चीजें तयार की जा रही हैं मैं ने सभा में यह भी सुना है कि हम विदेशों से शस्त्रास्त्र और गोलाबारूद आयात कर रहे हैं। अतः मैं यह कहूंगा कि हमारे आयुध कारखाने अधिकतम शक्ति से कार्य करें और हमारी सेना के लिये चीजें तैयार करें।

हमारे अनेक सैनिक काश्मीर और अन्य स्थानों में सेवा कर रहे हैं। क्या हम ने उन के परिवारों के लिये आवस का प्रबन्ध किया है? सैनिक कर्मचारियों और विशेषकर विवाहित पदाधिकारियों के कल्याण की ओर आज की अपेक्षा अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये।

श्री जोकमी आल्वा (कनारा) : मैं इस अवसर पर देश की रक्षा सेवाओं को

[श्री जोकीम आल्वा]

प्रशंसा करता हूं और उन के प्रति वार्षिक सम्मान प्रकट करता हूं। अब यही समय है कि हम अपनी रक्षा नीति को ठीक तौर से निर्धारित करें और यह निश्चित करें कि हमारे नौ सनिक बल, वायु बल और राष्ट्रीय सेना का क्या परिमाण होगा और हम किस प्रकार के शस्त्रास्त्रों का निर्माण करेंगे। यही समय है कि हम राष्ट्रीय रक्षा बलों की स्थापना और विकास के लिये एक दस वर्षीय योजना बनायें। हमें इसी समय एक उच्च-शक्ति प्राप्त आयोग नियुक्त करना चाहिय जो हमारे रक्षा बलों के विषय में, विशेषकर विमान बल के बारे में विचार करे जिस से कि हम यह जान सकें कि अगले दस वर्षों में हम किस किस्म के विमानों का निर्माण करेंग, इस्पात विकास कार्यक्रम को किस प्रकार एकीकृत करेंगे और देश की रक्षा के लिये क्या हम पर्याप्त विमान बना सकेंगे। य बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं और मैं चाहता हूं कि सरकार इन पर पूरी तौर से विचार करे, इस रूप में नहीं कि ब्रिटिश प्रधान सेनापति के स्थान पर अब भारतीय प्रधान सेनापति है और ब्रिटिश एडमिरल के स्थान पर भारतीय एडमिरल होंगे। हम न इन छोटी छोटी समस्याओं को एक तरह से समस्याओं सुलझा लिया है और अब हमें और भी बड़ी समस्याओं का सामना करना है।

हमारे देश का समुद्री किनारा तीन हजार मील लंबा है और क्या यह उचित समय नहीं है कि हमारे पास पनडुब्बी जहाजी बेड़ा अथवा पनडुब्बी विरोधी जहाजी बेड़ा हो? तीन चार वर्ष पूर्व मैं ने यह आवाज उठायी थी कि हमारे पास एक टैन्कर होना बहुत आवश्यक है और मुझे प्रसन्नता है कि वह खरीद लिया गया है।

अब हम इस पृष्ठभूमि में अपनी रक्षा सेवाओं का अध्ययन करें कि हमारा देश एक द्वीप बन गया है और वाशिंगटन मास्को, लन्दन, टोकियो, उस के उपनगर हैं जहां हम एक रात में पहुंच सकते हैं। इस सम्बन्ध में मैं अपने नये रक्षा मंत्री के प्रति सम्मान प्रकट करता हूं। हमें अपनी रक्षा समस्याओं को अगले दस वर्षों में सुलझाना होगा। जब तक हम अपने रक्षा कार्यक्रमों को आर्थिक कार्यक्रम के साथ एकीकृत कर के संहिताबद्ध नहीं करते हैं तब तक हमें छुटकारा नहीं मिलेगा। अब हम इस बात पर विचार करें कि विमान बल के क्षेत्र में हमारा क्या स्थान है। यदि हम लन्दन में गोलमेज सम्मेलनों में बठने का अधिकार चाहते हैं तो हमें कम से कम ब्रिटेन या कनाडा के स्तर पर रहना होगा। इसीलिये मेरा यह सुझाव है कि हमारी सेना, नौ सेना और विमान बल की स्थिति के बारे में और गंभीरता से विचार किया जाय। अब हमें अपने लड़के लड़कियों को यह सिखाना होगा कि रेडियो सक्रिय प्रकार के आक्रमणों से किस प्रकार अपनी रक्षा करनी होगी। हमें यह भी विश्लेषण करना चाहिये कि हमारे विमान बल को किस प्रकार की अन्तरिक्ष-विज्ञान सम्बन्धी सहायता प्राप्त है। और हमारे पास किस प्रकार की वेधशालायें हैं। यही समय है कि हम अपने नवयुवकों को, समुद्रशास्त्र तथा उसी प्रकार की अन्य बातों के सम्बन्ध में किये गये आधुनिकतम विकास कार्यों की शिक्षा दें। जब तक हम यह नहीं करेंगे हमारा भविष्य उज्जवल नहीं होगा।

हमारे रक्षा के प्रभार में जो व्यक्ति हैं उन को यह निर्णय करना होगा कि हम अमरीकी और ब्रिटिश ढंग पर अथवा जर्मनी ढंग के साथ रूसी ढंग पर अपने भूमि बलों को विमान बल से बिल्कुल स्वतन्त्र रखें अथवा उन के अधीन रखें। संभवतः हमें रूसी और जर्मन तरीका अपनाना होगा और अपने भूमिबलों को विमान बलों के

अधीन रखना होगा, केवल इसी कारण कि हमारा देश एक बहुत विस्तृत देश है और वह ब्रिटेन की तरह एक द्वीप नहीं है। जब तक हम इन तरीकों से आयोजन न करें हमारा गुजार नहीं हो सकता है।

हमें अपनी नौसेना को भी अपनी सेना और विमान बल का सहायक बनाना होगा। हमें अपने सशस्त्र बलों का इस प्रकार एकीकृत करना चाहिये और मंत्रालय के अधिकारियों को इस प्रकार योजना बनानी चाहिये जिस से कि हमारे पास बहुत ही श्रेष्ठ प्रकार के कनिष्ठ पदाधिकारियों, जो योग्य, देश भक्त और कार्यकुशल हों। निवृत्ति-वेतनों के संबंध में मन्त्रालय न बहुत कुछ किया है किन्तु हमें इस ओर भी ध्यान देना चाहिये कि शसस्त्र बलों के परिवार वालों की उपेक्षा न हो। सैनिक कर्मचारियों के लड़के लड़कियों के लिये प्रथम कोटि के सार्वजनिक स्कूल होने चाहियें और हमें इस के लिये धन निकालना ही होगा।

और भी कई बातों के बारे में मैं कहना चाहता हूं मैं चलते फिरते रक्षा दलों के बारे में कहना चाहता हूं। अब उद्जन बम के आतंक के दिन आयेंगे जिन से प्रलय का दृश्य इस पृथ्वी पर दिखाई पड़ेगा।

निरन्तर सोचते रहना व्यर्थ है। आगे पीछे हमें अपनी सीमायें निर्धारित करनी ही होंगी, काश्मीर के मसले पर हमें दृढ़ रहना पड़ेगा। हमारे मित्र जो हम से अलग हो गये हैं यदि वे किसी गलियारे की मांग करेंगे तो अपनी पूरी शक्ति लगा कर तथा अपने रक्त की अन्तिम बूंद तक हमें उस का विरोध करना पड़ेगा। इस के लिये हमारे पास सुसज्जित सेना, बहुत शक्ति शाली बायु बल तथा बहुत ही सतर्क और सुगठित जहाजी बेड़े की आवश्यकता है।

हमारे नये राष्ट्रीय स्वयं सेवक बल के लिये केवल ३५ लाख रुपया मंजूर किया गया है। यह बहुत कम है। हमें अपने देश के देशभक्त नवयुवकों की विस्तृत आधार पर संगठित एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय सेना की आवश्यकता है जो हमारी सेना को सहायता पहुंचा सके और आपात काल में उस का स्थान ले सके। हम पश्चिमी देशों की नकल नहीं करना चाहते हैं, परन्तु हम यह अवश्य चाहते हैं कि हमारे देश की तथा हमारी सीमाओं की रक्षा की जाये और समय आने पर छोटे, बड़े महिलायें तथा बच्चे सभी इस उत्तरदायित्व को संभाल सकें यह हर्ष का विषय है कि राष्ट्रीय छात्र सेना दल में बालिकाओं की संख्या बढ़ी है।

अमरीका और इंगलैंड हिन्दुस्तान एअरक्राफ्ट लिमिटेड के सम्बन्ध में भले ही यह कहें कि यह पूर्व में सब से उत्तम वर्कशाप है परतु हमें इस से सन्तोष नहीं होना चाहिये। हमें तो इस में अच्छे से अच्छे विमान बनाने चाहियें जैसे कि अन्य देशों में बनाये जाते हैं। हमें युवकों के दो तीन ऐसे दल बनाने चाहियें जो सामरिक बम वर्षा, तथा उच्च प्रकार की बम वर्षा कर सकें, और हमारे बड़े बड़े रिजर्व हों। हम को रूस, अमरीका इंगलैंड तथा पूर्व और पश्चिम के सभी देशों से बहुत कुछ सीखना है।

चौधरी मुहम्मद शफी (जम्मू तथा काश्मीर) : जनाब, चेयरमैन साहब, साइंस की तरक्की ने इस कदर दुनिया को तंग और बहदूद बना दिया है कि इस वक्त दुनिया के जितने भी माहरीन फ़न हैं वह इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि पुराने डिफेंस के जितने तरीके, पुराने जितने ढंग बचाव के थे और पुराने जितने भी वह ज़रिये इस्तेमाल किये जाते कसी थे मुल्क को बचाने के वह सारे के सारे खतम हो चुके हैं और अब दुनिया को नये

[चौधरी मूहम्मद शफी]

तरीके से, नये ढंग से, एक नये नजिरिये से, इस को सोचना है और देखना है, और मैं इस मौके को गनीमत जानते हुए आप के जरिये से यह सारी दुनिया के सामने रख देना चाहता हूं कि दुनिया में जंग जीतने के दो ही तरीके हैं और हिन्दुस्तान ने शुरू से ले कर आज तक वही तरीका इस्तेमाल किया है जिसे मुहब्बत का तरीका कहते हैं। प्रेम का तरीका कहते हैं, प्यार का तरीका कहते हैं। और दूसरा तरीका है नफरत का तरीका, तशद्दुद का तरीका, जब्र का तरीका और जोर का तरीका। तो इस तरह से यह दोनों तरीकों की जंग दुनिया में शुरू से ले कर आज तक चली आ रही है। जिस ने प्यार को अपनाया, सब से पहले वह दुखिया की सहायता को पहुंचा, जिस ने मुहब्बत को अपनाया सब से पहले उस ने दूसरे की मदद की और जिस ने प्रेम के इस फलसफे को अख्तयार किया उस ने अपने आप को दुःख दे कर दूसरे को सुख पहुंचा कर उस के दिल और दिमाग पर काबू पाया। दुनिया में यह तरीका बहेतरीन तरीका है और शरीफ लोगों ने इसे इस्तेमाल किया है।

दूसरा तरीका है नाजियों का, तशद्दद का और जब्र का और सब से पहले ऐसे इन्सान ने मुक्का इस्तेमाल किया। इस के बाद उसे पत्थर मिला। उसे इस्तेमाल किया, उस के बाद उसे जंगल की लकड़ी मिली, उसे इस्तेमाल किया और इस तरह वह आगे निकलता गया। उस ने बारूद मालूम किया फिर उस ने बन्दूक बनायीं, तोप बनायीं और उस के बाद साइन्स ने और तरक्की की। उस ने रायफल तैयार की। फिर स्टेन गन और हैण्ड ग्रिनेड्स बनाये और आज के जमाने में एटम बम तैयार किये गये। हाइड्रोजन बम और नाइट्रोजन बम दुनिया में तैयार हो चके हैं। लिहाजा इन दोनों तरीकों को सामने रखते हुए अगर आज दुनिया का कोई भी मुल्क यह समझे कि उसे अपने बचाव की खातिर ही सारे का सारा काम करना है तो वह बड़ी भूल में है क्योंकि दुनिया आज एक बड़े शहर की सूरत अख्तियार कर चुकी है। दुनिया में आने जाने का तरीका और लोगों तक पहुंचने के दूसरे तरीके अब तेज हो चुके हैं, इसलिये जरूरत है कि जब भी दुनिया के किसी मुल्क का कोई मसला सामने आये उसे निहायत संजीदगी और उम्दगी के साथ सोचा जाये। दुनिया में कोई भी मुल्क आज अकेला डिफैन्स नहीं कर सकता है। यही वजह है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जहां मुल्क के अन्दरूनी मुआमलात को देखते हैं उसी तरह वह मुल्क के बैरूनी मुआमलात पर वैसा ही तवज्जोह देते हैं ताकि जंग की छोटी से छोटी चिंगारी चाहे वह कोरिया में हो, फारमोसा में हो, ट्यूनेसिया में हो या किसी हिस्से में हो, वह सारी दुनिया को राख बना सकती है। इसलिये आज के सियासीन का, आज के उन लोगों का जो दुनिया को जंग से बचाना चाहते हैं सब से बड़ा काम यही होगा कि वह गांधी जी के मुहब्बत के प्रोग्राम को ले कर निकलें। मुहब्बत का मारा हुआ कौम के सामने तड़प तड़प कर मरने में फख्र समझता है और दूसरे के दिल और दिमाग को अपना बना कर उस को मजबूर करता है कि वह अपनी सारी जरूरतें उस पर कुरबान कर दे। लिहाजा आज दुनिया को सब से ज्यादा जरूरत इस बात की है कि वह जंग के खिलाफ नफरत फैलायें। जितने लोग जंग के हक में हैं उन की आवाजों को बन्द करें और जंग का नारा लगाने वाले जो लोग हैं उन की राहें बन्द कर दें और यह प्यार से हो सकता है मुहब्बत से हो सकता है जितने रूबरूस रूस के एटोमिक एनर्जी, हाईड्रोजन एनर्जी और नाईट्रोजम एनर्जी

को तरक्की देने के लिये सर्फ हो रहे हैं अगर वही रूबल्स मुहब्बत को फैलाने में खर्च हों तो दुनिया में कोई जंग का नाम लेने वाला नहीं हो सकता है । इस तरह से अमरीका के जितने डालर्स जंग पर खर्च हो रहे हैं अगर वह जंग के खिलाफ खर्च हों तो दुनिया की शक्ल ही बदल सकती है ।

मुहब्बत के शरर से दिल सरापा नूर रहता है ।
जरा से बीज से पैदा रियाजे तूर होता है ।

मुहब्बत ही एक ऐसी चीज है जिस से कौमें उठती हैं, मुहब्बत ही एक ऐसी चीज है जो कौम के अन्दर खुशी पैदा करती है, हिम्मत पैदा करती है, जोश पैदा करती है, और मौत का खौफ दूर करती है । आज की दुनिया से मौत के खौफ को निकाल देना चाहिये । साथ ही इस चीज को जान लेना चाहिये कि कुदरत ने हिन्दुस्तान को बहुत सी खूबियां दे दी हैं । उस में हिमालय पहाड़ है । उस में सहारा है और बड़े बड़े दरिया हैं और सब से बड़ी बात यह है कि यह मुल्क दूर तक देहातों में फैला हुआ है और एटम बम ऐसे बड़े बड़े मुल्कों पर नहीं पड़ सकता हैं क्योंकि उस की कीमत बहुत ज्यादा है । इस के अलावा यह एटम बम किसी शहर पर पड़ सकता है । इस एटम बम से देहात बच सकते हैं और वह हमारे यहां बचे रहेंगे । इस के साथ-साथ बेहतरीन सूरत तो जैसा कि मैंने पहले ही अर्ज किया है यह है दुनिया के अन्दर जंग के खिलाफ नफरत पैदा की जाये और लोगों का एक गिरोह तैय्यार किया जाये जो कि गांधीयन फिलासफी को ले कर सारी दुनिया को बताये कि वाकयात की रोशनी में हालात को सामने रख कर और अच्छी रीजनिंग को पेश कर के मुआमलात तय किये जा सकते हैं और वह इन्सानियत का सब से बड़ा मुकाम होगा जिस दिन इन्सान गांधी जी के तैयार किये हुए रास्ते पर चल कर तलवार से नहीं, तोप और बम से नहीं दलीलों से, अपनी अहिंसा से अपनी सदाकत से नई दुनिया बनायेंगे ।

सदर साहब, मैं इस वक्त सब से ज्यादा इस मौजूं पर नहीं कहना चाहता हूं । लेकिन इतना जरूर अर्ज करना चाहता हूं कि मगरिब के सियासीन जो कहते हैं कि वह दुनिया को तरक्की की तरफ ले जा रहे हैं दर असल वह दुनिया को तबाही की तरफ बरबादी की तरफ ले जा रहे हैं । उन्होंने कतई तौर पर गौर नहीं किया कि जितनी चीजें वह बनाते हैं वह चीजें दुनिया को हलाकत की तरफ ले जाती हैं । उन से बचने का एक ही तरीका है जो कि पुराने जमाने में इस्तेमाल करते थे । जिन्हें कहते हैं कि तहजीब नहीं थी, तमद्दुन नहीं था एक राजा सामने आ जाता और खड़ा हो जाता, दूसरे राजा को ललकारता । दोनों एक दूसरे से निपट लेते । जो जीत जायगा वह आगे जायगा या थोड़ी थोड़ी फौजें ले लेते लेकिन आज जमाना बदल गया है । आज हमले होते हैं । एक जगह पर बैठे हुए दुनिया की दूसरे हिस्से पर हमले होते हैं और बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, इसलिये आज मैं इस पार्लियामेंट के जरिये से दुनिया को कह देना चाहता हूं कि जो लोग आज वार मौंगर हैं, जो जंग को तरक्की देने वाले हैं, उन के किसी काम में हम साथ नहीं देना चाहते हैं । इस के साथ साथ यह भी कहना चाहता हूं कि :

पुरानी रिवायात से नई दुनिया की तखलीक ।
दौड़ पीछे की तरफ ए गरदिशे अयाम तू ।।

हम वही पुराना तरीका अपनायेंगे जिस में इन्सान इन्सान को इन्सान समझता था । हमारे यहां लड़ाई का वह सिलसिला नहीं था जो कि मगरिब में था । उन में और हम में यह फर्क है कि उन का यकीन बिजली पर वर्क पर है, भाप पर है, लेकिन किसी ने कितना उम्दा कहा है :

[चौधरी मुहम्मद शफी]

भूलता जाता है योरूप अपने आसमानी बाप को।
बस खुदा समझ रखा है बर्क को और भाप को।।
बर्क गिर जायेगी, भाप उड़ जायेगी, एक दिन।
देखना अकबर संभाले रखना अपने आप को।।

हम समझते हैं कि दुनिया में किसी चीज का भी मुहब्तब के सिवा कोई इलाज नहीं है। इन्सानियत के लिये और मुहब्बत के लिये गांधी जी ने अपनी जान दे कर दुनिया पर यह रोशन कर दिया है कि मुहब्बत का तरीका बहतरीन है और इसी में कामयाबी है कि दुनिया के जितने बड़े लोग हैं वह सारे वाकयात को एक जगह बैठ कर हल करें।

इस के बाद दो तीन बातें मैं अपनी फौज के बारे में अर्ज करूंगा।

हमारे फौजी जवान बेहतरीन जवान हैं और दुनिया के किसी हिस्से की फौज से कम हमारी फौज किसी सूरत में नहीं है। लेकिन इन के लिये यह जरूरी है कि जो उन की जरूरियात की चीजें हैं जो उन के अहसासात हैं, उन को पूरा पूरा अहतराम किया जाये। इस के साथ ही साथ फौज के अन्दर मजबूती के साथ डिसिपलीन कायम की जाये। मैं देखता हूं कि डिसिपलीन अब भी कायम है मगर साथ ही मैं यह भी चाहता हूं कि अगर एक सिपाही को किसी कमान्डर के खिलाफ कोई शिकायत है तो डिफैन्स मिनिस्ट्री का यह फर्ज हो जाता है कि वह फौरन उस की जांच करे और शिकायत को दूर करे।

इस के साथ ही डिफैन्स मिनिस्ट्री को अपने हर पहलू को मजबूत करना है। मैंने जहां यह कहा है कि दुनिया में डिफैन्स का तरीका बदल चुका है उस के साथ ही मैं यह भी कहता हूं कि अपनी हवाई फौजों को, अपनी जमीनी फौजों को और अपनी बहरी फौजों को हमें ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाना है और उन की डिसिप्लिन को ज्यादा से ज्यादा बना कर दुनिया की खिदमत के लिये अच्छे शहरी तैयार करने हैं।

सदर साहब, मैं इस से ज्यादा अर्ज नहीं करना चाहता हूं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं इस बजट को न ज्यादा समझता हूं और न कम समझता हूं : हमारे डिफैन्स मिनिस्टर ने जितनी चादर देखी उतनी ही पांव पसारे। इसलिये हाउस को इसे जरूर पास करना चाहिये।

इस के बाद मैं फिर अर्ज करता हूं कि जो जंग का तरीका है हमें उस को छोड़ कर गांधी जी के मुहब्बत के तरीके को इस्तेमाल करना चाहिये। जहां मैं यह कहता हूं वहां रूस वालों से मैं कहना चाहता हूं कि उन का लैनिन कार्ल मार्क्स का प्रोग्राम है। अमरीका से यह कहना चाहता हूं कि उन के यहां अब्राहम लिंकन और बुडरो विलसन का डैमोक्रेटिक प्रोग्राम है लेकिन वह चीज़ मुझ को उन के मुल्कों में नजर नहीं आती है। इस एटोमिक एनर्जी की ताकत को बढ़ाने के लिये रूस के रूबल्स और अमरीका के डालर खर्च हो रहे हैं। हिटलर जो एटोमिक एनर्जी को इस्तेमाल करना चाहता था वह तो मर गया लेकिन आज रूस और अमरीका उसे इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। हम को दुनिया को इस एटोमिक एनर्जी की तबाही से बचाना है, इसलिये जरूरी है कि मुहब्बत की फिजा पैदा की जाये।

शक्ति भी शान्ति भी भक्तों के गीत में है।
धरती के बासियों की मुक्ति प्रीत में है।।

इन अल्फाज के साथ मैं इस बजट को सपोर्ट करता हूं और मुबारकबाद पेश करता हूं।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : देश की रक्षा का प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है

जो सभी दलों के लिये महत्वपूर्ण है इसलिये इस समस्या पर मैं जो विचार उपस्थित कर रहा हूं वह किसी दल विशेष के नहीं हैं। इस सभा में अब तक जितने भाषण दिये गये हैं उन को सुनने से जान पड़ता है कि बहुत से व्यक्ति युद्ध कला में निपुण हैं इसलिये अच्छा होगा कि जो सुझाव दिये गये हैं उन पर रक्षा मंत्रालय अमल करे।

मैं एक ऐसा साधारण व्यक्ति हूं जो रक्षा के सम्बन्ध में चिन्तित तो है परन्तु सैनिक समस्याओं के सम्बन्ध में बहुत कम जानता हूं इस सम्बन्ध में मेरी समझ में तो बस उतना ही आता है जितना कि १९५३ के आयव्ययक पर बोलते हुए श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। उन्होंने कहा था कि रक्षा सशस्त्र बलों, उन के अस्त्रशस्त्रों तथा यंत्रों, देश के औद्योगिक उत्पादन और उस की आर्थिक व्यवस्था, जनता के मनोबल, अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का केवल योगमात्र है।

कुछ सदस्यों ने बचत करने पर जोर दिया है और कुछ ने रक्षा व्यय के बढ़ाये जाने पर जोर दिया है। हमें अपने किसी पड़ौसी देश पर आक्रमण नहीं करना है। इसलिये हमारा दृष्टिकोण केवल यह है कि हम अपने देश की रक्षा कर सकें। इसलिये पहले हमें यह विचार करना चाहिये कि कुशल रक्षा व्यवस्था की न्यूनतम आवश्यकतायें क्या हैं ?

इस के दो तरीके हैं, एक पश्चिमी और दूसरा पूर्वी। हम अमरीका, इंगलेंड, फ्रांस तथा रूस जैसी रक्षा व्यवस्था नहीं बना सकते हैं क्योंकि हमारी प्रति व्यक्ति आय केवल २५५ या २६० रुपये प्रति वर्ष है जब कि इन देशों की प्रति व्यक्ति आय कई गुना अधिक है, यहां तक कि यदि हम अपनी सारी राष्ट्रीय आय को भी इस में लगा दें तो भी कुछ नहीं कर सकते हैं इन दोनों देशों का मुकाबला करना तो और बात है।

अस्त्रशस्त्र के इस युग में आज विज्ञान का बोलबाला है। इसलिये यदि हम दूसरे देशों से अस्त्र शस्त्र क्रय करना चाहें तो भी हमारा काम नहीं चल सकता है। आज महाभारत वाला युग नहीं है जब एक रथी का सामना करने के लिये एक रथी और एक गदाधारी का सामना करने के लिये एक गदाधारी सामने आता था। इसलिये हमारा जैसा निर्धन, अविकसित तथा पिछड़ा हुआ देश ऐसे बड़े बड़े औद्योगिक देशों की बराबरी करने के लिये पश्चिमी तरीके को नहीं अपना सकता है।

हम तो राष्ट्र निर्माण करने वाली मदों पर ही जोर देना चाहते हैं। रक्षा विभाग हमारे लिये राष्ट्र परिरक्षण विभाग है। इसलिये हमें सोच समझ कर एक सीमा निर्धारित करनी होगी जिस के अनुसार हम राष्ट्र निर्माण तथा रक्षा की मदों में किये जाने वाले व्यय को विभाजित कर सकें। मान लीजिये हम रक्षा पर आधा व्यय करने का निर्णय करते हैं। इस रुपये से हम जो विमान या जलयान क्रय कर रहे हैं वह पश्चिमी देशों द्वारा, विज्ञान की उन्नति होने के फलस्वरूप बेकार समझे जाते हैं ऐसी वस्तुओं को यदि हम प्रशिक्षण के लिये भी काम में लायेंगे तो हमारे नवयुवकों का प्रशिक्षण नवीनतम नहीं हो पायेगा। इसलिये हमें ज्यादा जोर उन उद्योगों पर देना चाहिये जिन के द्वारा हम स्वयं अपने लिये अस्त्र शस्त्र का निर्माण कर सकें। जो रिवालवर या रायफिलें हम बनाने भी लगे हैं वे ऐसी हैं जो पश्चिमी देशों में पहले कभी काम में लायी जाती थीं या जिन को एक साधारण लुहार भी बना सकता है।

[श्री एस० एस० मोरे]

एक बार संसद् सदस्यों के लिये एक प्रदर्शन का आयोजन किया गया था । उसे मैं भी देखने गया था । परन्तु हम, चूंकि इस सम्बन्ध में कुछ जानते नहीं थे इसलिये हमारे लिये उस का वही महत्व था जो बालकों के लिये आतिशबाजी का होता है । मैं तो केवल यही कहना चाहता हूं कि हमें भारी भारी राशियां उन शस्त्रों को क्रय करने में नष्ट नहीं करनी चाहियें जिन को पश्चिमी देश पुराना और बेकार समझ कर फेंक देते हैं । ऐसे शास्त्रों के लिये अन्य देशों पर निर्भर रहने के स्थान पर हमें स्वयं ऐसे उद्योगों का विकास करना चाहिये जो हमारे लिये शस्त्र तैयार कर सकें ।

परन्तु जब कभी इस की चर्चा चलती है तो वही घिसा पिटा गोपनीयता का बहाना पेश किया जाता है : मैं कहता हूं कि सारे देश को अपने विश्वास में ले लीजिये। कल को यदि देश की स्वतन्त्रता खतरे में पड़ जायेगी तो उस की रक्षा देश का साधारण नागरिक ही करेगा । उस को सारी स्थिति साफ साफ बताइये । उस से कहिये कि जो कमी है वह उस के मनोबल से पूरी की जायेगी विदेशों से शस्त्र खरीद कर उसे पूरा नहीं किया जा सकता है । उस के मनोबाल दृढ़ बनाइये । हम लोग निर्धन हैं लेकिन हमारी युद्ध क्षमता कम नहीं है । अंग्रेजों की ओर से किराये के टट्टुओं के रूप में भी जब हम ने युद्ध में भाग लिया है तो हम ने इस का प्रमाण दिया है । जब हम अपने देश के लिये लड़ेंगे तो हमारा मनोबल और भी अधिक दृढ़ होगा ।

इतना ही नहीं हमें एक ऐसी योजना बनानी चाहिये जिस के अनुसार १८ से ले कर २४ तक के प्रत्येक लड़के लड़की को अनिवार्य रूप से सैनिक शिक्षा लेनी पड़े । देश के प्रत्येक स्वस्थ्य नागरिक को शस्त्र विद्या सिखाई जानी चाहिये । इस में किसी प्रकार की जबरदस्ती का प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि देश का बच्चा बच्चा ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहता है ।

इस के अतिरिक्त ऐसी योजना का सम्बन्ध हम अपनी परियोजनाओं से भी स्थापित कर सकते हैं । उन को बांध इत्यादि बनाने की कला भी सिखा सकते हैं । नदियों की तह में रेत जम जाती है जैसा कि मैं ने महाराष्ट्र में देखा है । इन नदियों की तह को खोद कर गहरा करने के लिये भी हम इस प्रकार के ऐच्छिक श्रम का उपयोग कर सकते हैं ।

हम को पश्चिम की नकल करने के स्थान पर स्वयं अपनी रक्षा के तरीकों का विकास करना चाहिये, ऐसे तरीकों का जो जनता के मनोबल पर आधारित हों । हमें अपने उद्योगों का विकास करना चाहिये । हम जैसे जैसे उन्नति करते जायेंगे हमारे पास हर जगह भारत की बनी हुई वस्तुयें होंगी । उस समय तक हम जनता के पास जायें और उसे यह अनुभव कराने का प्रयत्न करें कि राष्ट्र के हित के लिये युद्ध करना कितना महत्वपूर्ण है ।

श्री अलगु राय शास्त्री: सभापति महोदय, मैं, रक्षा मंत्री जी की जो मांग है, उस का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । एक तो हमारे शासन का यह विभाग जिस कुशलता से काम कर रहा है उस को देख कर प्रसन्नता होती है और इधर एक आध वर्षों में जो अपव्यय होता आ रहा है उस को बचाने की जो चेष्टा की गयी है उस से इस बात का पता चलता है कि हमारा यह विभाग तत्परता के साथ अपने कार्य का सम्पादन कर रहा है । इस विभाग की अपने खर्च में कमी करने की जो प्रवृत्ति है उस की इस से अधिक अच्छे शब्दों में मैं प्रशंसा नहीं कर सकता जैसी कि

आज के ही अखबारों न अपने मुख पृष्ठ पर की है । उन्होंने कहा है : रक्षा व्यय में पर्याप्त बचत । यह बताना है कि जिस तत्परता के साथ इस विभाग ने बचत की है वह प्रशंसनीय है । विभाग के कार्य की तत्परता का यह एक प्रमाण है । आगे यह कहा गया है : यह ज्ञात हुआ है कि यह बचत, उदाहरण के लिये, उन रक्षा भांडारों का, जो कि अन्यथा टूट फूट के रूप में बेच दिये जाते, वैकल्पिक उपयोग खोज निकालने के कारण हुई है । इस से प्रकट है कि किस तरह से इस विभाग में बचत की गई है । स विभाग में पैट्रोल बहुत काम में लाया जाता है । चालू वर्ष में केवल इसी में २७ लाख पये की बचत की गयी है और वह केवल उस के स्टोर करने और मंगाने के तरीके में सुधार कर के । इसी तरह से चालू वर्ष में और भी काफी बचत की गई है । इस विभाग में ६ करोड़ से ऊपर रुपयों की बचत हुई है । इसी प्रकार का रोज का मामूली खर्च था उस में इतनी बड़ी बचत की गई है । यह बचत दूसरे विभागों के लिये एक नमूना है । अगर हमारे शासन के अन्य विभाग भी बचत की तरफ इसी तरह निगाह डालें तो वे भी काफी बचत कर सकते हैं । अगर हम दो अरब रुपया मार्केट से ले कर लगायें तो उस के सूद से ६.३ करोड़ की रकम प्राप्त होगी । इस विभाग ने इतनी बचत की है । इस चीज को हम नगण्य नहीं मान सकते हैं । हमें यह मानना पड़ेगा कि यह विभाग तत्परता से अपना काम कर रहा है । बचत की तरफ जो इस विभाग की दृष्टि है वह इस मानी में प्रशंसनीय है कि इस सेवा में लगे हुए कर्मचारियों के वेतनों के सम्बन्ध में, उन के भत्तों के सम्बन्ध में, उन की पेन्शन के सम्बन्ध में, कमियां कर के यह बचत नहीं की गई है । उन में तो सुधार हुआ है, उन को आगे बढ़ाया गया है । जिन को पहले पांच या तीन पये पेन्शन मिलती थी आज उन को दस और बारह रुपय देन की व्यवस्था की गई है । इस को देखने से यह पता चलता है कि हमारे सैनिकों का विस्वास और उन की निष्ठा इस विभाग के प्रति बढ़ेगी ।

राष्ट्र में रक्षा का कार्य सब से बड़ा है । जब हमारे ये सैनिक संतुष्ट होंगे, जब हम उनकी मामूली आवश्यकताओं की तरफ ध्यान देंगे तो निस्सन्देह हमारा जो सैन्य बल है वह सुधरेगा और जब हमारा सैन्य बल सुधरेगा तो कोई शक्ति हमारे ऊपर आक्रमण कर के हम को दबा नहीं सकती है । जहां बचत की ओर निगाह है वहां बचत उन्हीं मदों में की गयी है कि जो लापरवाही के कारण पानी बहता था, आप टैप खोल दें, पानी बह रहा है बिला वजह उस पानी की फिक्र के उस टैप को बन्द कर दिया, रोक दिया तो वह रियल बचत कहलाती है, मगर प्यासे को पानी न दे कर बचत नहीं हुई । इस मानी में मैं इस विभाग की भूरि भूरि प्रशंसा करता हूं । मैं ने जो रिपोर्ट समरी के रूप में पढ़ी है पिछले साल की जो एक्टिविटीज हैं उन की तरफ जब निगाह डालते हैं तो सेना का जो कार्य होना चाहिये, सेना जिस दृष्टिकोण से बनाई जाती है उन सभी दृष्टिकोणों का पूरा पूरा एक उदाहरण हम को सैनिक संगठन में दिखाई पड़ता है । काश्मीर की रक्षा में हमारी सेनायें सच्ची रक्षा का कार्य कर रही हैं । कोरिया में हमारी सेनाओं और हमारे सैनिक अफसरों ने जा कर शान्ति की स्थापना में जो महान हाथ होना चाहिये था वह उन्हों-ने लगाया था, उस के लिये हमारे देश ने काफी यश कमाया । जो इंडोचाईना में कम्बोडिया लाओस और विएटनाम में जो हमारे १३० सैनिक अफसर और आठ सौ के लगभग दूसरे सैनिक परसनल काम कर रहे हैं, जो काम वे कर रहे हैं जिनिवा के निर्णय के अधीन, वह हमारे देश का गौरव बढ़ाने वाला तो है ही परन्तु सेना का जो वास्तविक स्वरूप

[श्री अलगु राय शास्त्री]

है वह भी संसार के सामने रखता है। इस में सन्देह नहीं कि अभी कल ही तो हम स्वतन्त्र हुए हैं, इस के पहले हम लोग विदेशी शासन सत्ता के अधीन थे और हमारा धन, जन, बल सब सप्रैस्ड हो गया था, और निश्चय ही हम अभी दुनिया के महान राष्ट्रों की बराबरी नहीं कर सकते और न ही हमारे पास बड़े बड़े हवाई जहाज हैं, न हमारे पास अपने बनाये हुए जलयान हैं और न अपनी बनाई हुई आदर्श बंदूकें हैं। वैसे भारत देश शस्त्र, अस्त्र वाला देश है और हमारे यहां शस्त्र, अस्त्रों की बड़ी महिमा रही है। महाभारत में और बाल्मीकी रामायण में शस्त्र, अस्त्रों का बड़ा विशद वर्णन पाया जाता है। आज हमारी वैसी अवस्था नहीं रही है और दासता के अभिशाप से अभी हाल ही में मुक्त हो पाये हैं, अभी तक हम एक दबी हुई कौम थे, अब स्वतन्त्र हो कर उभरे हैं, लेकिन इस बीच में हम ने अपने देश की एक अच्छी खासी मर्यादा संसार में स्थापित कर दी है। संसार के रंगमंच पर भारत अपनी ऊंची भावनाओं के कारण एक आदर्श बन कर सामने आ रहा है। वह आदर्श सेना के उस रूप में है जिस में कि वह शान्ति का काम करती है, लड़ने वालों से बचाने के लिये एक शक्ति है, लड़ने के लिये नहीं है। यह जो संसार में होड़ लगी है, इंगलैंड समझता है कि अगर हाइड्रोजन बम बनाने पर नियंत्रण किया गया तो हम कहीं पिछड़ न जायें। अमरीका को चिन्ता है कि रूस और चीन के सामने वह पिछड़ न जाये और नतीजा यह हो रहा है कि शेर एक दूसरे को फाड़ खाने के लिये दहाड़ रहे हैं, एक नख बढ़ाता है तो दूसरा खाने के लिये दांत बढ़ाता है, हम ऐसी दुनिया के बीच में बैठे हैं। इस में कोई सन्देह नहीं कि हमारे पास वह शक्ति नहीं है लेकिन सब से बड़ी शक्ति आत्मबल की होती है। विचारों की होती है बुद्ध भगवान के पास कोई सैन्य बल नहीं था लेकिन आज सारा चीन बुद्ध के सामने और उस की वाणी के सामने सिर झुकाता है। बड़े बड़े भयंकर शेर साधु के हाथ का इशारा पाकर शान्त हो जाते हैं और वह शक्ति है आत्मबल, और उस का उपहास नहीं किया जा सकता है और वास्तव में इसी आत्मबल का आश्रय ले कर हमारे टैक्नीशियनों की सेना ने जो काम कोरिया में और इंडोनीशिया में किया है और कर रही है वह हमारे गौरव का प्रतीक है।

इस के अलावा लार्ड वैवल के जमाने में जब ईस्ट बंगाल में कहत पड़ा, ४० लाख आदमियों की लाशें घूरों पर फूंकी गयीं, माताओं की सूखी छातियों पर बच्चे लेटे हुए सिसक सिसक कर मर रहे थ, उन सड़ती लाशों को हटाने का काम हमारे सैनिकों ने किया था और जब तक सेना वहां नहीं पहुंची थी तब तक यह कार्य पूरा नहीं हुआ था। आज हमारी सेना के सामने वह लक्ष्य है। हमारी आर्डिनेंस फैक्टरीज न केवल अपनी आवश्यक सामग्रियों के उत्पादन में लगी हुई हैं, लेकिन बचे हुए समय में ऐसी सामग्री के उत्पादन में भी लगी हुई हैं जिन का उपयोग साधारण जनता के लिये है और साधारण कामों के लिये है और उस में हम जहां पहले ७५ और ८० यूनिट माल पैदा करते थे वहां अब ३०० यूनिट माल पैदा किया है। यह सेना का रूप होना चाहिये और इस देश में जिस का ट्रेडिशन रहा है कि हम पर यदि कोई आक्रमण करेगा तो हम उस से अपनी रक्षा करेंगे। हम काश्मीर में अपने उस आदर्श को दिखला रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम उस से हट जायें या भाग जायें, हम मोम की तरह नहीं हैं कि पिघल जायें, अगर कोई आक्रमण करेगा तो हम उस का मुकाबला करने में पीछे नहीं रहेंगे। हमारी नीति आक्रमणकारी नहीं है और हम अपने राष्ट्र का विस्तार

करने के लिये दूसरों पर आक्रमण करने के लिये लालायित नहीं हैं और न ही इस उद्देश्य से हम अपना सैन्य बल संगठित कर रहे हैं। यह हमारा आदर्श नहीं है। पंचशील का जो आदर्श है अगर वह सचमुच चलना है तो आज पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो विश्व का प्रेम प्राप्त हो रहा है उस की दृष्टि से मैं यह विश्वास करता हूं कि अगर उन की निगाह इस ओर जाये कि सेना जो है यह हर एक राष्ट्र अपने यहां होड़ में बढ़ाता जाय और सैनिक शक्ति संचित करता रहे तो न लड़ाइयां रुक सकती हैं और न मानवता सुखी हो सकती है। सैन्य बल एक चक्रवर्ती राज्य के अधीन होना चाहिये। हमारी यूनाइटेड नेशनल का जैसा निर्माण है, उस की जो सिक्युरिटी कौंसिल है अगर सैन्य बल आक्रमणकारी या रक्षाकारी उस मानी में होना चाहिये तो उसी के अधीन होना चाहिये : पूरी मानवता विभिन्न भाइयों की तरह से भिन्न भिन्न राष्ट्रों में बंटी हुई है यह राष्ट्र आपस में लड़ने पर ही उतारू हो जायें और एक दूसरे से होड़ करने लगें कि कौन कितने विध्वंसकारी शस्त्र और अस्त्र तैयार करता है तो यह मनुष्य का स्वरूप नहीं होगा, बल्कि यह परिन्दों और दरिन्दों का रूप होगा। वास्तविक मानवता यह है कि सारे भूमंडल के देश पूरी मावनता में भिन्न भिन्न जातियों को अलग अलग भाई मान लें। इन भाइयों में एक ही बात हो सकती है, कुछ लोग उस के अन्दर नामाकूल हो सकते हैं और कुछ माकूल हो सकते हैं। नामाकूल आदमियों को रोकने के लिये सैन्य बल यूनाइटेड नेशन्स के बनाये हुए संगठन के द्वारा ही हो सकता है। बाकी इन संगठनों में केवल पुलिस फोर्स की तरह से शान्ति स्थापित रखने की दृष्टि से फौज की आवश्यकता है। हमारे बजट और हमारी क्रियाओं में सारे संगठन में वही प्रतिबिम्बित होता है और उस को देख कर मैं समझता हूं कि हमारा जो सैनिक संगठन है वह पूरे संसार के राष्ट्रों के लिये एक नमूने के तौर पर होगा। हमारा कोई एग्रेसिव एटीच्यूड नहीं है, हम केवल अपने ऊपर किसी का आक्रमण होने से बचना चाहते हैं, किसी को दबाना नहीं चाहते हैं। इसी दृष्टिकोण को अपना कर हम अपने काम की व्यवस्था करते हैं, यह तरह तरह का भेद कर के मिनिस्ट्री ने जिस तरह से विभाग कर के स्कूलों में साधारण जनता को और दूसरों को सैनिक शिक्षा देने की व्यवस्था की है, वह आत्म संयम के लिये है और शरीर को सुदृढ़ बनाने के लिये है, मगर कहीं आक्रमण करने के लिये नहीं है, इसलिये मैं इस को बधाई देता हूं।

एक और चीज मैं कहना चाहता हूं कि यह पेंशन सम्बन्धी रूल्स नरम किये गये हैं। ठीक है और वह स्वागत योग्य है लेकिन इस में १९४७ की जो लिमिट रख दी है कि जो लोग इस वक्त तक रिटायर हुए हैं या घायल हुए हैं उन की पेंशनों में तो आप सुविधा देना चाहते हैं, लेकिन जो पुराने सैनिक हैं इस से पहले के हैं उन को इस सुविधा से क्यों महरूम रखा जा रहा है और उन के साथ यह भेद क्यों बरता जा रहा है, उन को भी नये रूल्स के मुताबिक फैसिलिटीज दी जा सकती हैं और अगर ऐसा किया जायेगा तो कुछ अनुचित नहीं होगा। जिस वक्त यहां पर विदेशी गवर्नमेंट थी उस जमाने के वह सैनिक हैं और अब यह जो हमारे सैनिक हैं, उन दोनों के बीच में जबकि दोनों ही हमारे भाई हैं, इस तरह के भेद करने की आवश्यकता मुझे प्रतीत नहीं होती है। अगर उस में थोड़ा खर्च भी करना पड़े तो करना चाहिये लेकिन जो पुराने जीवित लोग हैं उन के प्रति उदारता दिखानी चाहिये।

एक और चीज कह कर मैं समाप्त करूंगा अभी कल मैं मेरठ गया था और

[श्री अलगू राय शास्त्री]

मैं ने वहां सुना कि एक चीज की वहां लोगों ने बड़ी प्रशंसा की है कि पहले ऐसा कायदा था कि कैन्टूनमेंट में जो लोग मकान बनाते थे उस को न तो वे अपनी इच्छा से बेच सकते थे और न खरीद सकते थे । गवर्नमेंट उस को एक्वायर कर सकती थी तो इस तरह का तरीका पहले गालिबन था, अब गालिबन इस मिनिस्ट्री ने इस तरह का कोई आदेश जारी कर दिया है कि वह लोग जो उन मकानों के मालिक हैं, वे किराये का दुगना, तिगुना "सर्मथिंग" इस तरह का है वह जमा कर दें तो फिर उन को घर से बेदखल नहीं किया जा सकता है । लैंड वैलफेयर के जितने तरीके भी अभी आये हैं देश में उन के हिसाब से जो नागरिक कैंटूनमेंट में बसे हुए हैं उन को मकानों की जो सुविधा दी जाने वाली है, सम्भवतः ऐसा कोई डिसीशन हुआ है कि वह अगर कुछ रुपया किराये का जमा कर दें, तो उन को न हटना पड़े, इस के बारे में निश्चित आदेश जारी कर दिये जायं तो मैं समझता हूं कि प्रजा सुखी होगी और बड़ा आशीर्वाद देगी । जब हमारी सेना कोरिया जा रही थी और श्री महावीर त्यागी की अध्यक्षता में उस को बधाई दी जा रही थी उस समय प्रधान मंत्री ने हिन्दी में बहुत सुन्दर सन्देश किया था और उन को हिन्दी में ही बोलने की प्रेरणा दी थी जब कि वह आपस में बातें करें । यह एक बड़ी सुन्दर परिपाटी थी और सेना में हिन्दी का प्रचार होना ही चाहिये । अभी उस दिन प्रधान मंत्री ने हिन्दी में जो भाषण दिया, मैंने पहले से उन के अंग्रेजी भाषणों को सुनता आ रहा हूं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि उस दिन उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया, वह अच्छी हिन्दी जानने वालों के लिये भी दुर्लभ था । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि सेना में हिन्दी को चलना चाहिये । और सेना के कमानों के जो शब्द हैं उन को भी हिन्दी में होना चाहिये ।

श्री भागवत झा आजाद (पूर्निया व संथाल परगना) : सब से पहले मैं उसे सेना को बधाई देना चाहता हूं जो शान्ति स्थापना के लिये हिन्दचीन भेजी गई है और जिस ने सभी पक्षों का विश्वास प्राप्त किया है । नेपाल जाने वाले शिष्ट मंडल के साथ जब मैं नैपाल गया था तो मैं ने अपने देश के सैनिक कर्मचारियों को त्रिभुवनपथ का निर्माण करते हुए देखा था, यह पथ नैपाल को बिहार से सब से निकट वाले सीमा स्थान पर मिलाता है । गतिविधियों का जो विवरण मंत्रालय द्वारा हमें दिया गया है उसे तीन भागों में बांटा जा सकता है । प्रथम सेनाओं के विकास से सम्बन्धित है, दूसरा सैनिकों तथा भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण से सम्बन्धित है और तीसरा लोगों को सैनिक प्रशिक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में है । सेना में रण कौशल बढ़ाने और बचत करने के दोनों प्रयत्न एक साथ किये जा रहे हैं । हमारे वायुबल में दिन प्रति दिन भारतीयों की संख्या बढ़ाई जा रही है और जहाजी बेड़े तथा वायुबल के लिये नये जलयान तथा विमान विक्रय किये जा रहे हैं । कल्याणकारी कार्यों का जहां तक प्रश्न है निवृत्त-वेतन नियमों में संशोधन किया गया है तथा अन्य सुविधाओं का भी उपबन्ध किया गया है । भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिये कोई ६७,००० रुपया व्यय किया जा चुका है । इस के लिये हमें श्री महावीर त्यागी का आभारी होना चाहिये । सेना के लिये नये नये अस्त्र शस्त्र तथा उपकरणों की ओर तो सभी ध्यान देते हैं परन्तु इन का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की ओर ध्यान देने का कार्य श्री महावीर त्यागी ने ही किया है ।

जहां तक श्रमिक परिस्थिति का संबंध है इस विवरण में बताया गया है कि विवादों

को निपटाने वाली संस्था स्थापित की जा चुकी है । रक्षा मंत्रालय कार्मिक संघों को तो सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर चुकी है परन्तु वह प्रोत्साहन इसी बात के लिये देना चाहती है कि जहां तक हो सके इन कार्मिक संघों के सभापति उपसभापति तथा मंत्री बाहरी व्यक्ति न हों वरन् उन में से ही चुने जायें, परन्तु साथ ही इस बात का ध्यान भी रखा जाये कि ऐसा न होने पाये कि लोगों को केवल दण्ड देने के लिये लखनऊ से त्रावनकोर-कोचीन तथा पंजाब से आसाम स्थानान्तरित किया जाने लगे ।

जहां तक रक्षित सेना का सम्बन्ध है, अधिकांश देशों में रक्षित सेना सामान्यतः स्थायी सेना की ४० प्रतिशत होती है परन्तु हमारे देश में सात या आठ प्रतिशत से अधिक नहीं है । हमारे वायु बल के रिजर्व का भी अनुपात यही है ।

वायु बल रिजर्व में पर्याप्त वृद्धि करने के लिये १९५२ में जब एक विधेयक रखा गया था तो हम ने उस का हर्ष के साथ स्वागत किया था । परन्तु इस विवरण से जान पड़ता है कि अभी केवल उस के नियमों को ही अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि पर्याप्त रक्षित सेना बनाने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं । हमारे देश में रक्षित सेना, स्थायी सेना की अपेक्षा केवल सात या आठ प्रतिशत है । यह हमारी रक्षा की दूसरी पंक्ति है जो , अत्यन्त दृढ़ होनी चाहिये । हमें बताया गया है कि अधिकृत शक्ति के ९५ प्रतिशत के लगभग प्रादेशिक सेना का निर्माण हो चुका है किन्तु पहले हमें यह तो बताया जाय कि अधिकृत शक्ति है कितनी ? हमारे विशाल देश की आवश्यकता के लिये इन छोटी छोटी सेनाओं से काम नहीं चल सकता है । सभा को यह बताया गया है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक बल संगठित किया जा रहा है और वह प्रादेशिक सेना का स्थान ले लेगा ।

हमें बताया गया है कि पिछले वर्ष केवल १३,००० व्यक्तियों को सैनिक शिक्षा दी गई है और उन्हें केवल सात दिन के लिये कैम्प में प्रशिक्षण दिया गया था । इस से भला क्या लाभ हो सकता है ? माननीय मंत्री तो समझते हैं कि यह काम यथेष्ट है । आज के अणु युग में एक ओर तो हम पुराने हथियारों पर निर्भर हैं और दूसरी ओर हमारा जो कुछ सैन्य प्रबन्ध है वह भी संतोषजनक नहीं है । पिछली बार जब हम ने रक्षा आयव्ययक पर चर्चा की थी उस समय अमरीका ने पाकिस्तान को सैनिक सहायता देने को कहा हुआ था, अतः हमारी सरकार को देश को सभी संभावनाओं के लिये तैयार करना चाहिये ।

अणुशक्ति के अभाव में हमें अपनी जन शक्ति को भली भांति संगठित करना चाहिये । इस विषय में श्री पटनायक ने काफी कहा है, और उन से मैं पूर्णरूपेण सहमत हूं । हाल ही में कोरिया जैसे छोटे देश ने अपनी जनशक्ति के बल पर अमरीका जैसे वृहत् देश की सेना को पीछे हटा दिया । हमारे यहां इतनी जन संख्या होने पर भी प्रादेशिक सेना में कोई भर्ती होना नहीं चाहता है । भर्ती करने की जो प्रणाली है वह भी अत्यन्त दोषपूर्ण है । पहले तो जागीरदार होते थे जो गांवों में भर्ती करने के लिये एजेन्ट का काम करते थे किन्तु अब जिला दण्डाधिकारी तथा सैनिक कर्मचारी अपने इस दायित्व को ठीक प्रकार से नहीं निभाते हैं । यही कारण है कि प्रादेशिक सेना में भर्ती बहुत कम हुई है । यह स्थिति तब तक रहेगी जब तक अधिकारी अपना दृष्टिकोण नहीं बदलते हैं और जनता का विश्वास नहीं प्राप्त करते हैं ।

[श्री भागवत झा आज़ाद]

प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि एक सहायक प्रादेशिक सेना बनाने का भी विचार था। संसद् के ९० सदस्यों ने इस में भाग लेना चाहा था। किन्तु रक्षा मंत्रालय ने कहा कि केवल ९० लोगों के ही होने के कारण प्रशिक्षण का प्रबन्ध नहीं किया जा सका। क्या हम ऐसी ही मनोवृत्ति को ले कर अपनी रक्षा की द्वितीय पंक्ति का निर्माण करने जा रहे हैं ?

जब तक पारस्परिक सहयोग नहीं होगा, हम अपने देश की रक्षा नहीं कर सकेंगे। हमारा यह कर्तव्य है कि हम यह देखें कि रक्षा की दूसरी पंक्ति के संगठित किये जाने के समुचित प्रबन्ध किये जाते हैं। मैं और भी कई बातें कहना चाहता था किन्तु समय कम होने के कारण अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला-भटिंडा) : रक्षा मंत्रालय के विषय में कहने का हमें बहुत कम सौभाग्य प्राप्त होता है और इस अवसर का लाभ उठाते हुए आज मैं सेना के केवल दो प्रकार के अधिकारियों के विषय में कुछ कहूंगा और वे हैं जूनियर कमीशन प्राप्त अफसर और सीनियर कमीशन प्राप्त अफसर।

सब से पहले तो मुझे यह बता देना चाहिये कि अन्य किसी भी देश में इस प्रकार के जूनियर कमीशन्ड प्राप्त अफसरों तथा सीनियर कमीशन प्राप्त अफसरों में भेद नहीं है। केवल भारतीय सेना में ही यह दोष है। और इस का भी एक विचित्र सा इतिहास है। सन् ५७ से पहले भारतीय अफसरों को भी सैन्य बलों का भार सौंपा जाता था किन्तु क्रान्ति के उपरान्त उन्हें सन्देह की दृष्टि से देखा जाने लगा। फलतः सेना में अंग्रेजी अफसरों की एक बाढ़ सी आ गई और भारतीय अफसरों को जूनियर कमीशन की श्रेणी दी गई तथा अंग्रेजों को सीनियर कमीशन में रखा गया। इस के अतिरिक्त सैन्य टुकड़ियों का प्रबन्ध जमादार, सूबेदार और सूबेदार मेजर करते थे और वे अभी यथावत् विद्यमान हैं। अंग्रेजों के समय ये वायसराय कमीशन्ड अफसर कहलाते हैं। अंग्रेज यहां की भाषा से अनभिज्ञ होने के कारण सब काम इन्हीं से लेते थे और उन के चले जाने पर जब कि हमारे अफसर सब बातों से परिचित हैं तब भी इन के पद अभी बने हुए हैं और जूनियर और सीनियर कमीशन्ड प्राप्त अफसरों का भेद भी अभी तक मौजूद है। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है। अब इस प्रकार के भेद भाव की क्या आवश्यकता है। इस से सेना में एकता के बजाय वैमनस्य फैलता है।

माननीय मंत्री ने यह बताया है कि सेना व्यय में छः करोड़ रुपय की कमी हो गई है। इस के लिये वे बधाई के पात्र ह किन्तु यदि वह यह जूनियर और सीनियर का भेद निकाल दें तो करोड़ों रुपये की बचत हो जायेगी और सेना का संगठन भी सुधर जायेगा।

श्री भक्त दर्शन (जिला गढ़वाल पूर्व वह जिला मुरादाबाद उत्तर पूर्व) : सभापति महोदय, रक्षा मंत्रालय को जो अनुदान की मांगें सभा के समक्ष स्वीकृति के लिये प्रस्तुत की गई हैं, मैं उन का हृदय से समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस अवसर पर मैं अपना यह भी कर्तव्य समझता हूं कि भारत के सशस्त्र सेनाओं की तीनों शाखाओं के प्रति अभिनंदन का भाव प्रकट करूं। इस एक वर्ष के अन्तर्गत पर्वतों की चोटियों पर, जंगलों के अन्दर, रेगिस्तान की गर्मियों में, आकाश में वायु के झंकोरों के साथ और समुद्र की हिलोरों के साथ उन्होंने हमारे देश की जो रक्षा की है, प्रत्येक नागरिक उनके

लिये उन का आभारी है । सभापति महोदय, मैं अपने नये रक्षा मंत्री का भी विशेष तौर से स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं । मैं उन की जो अनेकों गुणावलियां हैं, उन का वर्णन नहीं करूंगा लेकिन उन के नाम के साथ जो दो गुण सम्मिलित हैं उन की ओर मैं सदन का ध्यान दिलाता हूं । उन का नाम है "कैलाश नाथ" । कैलाश नाथ बमभोले शिव शंकर हैं, उन का सब से पहला गुण है बदन में भभूत रमा कर बड़ी मितव्ययता के साथ अपना जीवन यापन करना । मैं तो यह आशा नहीं करता अपने रक्षा मंत्री से कि वह बम भोले शिव शंकर की तरह से बदन में भभूत लगा कर एक नये आदर्श को स्थापित करेंगे लेकिन मैं इतनी जरूर आशा रखता हूं कि हमारे प्रतिरक्षा बजट में जितनी अधिक से अधिक बचत की जा सकती है उस को करने का वह प्रयत्न करेंगे । मैं उन व्यक्तियों में से हूं जो इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारी सशस्त्र सेनाओं की संख्या इस देश की विशाल सीमाओं को देखते हुए काफी नहीं है । यदि रक्षा मंत्री महोदय उन की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव यहां पर करेंगे तो मैं समझता हूं कि इस सदन के सभी दलों के सदस्य उन का हार्दिक समर्थन करेंगे । लेकिन करीब ८० करोड़ रुपया हम लोग जो स्टोर्स पर खर्च कर रहे हैं और जिसके बारे में हमारे मित्रों ने तरह तरह के आक्षेप भी किये हैं और सुझाव भी दिये हैं, मैं उनके सम्बन्ध में रक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । यह हमारा बड़ा सौभाग्य है कि वित्त मंत्रालय अपनी जादूगरी दिखाने के बाद हमारे श्री महावीर त्यागी अभी भी रक्षा मंत्रालय में मौजूद हैं । पिछले दिनों उन के रक्षा मंत्रालय से हटने के सम्बन्ध में जो तरह तरह की अफवाहें उड़ी थीं, मैं समझता हूं कि यह हमारा सौभाग्य है कि वे अफवाहें अब समाप्त हो गई हैं और अपनी जादूगरी दिखाने का अवसर अब उन्हें रक्षा मंत्रालय से प्राप्त है । उन्होंने ६ करोड़ की बचत रिकरिंग एक्सपेंसेज (आवर्तक व्यय) में दिखाई है । मैं समझता हूं कि यह उन का नया चमत्कार है और मैं विश्वास करता हूं कि वह अपनी इस चमत्कारिता को अगले वर्षों में भी जारी रक्खेंगे और मैं माननीय मंत्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि वह पूरी शक्ति और पूरा समय इसी आवश्यक कार्य में लगायें और देखें कि हमारे रक्षा-व्यय में कौन सा दुरुपयोग हो रहा है, कहां पर अनावश्यक खर्चा हो रहा है और कौन से खर्चे की बचत की जा सकती है ।

सभापति महोदय, हमारे रक्षा मंत्री महोदय के नाम में एक दूसरा गुण भी है । "कैलाश नाथ", हिमालय का जो केन्द्र स्थान है वह कैलाश है, वह उस के अधिष्ठाता देवता है और इस कारण मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हिमालय की जो हमारी उत्तरी सीमा है उस की रक्षा का भार भी उन के ऊपर है । कैलाश नाथ हमारे सतत प्रहरी हैं और मुझे पूरी आशा है कि हमारे रक्षा मंत्री महोदय हमारी उत्तरी सीमा का पूरा ख्याल रक्खेंगे ।

अभी पिछले वर्ष हमारे देश और चीन के बीच, तिब्बत के बारे में एक मैत्री सन्धि हुई है और उस की वजह से उत्तर की ओर से आक्रमण होने की आशंका बहुत कम हो गयी है, लेकिन मैं विनम्र शब्दों में यह निवेदन करना चाहूंगा कि उस मैत्री के बावजूद भी एक सतत सतर्कता और जागरूकता की आवश्यकता है और यह न हो कि हम लोग हमेशा के लिये सो जायें । मैं खास तौर से रक्षा मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं । हमें जो विवरण पत्र दिया गया है, उस में एक भी शब्द इस बात का नहीं रखा गया कि हमारी सेनाओं को

[श्री भक्त दर्शन]

स्नोंं एंड माउंटेन वारफेयर की भी कोई ट्रेनिंग दी जा रही है या नहीं । कम से कम हमारे अफसरों और सैनिकों को इस के लिये तैयार किया जाना चाहिये । वैसे में मानता हूं कि गणराज्य दिवस की जो परेड हुई थी उस में एक दस्ता उन के प्रदर्शन के लिये भी था, लेकिन मेरा अनुमान है, मेरी आशंका है कि इस क्षेत्र में बहुत अधिक काम नहीं किया जा रहा है । इसी सिलसिले में, सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान दार्जिलिंग में जो अभी हाल में हिमालियन माऊनटेनियरिंग इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया है, उस की ओर दिलाना चाहता हूं । इस संस्था को हमारे प्रधान मंत्री का आशीर्वाद प्राप्त है और पश्चिमी बंगाल की सरकार ने दार्जिलिंग में उस की स्थापना की है । मैं पश्चिमी बंगाल की सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि शेरपा सरदार श्री तेन सिंह के नेतृत्व में जो यह इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया है, इस को स्थापित कर के उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया है लेकिन मैं इसके सम्बन्ध में दो, तीन सुझाव देना चाहता हूं । अभी उस दिन एक प्रश्न के उत्तर में सदन में बतलाया गया कि इस इंस्टीट्यूट पर प्रारम्भिक खर्च का ७० प्रतिशत केन्द्रीय सरकार दे रही है, यानी खर्च का अनुमान शायद ६ लाख ५० हजार रुपये का है, उस में से इक्विपमेंट आदि के लिये ४ लाख ५५ हजार से भी अधिक रकम रक्षा मंत्रालय के कोष से दी जायेगी, फिर क्यों न इसे केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में ले ले । इस से कई लाभ हो सकते हैं । सब से बड़ा लाभ तो यह होगा कि रक्षा मंत्रालय के जो अधिकारी हैं उन को पहले ट्रेनिंग मिलेगी । मैं इस का उदाहरण दूंगा । स्कूल आफ फारेन लैंग्वेजेज की व्यवस्था चल रही है, वह अपने अफसरों ट्रेनिंग देते हैं, विभिन्न मंत्रालयों के लोग भी उन में जा कर शिक्षा प्राप्त करते हैं गैर-सरकारी लोग भी वहां ट्रेनिंग पाते हैं । इसी तरीके से इस इंस्टीट्यूट का भी काम चलना चाहिये । प्रधान मंत्री महोदय के हाथों से जब दार्जिलिंग में इस संस्था की स्थापना हुई थी, इस की काफी चर्चा हुई थी लेकिन जिस संस्था के चलाने का काम तेन सिंह जैसे पुरुष के हाथ में है. और जिस के प्रिंसिपल मेजर जुयाल हैं उस के बारे में समाचारपत्रों में यह नहीं बतलाया गया कि उस इंस्टीट्यूट का क्या प्रासपेक्टस है । मैं इस विषय में कोई जानकारी रखता हूं, मैं ऐसा नहीं कह सकता लेकिन लोग मुझ से पूछते हैं या और लोगों से पूछना चाहते हैं कि उस संस्था में किस तरह की ट्रेनिंग दी जायेगी, अभी तक इस बारे में क्या कोई प्रचार या प्रकाशन किया गया है ? मैं यह कहना चाहता हूं कि सुदूर दार्जिलिंग में इस की स्थापना की गई है । हिमालय की पर्वत ऋंखला काश्मीर से लेकर आसाम तक पन्द्रह सौ मील तक फैली हुई है । अतः इस संस्था की वहां पर कम से दो शाखायें होनी चाहियें । एक तो काश्मीर के इलाके में और दूसरी जिस को केन्द्रीय हिमालियाज कहते हैं जहां कि नंदा देवी, कामेट, नीलकंठ और त्रिशूल सरीखी ऊंची चोटियां हैं और जहां फूलों की घाटी और सतोपंथ ग्लेशियर जैसे रमणीक स्थान हैं, वहां बद्रीनाथ के पास में उस की एक शाखा स्थापित की जाये । वहां पहले स्माइथ व शिप्टन सरीखे बड़े बड़े माउंटेनियर्स जा चुके हैं, अतः उस इलाके में भी अगर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने का इन्तजाम किया जाये तो मैं समझता हूं कि उस इलाके के लोग उस से लाभ उठा सकेंगे ।

रक्षा संगठन. मंत्री (श्री त्यागी) : यह संस्था ईस्ट बंगाल की गवर्नमेंट की है, इस वजह से यह काम केन्द्र का नहीं है ।

श्री भक्त दर्शन : मैं ने निवेदन किया है कि इस को बंगाल गवर्नमेंट के हाथ में न रख कर आप अपने हाथ में लीजिये, इस को शायद आप ने नहीं सुना है। सभापति महोदय, हमारे देश में ५६ छावनियां हैं और वहां की लगभग २० लाख जनता की आवाज मैं यहां पर उठाना चाहता हूं। हमारे रक्षा मंत्रालय की ओर से यह कहा गया है कि वह इस विषय में एक बड़ा कंप्रिहेन्सिव बिल लाना चाहते हैं। वह पता नहीं कब आयेगा, उस की अभी कोई मियाद निश्चित नहीं की गई है। जिस समय इस पर बहस हो रही थी उस समय हमें बतलाया गया था कि दूसरे अधिवेशन में यह विधेयक आने वाला है लेकिन मालूम ऐसा पड़ता है कि शायद उस के आते आते हमारा समय भी बीत जायगा और मौजूदा पार्लियामेंट का काल भी समाप्त हो जायेगा और यह विधेयक नहीं आयेगा। नागरिक क्षेत्र की समितियों को जो थोड़े से अधिकार दिये गये हैं, मैं उन का स्वागत करता हूं क्योंकि उन से वहां की जनता को कुछ अधिकार मिले हैं। दो, तीन बातें और मैं खासतौर पर कहूंगा। पाटिल कमेटी का किस्सा कई वर्षों से चल रहा है। उस की रिपोर्ट के अनुसार १७ छावनियों में से कुछ अलग काट कर दूसरे इलाकों में मिला दी जायेंगी। अभी इस में शक क्या है कि उन पर डेमोक्वीस की तलवार लटक रही है क्योंकि कुछ पता नहीं लगता है कि उस इलाके में रहने वाले कहां रहेंगे ? अतएव उस का निर्णय तो जल्दी से जल्दी किया जाय।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि छावनियों के अन्दर लोग नये नये भवनों का निर्माण करना चाहते हैं और वह अपनी नागरिक आबादी का क्षेत्र बढ़ाना चाहते हैं। छावनियों के अन्दर नागरिक आबादियों को बढ़ाने के सम्बन्ध में अंग्रेजों के जमाने में बड़े बड़े प्रतिबन्ध थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिये। मैं समझता हूं कि हमारे बहुत से पहाड़ी कैन्टोन्मेन्टस हैं जहां यदि यह सुविधा दी जाये तो उन्हें मसूरी और शिमला की तरह हिल स्टेशन्स की तरह पर खोला जा सकता है।

दूसरी चीज जिस की तरफ श्री अलगू राय शास्त्री ने भी रक्षा मंत्री का ध्यान खींचा है, वह यह है कि डिफेन्स कन्सल्टेटिव कमेटी की बैठक दिसम्बर में बुलाई गई थी, और घोषणा की गई थी कि छावनियों के जो भूमि सम्बन्धी रूल्स हैं उन में परिवर्तन कर दिया गया है। आज तीन मास बीत गये, छावनियों की जनता प्रतीक्षा करते करते थक गई, पर आज तक यह बताया नहीं गया कि उन परिवर्तनों को कब लागू किया जायेगा और क्या निर्णय हुआ है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि जल्दी से जल्दी उन के सिद्धान्त स्थिर किये जायें ताकि वहां की जनता को भी स्वराज्य का असली फायदा प्राप्त हो सके।

सभापति महोदय, वर्तमान सैनिकों के बारे में तो यहां पर बहुत सी बातें कही गई हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा भूतपूर्व सैनिकों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। हमारा रक्षा मंत्रालय भूतपूर्व सैनिकों के सम्बन्ध में रिसेट्लमेंट स्कीम्स पर बहुत गौर कर रहा है और मैं भी उस को बधाई देता हूं कि उस का ध्यान उन की ओर गया। यह बड़े सन्तोष की बात है, लेकिन आज जो जगह जगह पर उन की कालोनीज बसाई जा रही है उन के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन की गति बहुत मन्थर है और शिथिल है। अफजलगढ़ के बारे में इस रिपोर्ट में दिया हुआ है कि गवर्नमेंट का विचार है कि उस स्थान पर, जो कि उत्तर भारत की सब से बड़ी कालोनी होगी, १६,००० एकड़ जमीन को साफ कर के वहां पर भूतपूर्व सैनिकों के

[श्री भक्त दर्शन]

परिवारों को बसाया जायेगा, लेकिन आज पांच साल बीत जाने के बाद भी सिर्फ ५,००० एकड़ भूमि साफ की जा सकी है । उस में कुल १,००० परिवार बसाये जाने का विचार है । पिछले साल की रिपोर्ट में बताया गया था कि वहां पर २६७ परिवार बसाये जायेंगे लेकिन अब की रिपोर्ट से वह संख्या २०७ ही रह गई है । जब कि वहां पर अब तक वास्तव में कुल १९१ परिवार ही बसायें गये हैं । इसीलिये मैं कहता हूं कि वहां बहुत शिथिल गति से काम हो रहा है । मंत्रालय का कर्तव्य है कि वह थोड़ी तेजी इस कार्य में लाये जिस से भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों को जल्दी से जल्दी बसाया जा सके । इस में देरी होने का एक कारण यह है कि वहां पर प्रान्तीय सरकारों और रक्षा मंत्रालयों दोनों का डुएल कंट्रोल है, आप के कोई आफिसर्स वहां पर नहीं हैं । जो भी आफिसर्स वहां रहते हैं वह प्रान्तीय सरकार के होते हैं, उन पर आप के आदेशों के पालन करने की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है । इसलिये मैं आप से अनुरोध करूंगा कि अगर आप को इन कालोनीज को वास्तव में बढ़ाना है और भूतपूर्व सैनिकों को कुछ सहूलियतें देनी हैं तो आप जल्दी से जल्दी उन को अपने सीधे नियंत्रण में लीजिये । आप प्रान्तीय सरकारों से सहूलियतें ले सकते हैं, आप उन से भूमि ले सकते हैं । लेकिन जब तक उन का नियंत्रण आप के हाथ में नहीं होगा तब तक उससे कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है, और बहुत से भूतपूर्व सैनिक इस सुविधा से वंचित रह जायेंगे ।

सभापति महोदय, मैं ने पिछले वर्ष मंत्रालय का ध्यान एक विषय की ओर आकर्षित किया था । आप मुझे क्षमा करेंगे कि मुझे आज भी उस की याद दिलानी पड़ती है । इस विवरण-पत्र में आजाद हिन्द फौज के सैनिकों के बारे में बहुत सी सहूलियतें दी गई हैं और उन के जो डेकोरेशन्स हैं या मेडल्स हैं उन के लिये उन को जो मासिक भत्ता मिलने वाला था वह उन को मिलने लगा है । इसी तरह से प्रान्तीय सरकारों से जमीन आदि जो मिलने वाली है उन में कोई तमीज नहीं की जायेगी । इस के लिये मैं मंत्रालय को धन्यवाद देता हूं, लेकिन जैसी कि हिन्दी में कहावत है : "ऊंट के मुंह में जीरा" यह उसी प्रकार से है । मैं ने आजाद हिन्द फौज के सैनिकों के सम्बन्ध में एक प्रश्न किया था उस के उत्तर में माननीय उपमंत्री महोदय ने बताया था कि कुल मिला कर २३,२६६ आदमियों ने उस फौज में भाग लिया था और अभी तक केवल १,१५२ सैनिकों और अफसरों को फौज में रक्खा जा सका है । जबकि राज्य सभा में दिसम्बर में सन् १९५२ में एक गैर-सरकारी प्रस्ताव के सिलसिले में बहस हो रही थी तो प्रधान मंत्री महोदय ने बड़े आवेश और जोश में यह कहा था कि, "हम उन्हें सेना में तो नहीं ले सकते, लेकिन उन को जितनी भी सहूलियतें हो सकती हैं उतनी दी जायेंगी ।" मैं उन व्यक्तियों में से हूं जो मानते हैं कि आज आजाद हिन्द फौज को सेना में लेने का प्रश्न नहीं उठ सकता क्योंकि इतने वर्षों के अन्दर उन की डिसिप्लिन और उन की ट्रेनिंग सब चली गयी है, लेकिन क्या हम उन के लिये दो बातें भी नहीं कर सकते ? एक चीज तो यह है कि जब कि रक्षा मंत्रालय का बजट दो अरब रुपये से अधिक का है तो जितना उन आज़ाद हिन्द फौज के भूतपूर्व सैनिकों का जब्त किया हुआ रुपया पड़ा हुआ है, जो कि एक करोड़ रुपये से अधिक का नहीं है, इतने वर्ष बीत जाने के पश्चात् भी वे उसे नहीं प्राप्त कर सके हैं । इतने बड़े बजट के अन्दर न तो कोई कमी का सवाल आता है और न कोई 'प्रेस्टीज' का ही सवाल आता है । सरकार उन की देशभक्ति को

मान्यता दे रही है तब फिर इस में क्यों देर की जाती है ? मैं बड़ी नम्रता के साथ मंत्रालय से प्रार्थना करना चाहता हूं, कि इस पर पुन-विचार करने की कोशिश की जाय ।

दूसरी बात यह है कि कम से कम उन्हें सिविल महकमों की नौकरी दिलाने का प्रयत्न किया जाये । मुझे प्रसन्नता है कि आजाद हिन्द फौज के मेजर जनरल भौंसले ने कस्तूरबा निकेतन में पिछले दिनों आजाद हिन्द फौज के व्यक्तियों द्वारा जो ट्रेनिंग दिलाई थी उसे प्रधान मंत्री महोदय देख चुके हैं, बहुत से और मंत्री जी भी वहां पहुंच चुके हैं और सब ने उस की तारीफ की है, लेकिन अभी तक यह निर्णय नहीं हो पाया है कि उस को कैसे चलाया जाय, रक्षा मंत्रालय द्वारा उस को लागू किया जाये या शिक्षा मंत्रालय के द्वारा । मैं इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहता, कोई भी उस को चलाये लेकिन यह बड़ा जबर्दस्त तरीका है । इस देश के अन्दर एन० सी० सी० आदि बहुत सी बातें चल रही हैं, मैं उन के विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन आजाद हिन्द फौज के आदमियों द्वारा बच्चों और विद्यार्थियों में जो डिसिप्लिन और आनुशासन लाने का प्रयोग जेनरल भौंसले ने किया है, उस को नजरअन्दाज न किया जाय । इस के द्वारा यह होगा कि जहां छात्रों के अन्दर अनुशासन की भावना जागृत होगी वहां आजाद हिन्द फौज के सैनिकों को भी इस देश के अन्दर कुछ रोजगार आप दे सकेंगे । उन के अन्दर एक सेवा की भावना है, उन के अन्दर मिशनरी जील है क्योंकि उन्होंने अपने देश की स्वतन्त्रता के लिये ही इतनी आफतें मोल ली थीं । मैं अनुरोध करूंगा कि उन के हित में मंत्रालय इस बारे में विचार करने की कृपा करे ।

अन्त में मुझे एक ही बात कहनी है । आज से पच्चीस वर्ष पहले पेशावर में जिन गढ़वाली सैनिकों ने सब से पहिले गोली चलाने से इन्कार किया था और जिन की प्रशंसा गांधी जी ने की थी और नेहरू जी ने भी जिन को अपनी आत्म कथा में स्थान दिया था, जिन के बारे में गढ़वाल दिवस मनाया गया था उन के बारे में पेन्शनें तो दी जा चुकी हैं, लेकिन एक जगह गाड़ी रुकी हुई है, जो उन का जो जब्त किया हुआ हिसाब था वह उन को नहीं मिला है । इस बारे में मैं काफी लिखा पढ़ी मंत्रालय से कर चुका हूं यहां पर मैं रक्षा संगठन मंत्री महोदय का एक ही वाक्य रखना चाहता हूं : "ये मांगे नियम विरुद्ध हैं और इनसे एक नया उदाहरण बना रहेगा ।" यह जो प्रिसीडेन्ट की बात है यह मेरी समझ में नहीं आई । मैं आप से विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि उन लोगों ने सारे देश के इतिहास में पहला प्रिसिडेन्ट कायम किया था सत्य और अहिंसा का जब कि उन्होंने दूसरों पर, खान अब्दुल गफ्फार खां के सैनिकों पर गोली चलाने से इन्कार किया था । मैं यहां पर आजाद हिन्द फौज की तुलना नहीं करना चाहता, लेकिन इस बात को आप स्वीकार करेंगे कि आजाद हिन्द फौज ने हिन्सा के द्वारा विदेशी शासन का मुकाबला किया था, लेकिन पेशावर में इन सैनिकों ने अहिन्सा के द्वारा मुकाबला किया जब कि वह लोग तोप के सामने खड़े कर के उड़ाये जा सकते थे, और आप कहते हैं कि उन्हें कुछ दे देने से एक नया उदाहरण हो जायेगा ?

मैं मंत्रालय से प्रार्थना करूंगा कि अगर अपने नियमों में संशोधन कर के भी यह छोटी सी रकम हम उन को देते हैं तो हम उन के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं, और अपने कर्तव्य का ही पालन करते हैं ।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्रालय के सम्बन्ध में जो मांगें रखी गई हैं उन का हार्दिक समर्थन करता हूं ।

श्रीमती उमा नेहरू (जिला सीतापुर व जिला खेरी–पश्चिम) : जनाब चेअरमेन साहब, पेश्तर इस के कि मैं कुछ भी इस बारे में कहूं, मैं डिफेन्स मिनिस्ट्री और डिफेन्स मिनिस्टर को मुबारकबाद पेश करती हूं और साथ ही श्री त्यागी को भी मुबारकबाद पेश करती हूं । मुझे यह खुशी होती है जब मैं श्री त्यागी को देखती हूं कि आप उन को किसी भी महकमे में रख दें, वह हर महकमे में किफायत दिखाने लगते हैं, और मुझे यकीन है कि इस समय मैं जो सुझाव रखूंगी, और जो मैं अपनी मांगें रखूंगी, हमारे मिनिस्टर साहब और श्री त्यागी मुझ से सहमत होंगे और वह उन बातों को पूरा करेंगे ।

पहली बात तो यह है कि मैं ने यहां पर बहुत सी बातें सुनीं, यहां पर फौजों का जिक्र हुआ, पश्चिमी फौजों का जिक्र हुआ, लेकिन मैं तो यह समझती हूं कि सब से पहले जब देश में कोई काम शुरू करते हैं तो अपने घर को देखें, अपने घर को संभाल लें उस के बाद आगे बढ़ें । इस वक्त अंग्रेज हमारे मुल्क से हट गये हैं, जब अंग्रेज यहां थे उस वक्त तक उन्होंने हमारी आर्मी और फौज को एक बिल्कुल मर्सिनेरी फौज बना रक्खी थी । अब जब हम आजाद हैं, हम एक नया नक्शा देश में कायम करने जा रहे हैं । इस नये नक्शे में हमें कौन कौन सी चीजें रखनी हैं इस पर गौर करते वक्त हमें इस बात पर भी गौर करना चाहिये कि इस नक्शे में आर्मी का क्या हिस्सा हो, फौज कौन से हिस्से में दिखाई जाये । मैं ने जितने व्याख्यान यहां पर सुने, मुझे बहुत अच्छे लगे, और जो व्याख्यान पटनायक साहब ने दिया मैं उस के लिये उन्हें मुबारकबाद देती हूं । भाई पटनायक ने जो बातें इस बार कहीं वे वह हर साल कहते हैं । मुझे पूरी आशा है कि इन सब पर नेशनल डिफेन्स के वास्ते हमारे मिनिस्टर साहब गौर करेंगे और जो सुझाव उन्होंने दिये हैं उन पर पूरी तरह से गौर कर के उन को मंजूर करेंगे ।

अब दो चार बातें मैं आप के सामने रखना चाहती हूं । प्राइम मिनिस्टर साहब यहां आये और उन्होंने खुशखबरी दी कि वे काउंसल्स बनाने जा रहे हैं और हर काउंसल्स का जो हैड होगा वह एक चीफ होगा । मुझे यह सुन कर बहुत खुशी हुई लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि यह काउंसल्स जो आज बन रही हैं शुरू से ही बन जानी चाहियें थीं क्योंकि ऐसा करने से काम साफ तौर से और ठीक तरह से चलने लगता है । इस से भी ज्यादा खुशी जो हुई वह यह सुनकर हुई कि हर कमांड जो है जो कि फौजियों को दिया जाता है वह हिन्दी में दिया जायेगा । मैं ने खुद आर्मी में कमांड हिन्दी में सुने हैं और मुझे यह देख कर बहुत खुशी हुई । इन कमांड्स को हिन्दी में उन को सिखाने के साथ साथ अगर उन को हिन्दी भी सिखाई जाय तो यह कोई मुश्किल बात नहीं होगी ।

जब हम यह सब कुछ देखते हैं कि हिन्दी में हम कमांड कर रहे हैं और काउंसल्स बनाने जा रहे हैं तो फिर हम को और नीचे का नक्शा भी देखना है । कैन्टोनमेंट्स की जो हालत है उस को आप सम्भाल रहे हैं लेकिन मैं कहती हूं कि वह इस समय सन्तोषजनक नहीं है । जैसे अभी मेरे किसी भाई ने कहा कि वहां जो फैमिली क्वारटर्स आर्मड फोर्सेज के लिये हैं वे बहुत ही कम हैं और इस कमी को पूरा करने की हमें कोशिश करनी चाहिये । मकानों की कमी के साथ ही साथ हम यह भी देखते हैं कि आर्मड फोर्सेज के जो बच्चे होते हैं उन की पढ़ाई का इंतजाम बहुत खराब है । जो भी स्कूल वहां होते हैं ऐसा मालूम होता है कि वे हैं ही नहीं । इस के साथ ही साथ वहां मैडिकल एड की भी कमी है जिस को पूरा किया जाना चाहिये । कैन्टोनमेंन्ट्स की

हालत को देख कर एक बहुत अजीब चीज नजर आती है और वह है कि कैन्टोमेंट बोर्ड के साथ ही साथ वहां पर एक एड हाक कमिटी भी होती है। मैं ने खुद कैन्टोन्मेंट्स में जा कर चुनाव होते देखे हैं और मुझे यह देख कर बहुत दुःख हुआ कि इन चुनावों में भी वही गंदी बातें होती हैं जो कि दूसरे चुनावों में होती हैं। यहां पर भी कम्युनल स्लोगन्स या जातपात का सहारा लिया जाता है जो कि दूसरे चुनावों में लिया जाता है और यहां पर भी वैसी ही गंदी बातें देखने में आती हैं जो कि दूसरे चुनावों में होती हैं। मैं समझती हूं कि यह गंदगी जो है और यह कम्युनल और जात पात की जो बात है यहां पर नहीं होनी चाहिये। जो नक्शा हम खींचने जा रहे हैं उस में हमें यह भी देखना है कि क्या उस में हमें कैंटोन्मेंट बोर्ड और एड हाक कमिटी इन दोनों को रखना चाहिये या इन में से एक को। मेरी राय तो यह है कि जब तक आप कैन्टोमेंट की हकूमत कैंटोन्मेंट बोर्ड के हाथ में नहीं दे देते तब तक गंदगी दूर नहीं हो सकती। इस के साथ ही साथ में कहना चाहती हूं कि जो भी कोई पेचीदा बात होती है तो वह कैंटोन्मेंट बोर्ड के हाथ में नहीं रहती, आप अपने हाथ में रख लेते हैं। यह भी ठीक नहीं है। कैंटोन्मेंट्स बोर्ड को ही हकूमत करनी चाहिये।

जब हम यह नक्शा खींचते हैं तो हमें यह भी देखना होता है कि हम अपनी आर्मी को हिन्दी पढ़ाने के साथ साथ इन को अपने देश की बातें बतलायें अपने देश का इतिहास बतायें और अपने देश के ज्योग्राफी का अध्ययन करायें। यह भी बहुत जरूरी है कि हमारी आर्मी देश का कल्चर जाने। इन सब बातों की शिक्षा देने का उचित प्रबन्ध होना चाहिय।

जो यूनिफार्मस् आर्मी को दी जाती हैं मुझे एक दो लफ्ज उस के बारे में भी कहने ह। जहां हम उन को हिन्दी सिखाने जा रहे हैं, उन को देश की बातें बताने जा रहे हैं, उन को अपने देश के इतिहास से वाकफियत करायें जा रहे हैं और जो हमारी कल्चर है उस की शिक्षा देने जा रहे हैं तो उस के साथ ही साथ यह भी जरूरी हो जाता है कि जो पोशाक वे पहनें वह खादी की होनी चाहिये और किसी दूसरे कपड़े की नहीं।

अब मुझे आर्मी का जो काम है उस के बारे में थोड़ा सा अर्ज करना है। इस में कोई शक नहीं और जैसा कि हमारे कई भाइयों ने कहा, हमारी आर्मी इस वक्त देश की रक्षा कर रही है और चारों तरफ जो हमारे बोर्डस् हैं वहां पर हमारी आर्मी काम कर रही है लेकिन इस के इलावा मेरी एक तजवीज है, मैं नहीं कहती कि यह सही है या गलत, लेकिन मेरी राय है कि हमारी आर्मी को चाहिये कि वह रिहैबिलिटेशन जैसे कामों में हमारी मदद करे। हम कई कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं, जितनी इमारतें हम बना रहे हैं और जो फैक्ट्रियां हम खोल रहे हैं उन में भी हमें अपनी आर्मी का इस्तेमाल करना चाहिये। हम कई कैनाल्स खोद रहे हैं, कई डैम्स बना रहे हैं इन सब में भी हमें अपने सिपाहियों को लगाना चाहिये। मेरा ख्याल तो यह है कि जो भी श्रम दान हम करते हैं उस श्रमेदान में हमारे सिपाहियों को भी हिस्सा लेना चाहिये। आज कैंटोन्मेंट्स में हमारी जो फौजें हैं वह बिल्कुल बन्द हैं या उन को कवायद करने से समय नहीं है तो मैं कहती हूं कि हमारी नेशनल आर्मी के लिये यह कवायद ज्यादा जरूरी है कि वह ऐसी कवायद श्रमदान के जो काम उन में हिस्सा लिया करें।

मैं ने सुना है कि आर्मी में रैजिमेन्ट्स होती हैं और उन की यूनिट्स होती हैं और उन यूनिट्स में आप के ब्वायज बैटेलियंज होती हैं। उन बैटेलियंज में सिपाहियों के बच्चे लिये जाते हैं और उन को ट्रेनिंग दी जाती

[श्रीमती उमा नेहरू]

हैं और जब वे बच्चे बड़े होते हैं तो सिपाही हो जाते हैं। मैं कहना चाहती हूं कि जैसे आप के रिकरूटमेंट डायरेक्टोरेट हैं वह यह देखें कि यह बच्चे सिर्फ सिपाही ही न बन बल्कि अफसर भी बनें। इन को मौका मिलना चाहिये कि ये इम्तहान में बैठें और दूसरों के साथ कम्पीट करें। इस के साथ ही साथ अगर वे फौज में भरती न होना चाहें तो उन को इख्तियार होना चाहिये कि जिधर वे जाना चाहें वे जायें।

यहां पर लैंड हायरिंग एंड डिस्पोजल सर्विस का भी जिक्र आया है। इस के बारे में आपने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आपने एक एड हाक कमिटी बनाई जिस से आपको फायदा भी हुआ है और अब आप स्टैंडिंग कमिटी बनाने जा रहे हैं और उस स्टैंडिंग कमिटी में आपने डिफेंस के, लैंड हायरिंग के और फाइनेंस के अलग अलग रिप्रिजेंटेटिव रखे हैं। लेकिन मेरी राय यह है कि जब तक आप इस कमिटी में स्पेशलिस्ट्स नहीं रखेंगे यह काम अच्छी तरह से नहीं होगा और आपको शिकायतें बराबर आती रहेंगी क्यों कि यह काम स्पेशलिस्ट्स से ही ठीक होता है।

कैंम्पिग ग्राउंड्स के बारे में सवाल हुआ था और आप ने कहा था कि आप बेच रहे हैं, इस वास्ते मुझे इस के बारे में कुछ नहीं कहना है। स्टोर्स के बारे में भी मुझे इतना ही कहना है कि आगे से इतने ज्यादा स्टोर्स नहीं होने चाहियें कि जो इस्तेमाल भी हो सकें।

एक बात मुझे आप के महकमे में जो क्लर्कस हैं और जिन की हालत बहुत अच्छी नहीं है उन के बारे में कहनी है।

वे आप तक पहुंच नहीं सकते ह और अगर आप से वे मिलना चाहते हैं और आप को मेमारेंडम भेजते हैं तो साल साल भर उन के मेमोरेंडम आप के यहां पड़े रहते हैं और आप उन का कोई जवाब भी नहीं देते हैं। मेरा तो अपनी कांग्रेस की सरकार से कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन वही अच्छा होता है और वही कामयाब होता है और वही पबलिक इंटरेस्ट के वास्ते भी बेहतर होता है कि जहां छोटे से छोटे सिपाही और गरीब से गरीब क्लर्क की सुनवाई हो। मुगल पीरियड में यह होता था। आप आज भी आगरे के किले में देख सकते हैं कि एक दरबारे आम है और एक दरबारे खास है। दरबारे आम में गरीब से गरीब आदमी आता था और अपना दुःख कहता था। हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट सोशलिस्ट पेटर्न की सोसाइटी बना रही है। मैं समझती हूं कि उसके यहां हर एक की सुनवाई होगी और आप यह देखेंगे कि उनके मैमोरेंडम आप तक क्यों नहीं पहुंचते हैं और कहां अटक जाते हैं। हैं आपको यह देखना चाहिए और उन गरीबों को बुला कर उनकी बात सुननी चाहिए।

साथ ही मैं यह भी कहूंगी कि आपके यहां टेम्पोरेरी पोस्टें बहुत ज्यादा होती हैं। इनको भी आपको अलग करना चाहिए। इतना सब कहने के बाद अन्त में मैं आपसे यह कहती हूं, जैसा कि अभी मेरे भाई ने कहा है, कि आजाद फौज के बारे में भी कुछ किया जाना चाहिए। मैं समझती हूं कि उन बेचारों को बड़ी तकलीफें हैं। मैं जानती हूं कि उन्होंने कितनी बहादुरी से अपने वतन के वास्ते लड़ाई लड़ी थी। मैं चाहती हूं कि उनके एरियर्स आफ पे देने के सवाल पर आप विचार करें। मैं यह इसलिए चाहती हूं कि उनका पैसा आपके खजाने में है। जो भूखी बेवायें हैं उनका भी आपको बन्दोबस्त करना चाहिए। यह कहना कि हम नहीं कर सकते यह मेरी समझ में नहीं आता है।

सबसे आखिर में यह कहना चाहती हूं कि आपके यहां कैंटोन्मेंट्स में जितनी सर्विसेज़ हैं वह सब औरतों के लिए खुली हों। आप हमसे यह कहेंगे कि स्त्रियां यह काम नहीं कर सकतीं, वे तो साफ्ट काम करती हैं सख्त काम वे नहीं कर सकती हैं। मैं अभी चीन से हो कर आयी हूं और वहां पर मैं ने देखा कि हम से छोटे छोटे हाथ पैर वाली औरतें बराबर स्टील और लोहे के काम कर रही हैं। इसी तरह से मैं आप से यह कहूंगी कि बन्दूक चलाना कोई मुश्किल चीज नहीं है। निशाना लेना भी मुश्किल चीज नहीं है। मैं फिर आप से कहूंगी कि आप के कैंटोन्मेंट्स में जितनी सर्विसेज हैं, एग्जीक्यूटिव आफिसर्स की, चाहे वे एम० ई० ओ० की जगह हों, या असिस्टेंट डाइरेक्टर, या डिप्टी डाइरेक्टर या डाइरेक्टर की जगहें हों, सब औरतों के लिये खुली होनी चाहियें : जब तक आप यह नहीं करेंगे, जब तक आप गरीबों की सुनवाई नहीं करेंगे और जब तक आप स्त्रियों की सुनवाई नहीं करेंगे, आप बढ़ भी नहीं सकते हैं।

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : अभी तक सभा में जो भाषण हुए और खास कर जो मेरे माननीय मित्र अलगू राय शास्त्री का भाषण हुआ उस को सुनने के पश्चात् मेरे हृदय में अनेक भावनाओं का निर्माण हुआ है। श्री अलगू राय शास्त्री जी ने बताया कि हमारे डा० काटजू और त्यागी जी जिस प्रकार से सुरक्षा का प्रबन्ध कर रहे हैं उसे पृथ्वी के तमाम राष्ट्रों को उन के चरणों में बैठ कर सीखना चाहिये और दुनिया के राष्ट्रों का संरक्षण उसी प्रकार से करना चाहिये। इसी प्रकार का एक अवास्तविक वायुमंडल निर्माण किया जा रहा है। यह बताया जाता है कि हमारी फौजें शान्ति का काम इंडोनीशिया में कर रही हैं और उन्होंने शान्ति का काम कोरिया में किया है। और बड़े बड़े महात्माओं ने जो शान्ति का मार्ग बताया है उस का प्रसार करने में हमारी सेनायें कार्य कर रही हैं। इस प्रकार की बातें हमारे यहां सुरक्षा के प्रबन्ध के सम्बन्ध में चल रही हैं, और बात भी ठीक है। हमारे सदस्यों को सुरक्षा के विषय में कोई भी ज्ञान नहीं है। और उसी के लिये यहां प्रबन्ध किया गया था कि एक अनौपचारिक समिति बनायी जाये। उस को एक दफा बुलाया गया और दस पांच मिनट बात चीत हुई अच्छी चाय दी गई और उस के बाद से कोई बात इस कमिटी के सामने नहीं आयी। और इसलिये हमारे सदस्यों को पता नहीं कि सुरक्षा का प्रबन्ध किस प्रकार चल रहा है।

हमारे अर्थ मंत्री जब अर्थ संकल्प सभा के सामने प्रस्तुत करने के लिये आये तो उन्होंने एपालाजी (क्षमा याचना) के साथ कहा कि इस साल दो चार करोड़ का खर्चा बढ़ा है। पिछले साल दो चार करोड़ कम किया था। लेकिन इस साल इसलिये बढ़ा है कि कुछ स्टोर्स आ रहे हैं। उन्होंने यह भी बतलाया था कि अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति भी आज ऐसी है कि हम सुरक्षा का खर्चा कम नहीं कर सकते। मेरा कहना है कि आज जैसी अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति है उस में हम जितना खर्चा सुरक्षा पर कर रहे हैं उसे कई गुना बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं यू० के० और दूसरे देशों के अर्थ संकल्प देखता हूं तो मैं पाता हूं कि हमारे सारे बजट से उन का खर्चा केवल आर्मी पर छः छः गुना है। मैं यह मानता हूं कि हम अपने जैसे दरिद्र देश में सुरक्षा पर दस बीस गुना खर्च नहीं बढ़ा सकते। लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जैसा हमारे मित्र कह रहे हैं कि हिन्दी और खादी करने से इस देश की समुचित सुरक्षा हो जायेगी, वह आज कल की परिस्थितियों में नहीं हो सकता। केवल इंडोनीशिया में हमारी फौजें भेजने से हमारी

[श्री वी० जी० देशपांडे]

सुरक्षा का काम होने वाला नहीं है । भारत के अनेक पड़ौसी इस प्रकार के हैं कि उन की मित्रता की हम चाहे जितनी प्रशंसा करें लेकिन उन की तरफ से हम असावधान नहीं रह सकते । आज भी पूर्वी बंगाल से बड़ी संख्या में शरणार्थी आ रहे हैं । हमारे मित्र कहते हैं कि हमारी सुरक्षा पहले से बहुत बढ़ गई है । मैं कहता हूं कि आधा काश्मीर अभी भी दुश्मन के हाथ में है । स्वतन्त्र होने के पश्चात् हम ने अपने मुल्क का कुछ भाग खोया है ।

आज दुनिया में कहीं सीटो बन. रहा है तो कहीं नाटो बन रहा है । दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्र अनेक प्रकार से शस्त्रास्त्र बना रहे हैं । हर देश की सुरक्षा का खर्च आज बढ़ रहा है । हमारे प्रधान मंत्री स्वयं कहते हैं कि आज अणु गोलक युद्ध शस्त्र (एटम बम) जो निर्माण हो रहा है उस के कारण विश्व भर में एक नई परिस्थिति पैदा हो गई है । कांग्रेस के बहुत थोड़े से सदस्य, जिन के विचारों के लिये मेरे हृदय में आदर है, उन में से भी कुछ जैसे डा० सत्य नारायण सिंह यह कहने लगे हैं कि हिन्दुस्तान में मालीक्यूलर वार होने वाली नहीं है, एटम वार होने वाली नहीं है । यह मेरी समझ में नहीं आता । मैं देख रहा हूं कि आज लखनऊ में रेडियो एक्टिव रेज के बारे में वहां के डाक्टर शिकायत कर रहे हैं । और मेरा विचार है कि यदि एटम बम और हाइड्रोजन बम का कहीं उपयोग होने वाला है तो वह एशिया और हिन्दुस्तान में । इसलिये इस के लिये सात आठ लाख रुपया रखने से यहां का प्रबन्ध नहीं हो सकता । सच बात तो यह है कि हमारे देश की नीति सुरक्षा के बारे म बिल्कुल गलत है । परराष्ट्र नीति और हमारी आन्तरिक नीतियों म बुनियादी गलती है ।

हम समझते हैं कि विश्व में शान्ति कायम रखना हमारा ध्येय है । मैं भी इस का समर्थन करता हूं । लेकिन उस के लिये केवल पंच शील को मान लेना ही यथेष्ट नहीं है । मैं कहता हूं कि पंच शील के तत्व यथेष्ट नहीं हैं । उन से शान्ति नहीं कायम रह सकती । शान्ति का निर्माण करने के लिये एक छठवां तत्व और स्वीकार करना होगा । अपने राष्ट्र को इतना शक्तिशाली बनाना कि वह युद्ध का सामना कर सके । ऐसा करने से ही विश्व में शान्ति का निर्माण हो सकता है । इस प्रकार की शक्ति सम्प्रदान करने की चेष्टा हम ने की नहीं । और मैं तो कहूंगा कि आज विश्व में शान्ति का निर्माण करने के लिये और कोई दूसरी महत्व की चीज नहीं है । मैं कहता हूं कि आज एटम बम और हाइड्रोजन बम के डर के कारण ही युद्ध नहीं हो रहा है । यह ठीक है कि हम दूसरों को कहें कि तुम युद्ध मत करो । यह शान्ति पैदा करने के लिये अत्यावश्यक है । लेकिन हम को स्वयं तो शक्तिशाली होना चाहिये । लेकिन यह समझना कि हम केवल व्याख्यान देते रहेंगे और लोगों को उपदेश देते रहेंगे और इस से काम चल जायेगा यह मेरी समझ में नहीं आता । आज जिस प्रकार की नीति युद्ध के बारे में और सैनिकों के बारे में चल रही है उस से मैं समझता हूं कि देश की सुरक्षा हो नहीं सकती ।

परसों प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि हम ने कमांडर इन चीफ का पद हटा दिया है । मेरी समझ में नहीं आया कि यह पद क्यों हटाया । इंगलैंड में पहले बादशाह था और अब रानी है फिर भी वहां पर कमांडर चीफ का पद रखा गया है । अगर वहां पद ऐसा हो सकता है, तो यहां पर हमारे राष्ट्रपति के सुप्रीम कमांडर होने के कारण यह पद क्यों हटाया जाता है, यह मेरी समझ में नहीं

आता । शायद यह मध्य युगीन सरंजामी तरह का वातावरण है और आज नये पंचशील के प्रजातंत्रवादी वायुमंडल में कोई शक्ति रह नहीं सकती है । इतनी कमेटियां बन गई और उन के ऊपर चार मिनिस्टर । मेरे समझ में यह मिनिस्टरों की संख्या बहुत काफी है । उन में कोआर्डिनेशन करने के लिये उन में कमेटियां बनेंगी, इस प्रकार की बात हमारे यहां चल रही है । मेरा आप से सुझाव है कि आप इस देश की सुरक्षा के लिये आप एक ऐसा कार्यक्रम बनाइये जैसी कि आप ने पंच वर्षीय योजना बनाई है जिस के लिये आप हजारों करोड़ों रुपयों का प्रबन्ध करने वाले हैं । आप बेकारी के लिये कहते हैं कि हम दस करोड़ रुपये लगायेंगे पांच करोड़ रुपये लगायेंगे । मैं कहता हूं कि, आप की इन्डस्ट्रियलाइजेशन और अनएम्प-लायमेन्ट की प्राब्लेम, आप की सुरक्षा की प्राब्लम के हल हुए बिना असफल हो सकती हैं । इसलिये आप को सोचना पड़ेगा कि साल के अन्दर, दो साल के अन्दर, या पांच साल के अन्दर, कभी भी हो, लेकिन यह कहना कि ऐटमिक वारफेयर में हम को कुछ नहीं करना चाहिये, केवल व्याख्यान देते रहना चाहिये, यह ठीक नहीं है । मैं तो कहता हूं कि निश्चित योजना के अन्दर निश्चित कालावधि के अन्दर इस देश की सुरक्षा का प्रबन्ध अवश्य होना चाहिये, अगर वह अभी नहीं होता है तो कम से कम इस दिशा में प्रारम्भ तो होना चाहिये, और इस के लिये पहली आवश्यक चीज यह है कि वार मैटीरियल के बारे में देश सेल्फ सफिशिएन्ट हो, युद्ध सामग्री के बारे में देश सम्पूर्ण हो । इस दृष्टि से हम को प्रारम्भ करना चाहिये । अगर देश में एक एअरोप्लेन बन गया, एक अच्छी बन्दूक बन गई, तो उस को ले कर ही देश का काम चलने वाला नहीं है और इस दृष्टि से जैसा मेरे मित्र ने बताया आप को दूसरी सुरक्षा की भी लाइन देश में बनानी पड़ेगी । और इस सेकेन्ड लाइन आफ डिफेन्स को तैयार करने के बाद आप को देश में सब लोगों को सैनिक शिक्षा देनी पड़ेगी । नैशनल वालेन्टियर कोर आप ने बनाया है, ठीक बात है, लेकिन यदि वह इतनी छोटी चीज है, यदि वह इतनी छोटे परिमाण पर चलने वाली चीज है और यदि वह अहिंसा के लिये, आत्मिक बल के लिये, सेवा के लिये ही है, अगर इसी के लिये इस चीज को चलाना है, तो मैं तो कहता हूं कि इस चीज को आप समाप्त कर दीजिये । इस के बजाय दूसरी एक्ससाईज हो सकती हैं । अगर उन के हाथ खेती ही का काम कराना है, बिजिनेस की दृष्टि से ही काम कराना है, अगर उन से छोटे पैसे वाले काम ही कराना है तो इस पर मेरा विश्वास नहीं है । आप को युद्ध के लिये लोगों को तैयार करना है तो आप को यह करना होगा कि सेकेन्ड लाइन आफ डिफैन्स के लिये आप को युद्ध का एक वायुमंडल तैयार करना होगा । आप की युद्ध की सामग्री की कमी को देखते हुए, मैं जानता हूं कि आप की आर्डिनेन्स फक्ट्रीज आज चल नहीं रही हैं, लेकिन आप को छोटे अस्त्रों के साथ, मौजूदा सामग्री से ही, देश में एक युद्ध का वायुमंडल निर्मित करना होगा । सुरक्षा के लिये उन के हृदय में कुछ आकांक्षा पैदा करने के लिये करोड़ों लोगों को आप को मिल्टिरी ट्रेनिंग देनी होगी, चाहे वह एक महीने के ही लिये या दो ही महीने के लिये हो । नेशनल वालेन्टियर कोर के लिये तो यह बताया भी गया है कि एक महीने के बाद उन की ट्रेनिंग समाप्त होगी । किन्तु इस प्रकार से देश के १८ से ले कर ४० वर्ष तक के सभी लोगों को आप क्यों यह ट्रेनिंग नहीं देते यह मुझे मालूम नहीं । हर एक आदमी को इस प्रकार से शिक्षित कर के आप को सेकेन्ड लाइन आफ डिफेन्स बनाना पड़ेगा । इस के बाद मैं एक दो बातें और कह कर अपना भाषण समाप्त कर दूंगा । डिफेन्स

[श्री वी० जी० देशपांडे]

इतने बड़े स्वरूप के परिवर्तन की जब हमें चेष्टा करनी है तो आप की मूलभूत मनोवृत्ति है उस को बदलना होगा । देश की इस आवश्यकता के ऊपर अगर आप की दृष्टि नहीं गई तो आप का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता है । आप बेकारी के प्रश्न को बार बार ले कर प्राइवेट सैक्टर और पब्लिक सैक्टर की बात करते हैं । लेकिन अगर आप देश की और स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर सकते तो आप के सारे उद्देश्य समाप्त होने वाले हैं । इस को आप को समझ लेना होगा । इस समय मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है । एक नाव में बैठ कर कुछ आदमी नदी पार करने के लिये जा रहे थे । उन आदमियों में एक प्रोफैसर साहब भी बैठे हुए थे । प्रोफैसर ने मल्लाह से पूछा कि तुम अर्थशास्त्र जानते हो ? उस ने कहा यह क्या चीज है ? मुझे तो इस का पता नहीं । प्रोफैसर ने कहा कि तेरा एक चतुर्थांश जीवन समाप्त हो गया । फिर उस प्रोफैसर ने पूछा कि तुम तत्व ज्ञान जानते हों , उस ने जवाब दिया, मैं नहीं जानता हूं, तो प्रोफैसर ने कहा कि तुम्हारा आधा जीवन समाप्त हो गया । इस के बाद उस ने पूछा कि तुम ने मार्क्सिज़्म पढ़ा है ? उस ने जवाब दिया मैं तो यह भी नहीं जानता । इस पर प्रोफैसर ने कहा कि तुम्हारा तीन चौथाई जीवन समाप्त हो गया । इतने में नाव में छेद हो गया और नाव में पानी भरने लगा । तो मल्लाह ने प्रोफैसर से पूछा कि तुम तैरना जानते हो ? इस पर प्रोफैसर नें कहा कि नहीं, मैं तैरना नहीं जानता । मल्लाह ने कहा कि तुम्हारा सम्पूर्ण जीवन समाप्त हो गया । इसी प्रकार से आप की सारी योजनायें समाप्त हो सकती हैं अगर आप सुरक्षा की योजना नहीं जानते इस दृष्टि से मैं कहूंगा कि आप अर्थशास्त्र विषयक विचारों को छोड़िये, आप सब विचारों को छोड़ कर सुरक्षा की योजना बनाइये ।

इस के साथ ही साथ जो आप का शासन चल रहा है उस शासन में भी बड़ी शिकायतें आ रही हैं । मैं स्वयं मंत्री जी के पास दस, पांच दफा गया कि ४० गांवों के हजारों लोगों की जमीनें बबीना फायरिंग रेन्ज के लिये ली गईं, लेकिन उन को कोई मुआवजा नहीं दिया जा सका । जब तक कांग्रेस की सरकार का राज्य नहीं था, जब तक राजा का राज्य था, तब तक तो लोगों को मुआवजा मिल जाता था ; उस के बाद पिछले सात सालों में उन को एक पाई भी नहीं मिली । त्यागी साहब बड़े बुद्धिमान हैं, उन्होंने उन को बड़ा हौसला दिया कि सब को मुआवजा मिल जायेगा । लेकिन वहां से आने के बाद यही नहीं कि कुछ मिलता नहीं, बल्कि कहा जाता है कि तुम कांग्रेस को वोट नहीं देते हो तो अब जाओ हिन्दू सभा वालों के पास । तुम को एक पैसा नहीं मिलेगा ।

श्री त्यागी : यह ठीक नहीं है, मैं उधर कभी नहीं गया ।

श्री वी० जी० देशपांडे : प्रान्तीय मिनिस्टर । आप ने नहीं, मैं प्रान्त की बात कह रहा हूं । मैं आप के पास और आप की सरकार के पास यह शिकायतें ले कर आया हूं । मंत्री जी को भी मैं बतलाना चाहता हूं हूं कि बबीना फायरिंग रेन्ज के लिये गवर्नमेंट को जो मुआवजा देना है वह नहीं दियो गया है । इस के साथ जो इरेंगुलर मजदूर थे, उन को रेगुलर करने या रेगुलर क्लर्क्स को प्रोमोशन देने के बारे में भी कुछ नहीं किया गया है । मैं समझता हूं कि इस की तरफ भी हमारे रक्षा मंत्रालय के मंत्री ध्यान देंगे ।

इतना ही कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री गोपाल राव (गुडीवाडा) : हम इस समय बजट के सब से महत्वपूर्ण

भाग पर चर्चा कर रहे हैं जिस पर हमारे राजस्व का अधिकांश भाग व्यय किया जाता है। इस वर्ष के बजट में सेना का व्यय २ अरब ४५ करोड़ रुपये दिया हुआ है।

प्रधान मंत्री ने कहा है कि वह सेना का आदर्श उस प्रकार का नहीं रखना चाहते हैं जैसा कि अंग्रेजों के समय में था। साथ ही वह प्रथम श्रेणी के अंग्रेजी हथियार मंगाने की अपेक्षा द्वितीय श्रेणी के देशी हथियारों का प्रयोग करना श्रेयस्कर समझते हैं। विचार तो बड़े सुन्दर हैं किन्तु देखना यह है कि इन्हें कहां तक व्यवहार में लाया जाता है।

पूंजी व्यय के लिये २४ करोड़ ६४ लाख रुपये निश्चित किये गये हैं। इस धन को जहाज खरीदने, अधिग्रहीत भूमि की क्षति-पूर्ति देने आदि कार्यों में व्यय किया जायगा। एक ओर तो हम से यह कहा जाता है कि देशी हथियारों के उपयोग को बढ़ाया जायगा और दूसरी ओर जहां १९५४–५५ में रक्षा-उद्योगों पर १८ करोड़ व्यय किया गया था वहां इस वर्ष केवल १५ करोड़ ६४ लाख रुपये का ही उपबन्ध है। क्या देशी उद्योग को इसी प्रकार प्रोत्साहन दिया जाता है ?

अब मैं सेना के वेतन-स्तरों के विषय में कुछ कहूंगा। सैनिकों और अफसरों के वेतनों में जमीन और आसमान का फर्क है। सिपाही का मूल वेतन २५ रुपये है जबकि अफसरों को ३,००० रुपये मासिक दिये जाते हैं। सिपाही के आठ आने प्रति वर्ष बढ़ते और ब्रेगेडियर के सौ रुपये बढ़ते हैं। यह अनुपात १ और २०० का है। क्या इसे उचित कहा जा सकता है ? क्या कांग्रेस इसी प्रकार की समाजवादी रचना चाहती है ? हम तो समझते थे कि सेना के वेतन स्तरों का इस वर्ष पुनरीक्षण किया जायगा किन्तु इस विषय में कुछ नहीं किया गया है।

मुझे सैनिकों और अफसरों के पारस्परिक व्यवहार और असन्तोष के सम्बन्ध में भी कुछ कहना है। पिछले तीन वर्षों से यह विवादास्पद विषय रहा है। इस के अनेक कारण हैं फिर भी माननीय मंत्री ने तो हमारे सामने ऐसा चित्र खींचा है मानो सिपाहियों के घरों में दूध दही की नदियां बहती हों।

परन्तु मेरा अनुभव इस के विपरीत है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि पिछले छः सात वर्षों में उन्होंने क्या परिवर्तन किये हैं। पहले यदि कोई सैनिक वफादार और केवल आंख मूंद कर पीछे पीछे चलने वाला होता था तो यह उस का गुण माना जाता था परन्तु आज कल हमारी सेना राष्ट्रीय सेना है, इसलिये बुद्धिमत्ता, चौकन्नापन आदि गुण आदि उस में होने चाहियें। क्या इस आधार पर पदाधिकारियों को शिक्षा दी जाती है ? परन्तु ऐसा है नहीं। मैं कुछ सैनिकों से मिला तथा उन्होंने बताया कि वे अपने निवास स्थान, वेतन आदि से सन्तुष्ट नहीं हैं। कैन्टीनों आदि में दुर्व्यवस्था है तथा वे प्रतिनिधान तक भी नहीं कर सकते हैं। आप कहते हैं कि पदाधिकारियों तथा सैनिकों के आपसी संबंध अच्छे हैं परन्तु हमें इस का ध्यान रखना चाहिये कि सत्य क्या है तथा विकास ठीक प्रकार से हो रहा है अथवा नहीं।

मैं ने कई सैनिकों से पूछा कि क्या वे अपनी शिकायतों को ऊंचे पदाधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वे ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं तथा यदि वे कभी ऐसा करें तो उन्हें इस का दण्ड दिया जायेगा।

प्रत्येक मास कमांड पदाधिकारी एक दरबार करता है। यह बिल्कुल उसी प्रकार का दरबार होता है जैसा जेलों में कभी कभी

[श्री गोपाल राव]

इंस्पैक्टर जनरल, हमारे लिये दरबार आयोजित किया करते थे। उसी प्रकार की यदि इन दरबारों में कोई सैनिक अपनी कोई शिकायत प्रस्तुत करने का प्रयत्न करे तो वह जानते हैं कि उस को किसी न किसी अपराध में दण्ड अवश्य भुगतना पड़ेगा। इसलिये कोई भी चूं तक नहीं करता है।

हम सभी चाहते हैं कि आपसी सम्बन्ध अच्छे होने चाहियें परन्तु इस के लिये ठोस कार्य करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार की समस्यायें युद्धास्थ कारखानों के कर्मचारियों के सम्मुख भी हैं। हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट फैक्टरी में लगभग ८,००० कर्मचारियों ने केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन लाभ की मांग प्रस्तुत की थी परन्तु उनसे यह कह दिया गया कि वे सरकारी कर्मचारी नहीं हैं जब कि वहां रक्षा शस्त्रास्त्रों का निर्माण किया जाता है। हिन्दुस्तान एयर फ्राफ्ट एसोसियेशन ने मैसूर राज्य सरकार, श्रम मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय सभी को अपनी मांग से अवगत कराया परन्तु प्रत्येक बार उन को यही उत्तर दिया गया। अब समय आ गया है जबकि हमें यह देखना है कि रक्षा उद्योगों के कर्मचारियों की उपयुक्त मांगों पर पूर्ण विचार किया जाता है या नहीं। उन को उपयुक्त मंहगाई भत्ता, किराया भत्ता, नगर भत्ता आदि से भी कुछ मिलना चाहिये तथा लाभांश वितरण के समय भी उन का ध्यान रखा जाना चाहिये।

हजारों सैनिकों को केवल मासिक निवृत्ति-वेतन दिया जाता है जो कि अपर्याप्त है तथा इसलिये वे बड़ी ही कठिनाई में हैं। मेरा निवेदन है कि उन की नियुक्ति अन्य कार्यों में की जानी चाहिये।

निवृत्ति वेतन के लिये १६,३३,९५,००० रुपय की मांग रखी गई है जिस में से पांच करोड़ से अधिक रुपया सेवा-निवृत्त भूतपूर्व अंग्रेज पदाधिकारियों के लिये निश्चित किया गया है। हमारी सरकार का यह कार्य ठीक नहीं है, क्योंकि भारतीय नागरिकों को कष्ट देकर ही वह इस धन को दे सकते हैं। यह ठीक है कि हम ने उन से समझौते किये हैं, वायदे किये हैं परन्तु उन्होंने हमारा कितना ध्यान रखा है। इसलिये इस कठिन काल में हमें इसे बन्द कर देना चाहिये तथा जिस राष्ट्र के वे नागरिक हैं उसी राष्ट्र पर उन का उत्तरदायित्व डाल देना चाहिये।

रक्षा उप मंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : मैं चर्चा में प्रस्तुत किये गये कुछ प्रश्नों का उत्तर देना चाहता हूं। दोनों ओर के सदस्यों ने कई विषयों पर बहुत कुछ कहा है। कई बातों में उन में मतभेद है तथा कुछ महत्वपूर्ण विषयों में एकमत हैं। कुछ समस्त रक्षा के व्यवस्था को ही बदलना चाहते हैं तथा नवीन शस्त्रास्त्रों का प्रयोग बढ़ाना चाहते हैं। कुछ अन्य पुरातन हथियारों को ही प्रचलित रखने के पक्ष में हैं। परन्तु कुछ ऐसे भी हैं जो शान्ति और भ्रातृभाव बढ़ाने के पक्ष में हैं तथा रक्षा आय-व्ययक में कमी करना चाहते हैं। इन निर्मित विचार धाराओं के आधार पर हमारा विचार है कि इस समय सरकार की प्रचलित नीति ठीक ही है। देश के संसाधनों, टैक्नोलोजिकल तथा वैज्ञानिक गवषणा और औद्योगिक विकास की वर्तमान प्रगति पर विचार कर के तथा विदेश नीति पर ध्यान रख कर अपनी योग्यतानुसार देश में रक्षा बनाये रखने का सरकार प्रयत्न करती है। हमारी प्रचलित नीति के पूर्णतया विचारित तथा सुचारु होने का यही प्रमाण है कि ३६,०० लाख व्यक्ति शान्तिपूर्वक रह रहे हैं तथा उन्हें न तो विदेशी हमले का भय है और न ही कोई आन्तरिक गड़बड़ी है। सदस्यों ने हमारे शस्त्र बलों के पदाधिकारियों तथा सैनिकों की प्रशंसा की है तथा मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन्हें इस बात

से प्रोत्साहन मिलेगा कि उन के कार्य की प्रशंसा सभा में की गई है। सभा के सभी सदस्य इस विषय पर एक मत हैं कि उन्होंने अपना कार्य सुचारु रूप से किया है। रक्षा एक राष्ट्रीय विषय है तथा जब देश की रक्षा का प्रश्न आता है तो कोई भी दल अथवा बन्धन हमारे आड़े आने का विचार भी नहीं कर सकते हैं। हमें एक सूत्र में बांधने वाला एक समान उद्देश्य है।

माननीय सदस्यों ने रक्षा उद्योगों के विकास के सम्बन्ध में कहा है। सभी इस बात पर एक मत हैं कि हमें आत्म निर्भर होना चाहिये तथा जितना अधिक हो सके उतने शस्त्रास्त्रों तथा उपकरणों का निर्माण करना चाहिये। मैं सरकार की ओर से उन माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि सरकार का भी यही विचार है। इस सम्बन्ध में सरकार तथा सभा के सदस्यों में कोई मतभेद नहीं है। सरकार इस का पूर्ण प्रयत्न कर रही है। इस सम्बन्ध में मैं थोड़ी देर में और बताऊंगा।

आयव्ययक आंकड़ों में कुछ करोड़ रुपये पूंजी व्यय शीर्ष में रखे गये हैं। यह उपबन्ध रक्षा उद्योगों की वृद्धि करने नौसेना डाकयार्ड का विकास करने तथा प्रतिस्थापन कार्यक्रम के अनुसार कुछ जहाजों को खरीदने के लिये ही दिया गया है। व्यर्थ व्यय को घटा कर अधिकतम मितव्ययता करने का प्रयत्न किया जा रहा है। हमारे विरोधी पक्ष के कुछ मित्रों तथा विशेषतया श्री पटनायक ने शस्त्रास्त्र डिपो आदि में भांडारों के बेकार पड़े रहने के सम्बन्ध में कुछ कठोर शब्द कहे हैं। परन्तु यदि उन्होंने आयव्ययक के आंकड़ों तथा रक्षा मंत्रालय के कार्यों के संक्षिप्त विवरण को ध्यानपूर्वक पढ़ा होता तो उन का निर्णय कुछ अन्य प्रकार का ही होता।

चालू वर्ष में सेना द्वारा अपेक्षित विभिन्न भांडारों का पुनरीक्षण करना संभव हो सका है तथा यथासमय पर्याप्त मितव्ययता होने की आशा है। श्री पटनायक तथा कुछ अन्य मित्रों ने रक्षा सेवाओं के आधुनिकीकरण के सम्बन्ध में कहा। मैं यह कह सकता हूं कि सेना को आधुनिक रूप दिया जा चुका है। पिछले युद्ध में उत्तम हथियार तथा उपकरण बड़ी संख्या में हमारे पास थे। श्री मोरे ने बताया कि सभा में कुछ ऐसे सदस्य भी हैं जो युद्ध कला तथा रक्षा भांडारों के सम्बन्ध में विशेष ज्ञान रखते हैं तथा जिनको इनकी अधिक जानकारी है। मैं इस प्रकार का दावा नहीं करता हूं, केवल बता देना चाहता हूं कि पिछले युद्ध में काम में लाये गये उत्तम हथियार तथा भांडार हमारे डिपों में पड़े हुए थे तथा वह हम को उत्तराधिकार में प्राप्त हुए थे। हम इन का उचित उपयोग करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मुझे ज्ञात नहीं है कि माननीय सदस्य का निर्देश किस किस विमान भेदक तोप की ओर है।

श्री यू० सी० पटनायक (धुमसूर) : यह लगभग पांच वर्ष पुरानी है।

श्री सतीश चन्द्र : तो कदाचित हम इस को लेना नहीं चाहते हैं। जो वस्तुयें अन्य व्यक्तियों के पास हैं, उन सभी को लेना आवश्यक नहीं है। हम अधिकतर पुरातन हथियारों पर ही निर्भर हैं तथा नवीन उपकरणों तथा हथियारों की दौड़ में भाग नहीं ले रहे हैं।

नौसेना के पुराने जहाजों के स्थान पर नये जहाज प्राप्त करने का पूर्ण प्रयत्न किया जा रहा है तथा इसी प्रकार वायु सेना की शक्ति बढ़ाने के लिये विमानों की नई किस्मों का चुनाव किया जा रहा है। मैं नहीं जानता कि सेना नौसेना तथा वायुसेना के आधुनीकरण के लिये भारत जैसे देश में इतने थोड़े आय-

[श्री सतीश चन्द्र]

व्ययक उपबन्ध के द्वारा और क्या किया जा सकता है ।

अब मैं भांडारों के देश में उत्पादन के संबंध में कुछ बताता हूं। श्री पटनायक तथा अन्य माननीय सदस्यों ने हमारे रक्षा उद्योगों तथा भांडारों के विकास की आवश्यकता के सम्बन्ध में कहा है । युद्धास्त्र कारखानों ने कई नवीन वस्तुओं का निर्माण प्रारम्भ कर दिया है तथा अन्य वस्तुयें विकासोन्मुख हैं । कई प्रकार के सामानों के निर्माण का कार्य प्रारम्भ करने में युद्धास्त्र कारखानों को यह कठिनाई होती है कि अधिकतर सामानों के रूपांकन तथा विशेषतायें भारत को ज्ञात नहीं हैं। दूसरे शब्दों में प्रशिक्षित रूपांकन कर्त्ताओं, आयोजन कर्मचारियों तथा प्राक्कलन कर्त्ताओं की कमी है । इन विशेष श्रेणियों के शिल्पिकों को प्रशिक्षण देने के सभी संभव उपाय किये जा रहे हैं । जब कि युद्धास्त्र कारखानों के योजना विभाग में इस प्रकार की कमियां हैं तथापि दूसरे प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन के लिये बहुत अधिक क्षमता उपलब्ध है। कुछ सामान इस प्रकार के हैं जिन के निर्माण के लिये देश में कोई क्षमता उपलब्ध नहीं है । इस अतिरिक्त क्षमता को स्थापित करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। १९५३ के प्रारम्भ में एक मशीनी औजार, प्रोटोटाइप कारखाना खोला गया था । आधुनिक शस्त्रास्त्रों के निर्माण के लिये एक कारखाना तथा रेडियो और इलैक्ट्रोनिक उपकरणों के निर्माण के लिये एक दूसरे कारखाने को भी स्थापित किया जा चुका है । आशा है कि अगले वर्ष तक भारत इलैक्ट्रोनिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड कार्य करना प्रारम्भ कर देगी । भारत में अन्य महत्वपूर्ण उपकरणों के निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार किया जा रहा है।

श्री यू० सी० पटनायक : क्या माननीय मंत्री ने १९५४ के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को देखा है जिस में यह दिया है कि प्रोटोटाइप कारखाने में केवल दो ग्राइंडरों का ही निर्माण हुआ है ।

श्री सतीश चन्द्र : जी हां, दो प्रकार के । यदि माननीय सदस्य थोड़ा धैर्य रखें तो वह देखेंगे कि आगामी दो अथवा तीन वर्षों में और भी बहुत सी वस्तुओं का निर्माण किया जायेगा । जैसा कि मैं ने बताया और भी महत्वपूर्ण उपकरणों का रूपांकन तथा आयोजन किया जा रहा है। उस कारखाने में बड़े महत्वपूर्ण यंत्र रखे गये हैं । इस कारखाने से सम्बद्ध शिल्पकार प्रशिक्षण स्कूल में शिल्पिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है । जैसे जैसे और अधिक रूपांकनकर्ता तथा शिल्पिक प्रशिक्षित हो जायेंगे, कारखानों के उत्पादन में वृद्धि होती जायेगी ।

युद्धास्त्र कारखानों के बेकार श्रम के सम्बन्ध में कुछ कहा गया है । रक्षा सेवाओं की उन उपकरणों से सम्बन्धित मांग जिनका निर्माण प्रारम्भ हो चुका है बहुत कम हो गई हैं क्योंकि सेवा की सभी रक्षित तथा देखरेख सम्बन्धी समस्त आवश्यकताओं को कारखाने ने पूर्ण कर दिया है । दूसरी ओर रक्षा सेवा उन अन्य नवीन उपकरणों से सम्बन्धित मांग जिनका निर्माण अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है, इसलिये नहीं बढ़ाई गई है क्योंकि कारखानों के उत्पादन विभागों में काम की कमी है और अनेक मागों के सम्बन्ध में योजनायें बनाई जा रही हैं तथा रूपांकन किये जा रहे हैं। रक्षा के अन्य नवीन उपकरणों की योजना बनाने, रूपांकन करने तथा निर्माण करने की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिस में अधिक समय लगता है और जिस के कारण कुछ समय तक कारखानों की पर्याप्त क्षमता बेकार रहती है । इस कारण चालू वर्ष में असैनिक आवश्यकताओं के उत्पादन

को बढ़ाया गया है तथा चालू वर्ष में पिछले वर्ष के १½ करोड़ रुपये के उत्पादन के स्थान पर तीन करोड़ रुपये का उत्पादन किया गया है । यदि यह कार्य प्रारम्भ न किया जाता तो अभी तक लगभग १०,००० व्यक्ति अतिरेक होते इसलिये इन कारखानों में अतिरिक्त असैनिक निर्माण कार्य किया गया है और भी अधिक असैनिक वस्तुओं का उत्पादन करने के लिये, आर्डरों का मूल्यांकन करने में शिथिलता से काम लिया गया है परन्तु फिर भी कुछ अतिरेक क्षमता तथा श्रम है। सरकार बलदेव सिंह समिति के प्रतिवेदन की जांच कर रही है तथा इस की सिफारिशों के सम्बन्ध में शीघ्र ही कोई निर्णय करने की आशा करती है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : (बसिरहाट) : क्या उसे सभा पटल पर रखा जायेगा ?

श्री सतीश चन्द्र : उसे सभा-पटल पर रखने का कोई इरादा नहीं है । मेरी माननीय मित्र ने अपने भाषण में कहा था कि वह रक्षा सामान के उत्पादन, युद्ध महत्व की सामग्री, आदि के बारे में जानना नहीं चाहती और अगले वाक्य में उन्होंने इस बात की मांग की गई है कि उसेसभा-पटलपर रखा जाये ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : हम जानना चाहते हैं कि क्या कम से कम वह अंश जिस में सभी कर्मचारियों के उपयोग के सम्बन्ध में सिफारिशें की गई हैं सभा पटल पर रखा जायेगा या नहीं ?

श्री सतीश चन्द्र : यह संभव है कि एसे अंशों के सम्बन्ध में सरकार के निश्चय उस विषय पर प्रश्न पूछ कर जाने जा सकते हैं । युद्धास्त्र कारखानों के अभारतीय गज़टेड पदाधिकारियों के सम्बन्ध में भी कुछ कहा गया है । बीस युद्धास्त्र कारखानों में कुल ४७ अभारतीय पदाधिकारी हैं । इन में से ३१ व्यक्ति १५ अगस्त, १९४७ को भारत सरकार की स्थायी सेवा में थे । उन्होंने स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत में रहने और सरकार की सेवा करते रहने की इच्छा प्रकट की थी । सरकार ने उन की बात स्वीकार कर ली और वह सेवा निवृत्ति काल तक युद्धास्त्र कारखानों में काम करते रहेंगे । सरकार के लिये यह उचित नहीं है कि वह अपने वचन से डिगें और उन लोगों से कारखाने छोड़ कर जाने के लिये कहें । वह लोग युद्धास्त्र कारखानों में अच्छा कार्य कर रहे हैं । और उन्होंने इन कारखानों के कामों में बहुमूल्य सहायता की है ।

श्री यू० सी० पटनायक : उन में से कितनों की सेवायें बढ़ा दी गई हैं । और कितनों को त्यागपत्र के बाद पुनः नियोजित किया गया है ?

श्री सतीश चन्द्र : ये प्रश्न वाद-विवाद और प्रश्न काल के समय कई बार पूछे जा चुके हैं । मैं समझता हूं कि उन में से थोड़ों की ही सेवायें बढ़ा दी गई हैं । शायद माननीय मंत्री के दिमाग में उस एक व्यक्ति की बात है जिस की सेवा बढ़ा दी गई है और उसी आधार पर वह सारे मामले को कस रहे हैं । हो सकता है इस मामले में कुछ विशेष कारण हों । उन में से बहुतों की सेवायें बढ़ाई नहीं गई हैं । वे पदाधिकारी नवयुवक हैं । वे युद्धास्त्र कारखानों में बड़ा महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं । उन में से कुछ निर्माण प्रबन्धक हैं और कुछ अधीक्षक हैं ।

यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिये क्या उपाय हमने किये हैं । इस सम्बन्ध में मैं आंकड़े दूंगा । १५ अगस्त, १९४७ को ४५ भारतीय पदाधिकारी थे, अब उन की संख्या २३२ है । यह लोग युद्धास्त्र कारखानों में इन्जीनियर, टेक्नीशियन और गजटेड

[श्री सतीश चन्द्र]

पदाधिकारी हैं। उन की संख्या ४५ से बढ़ कर २३२ हो गई है। धीरे धीरे यह लोग हमारे कारखानों में काम करने वाले विदेशियों की जगहें लेंगे। अभारतीयों की संख्या बहुत कम हो गई है। धीरे धीरे भारतीयकरण हो रहा है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : विशेषज्ञों के सम्बन्ध में क्या हो रहा है ?

श्री सतीश चन्द्र : युद्धास्त्र कारखानों के अधिकांश भारतीय पदाधिकारियों की भर्ती अभी हाल में, या तो युद्ध के समय या युद्ध के पश्चात्, हुई है। एक इन्जीनियरिंग संस्थापन के लिये और विशेषतया ऐसे संस्थापन के लिये जिस का सम्बन्ध अस्त्र, शस्त्र और युद्ध-सामग्री से हो, केवल कागजी अर्हतायें पर्याप्त नहीं हैं। किसी व्यक्ति को अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण पद का भार देने के लिये युद्धास्त्र कारखाने का अनुभव परम आवयश्क है।

श्री यू० सी० पटनायक : उस महावरिष्ट भारतीय पदाधिकारी, जिसे बलात्-सेवा निवृत्ति दी गई थी, के सम्बन्ध में क्या हो रहा है ?

श्री सतीश चन्द्र : जहां तक मुझे पता है, उन्होंने स्वयं इच्छा से ही त्यागपत्र दिया था।

विदेशों से सामान खरीदने के बारे में भी काफी चर्चा की गई है। सर्वप्रथम, मैं इस सम्बन्ध में कुछ बताऊंगा कि किस प्रक्रिया के अनुसार यह मांग आदेश दिये जाते हैं ताकि आप लोगों को कोई गलतफहमी न हो। सरकारी संसाधनों से प्राप्त किये जाने वाले सामान के बारे में सैनिक सलाहकार या उच्च आयुक्त का सैनिक सहचारी या राजदूत का सैनिक सहचारी आवश्यक सामान के लिये सम्बन्धित सरकार से बातचीत करता है। यदि सरकारी संसाधनों से सामान प्राप्त नहीं किया जा सकता और उसे वाणिज्य द्वारा मंगाना पड़ता है तो भारत सामान विभाग, लन्दन के महानिदेशक या भारत संभरण मिशन, वाशिंगटन को जैसा उचित हो, आवश्यक कार्यवाही के लिये बीजक भेजा जाता है। इस के पश्चात् उन सामानों के सम्बन्ध में बातचीत करने और उन्हें मंगाने का उत्तरदायित्व निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय पर रहता है। यह बात मैं इसलिये बता रहा हूं कि प्रायः रक्षा सामान के खरीदने के बहुत से मामले निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के क्षेत्र में पड़ते हैं।

इसी प्रकार ५,००० रुपये से अधिक राशि के सामान को देश में ही खरीदने का काम संभरण तथा उत्सर्जन के महानिदेशक करते हैं।

रक्षा सामान के उत्सर्जन के सम्बन्ध में मैं केवल थोड़े से शब्द कहना चाहता हूं। १९५४ में २२,२७७ टन अतिरिक्त सामान का उत्सर्जन किया गया था। रक्षा सेवाओं में इस की आवश्यकता नहीं थी। यह सामान युद्ध के समय से जमा हो रहा था और ऐसा विचार किया गया कि जनता या अन्य मंत्रालयों द्वारा इस का अच्छा उपभोग हो सकता है। यह बात उठाई गई है कि क्या इस सामान का उपयोग करने में समन्वय से काम लिया जाता है या नहीं। इस सम्बन्ध में मैं बतलाना चाहता हूं कि किसी सामान को उत्सर्जन के लिये घोषित करने के पूर्व अन्य दोनों सेवाओं, नौ सेना और वायु सेना से परामर्श कर के पूछ लिया जाता है कि क्या इस सामान की आवश्यकता है। यदि उन्हें इस सामान की आवश्यकता नहीं होती तो इस सामान को संभरण तथा उत्सर्जन के महा निदेशक के नाम घोषित कर दिया जाता है। उन को बेचने के पूर्व वह सभी मंत्रालयों, भारत

सरकार और राज्य सरकारों तथा स्थानीय निकायों से पूछताछ कर लेता है। जब उसे उत्तर मिल जाता है कि इन में से कोई भी इस सामान को नहीं चाहता तो वह उन्हें बेचने की कार्यवाही करता है।

सामान खरीदने के सम्बन्ध में हम जांच कर रहे हैं कि क्या यह सामान देश में तैयार किया जा सकता है। एक सामान क्रय पड़ताल समिति है जिस में निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के विकास प्रार्श्व, युद्धास्त्र कारखानों के महा-निदेशक और तीनों रक्षा सेवाओं के प्रतिनिधि होते हैं। वह मामले की छानबीन करते हैं। यदि सामान युद्धास्त्र कारखानों में बनाया जा सकता है तो उस के लिये मांग आदेश डी० जी० ओ० एफ० के पास भेजा जाता है। यह वह सामान गैर-सरकारी स्वदेशी निर्माताओं से उपलब्ध हो सकता है तो उन्हें मांग आदेश दिया जाता है। यदि यह पता लगता है कि भारत में वह सामान तैयार किया जा सकता है और गैर-सरकारी क्षेत्रों में इस कार्य के करने का सामर्थ्य है तो गैर-सरकारी निर्माताओं का सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। जब रक्षा मंत्रालय को पूरा विश्वास हो जाता है कि उक्त सामान भारत में उपलब्ध नहीं है और न तैयार किया जा सकता है, तभी विदेशों का आदेश दिया जाता है। यह समिति और इस की विभिन्न उपसमितियां रक्षा सामान की सूचियों की छानबीन कर रही हैं और गत ४ या पांच वर्षों में इस समिति ने १४,००० से १५,००० चीजों का व्यापार द्वारा देश में ही तैयार करने की सिफारिश की है। उन में से बहुत से सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा चुका है। सामान का अनुमोदन हो जाने के बाद ही बड़े आदेश दिये जाते हैं। इस मामले में काफी उन्नति हो चुकी है शस्त्रों और युद्ध के सामान के निर्माण पर राज्य का एकाधिकार है। अन्य चीजों को गैर-सरकारी उद्योगपतियों द्वारा तैयार कराने की कोशिश कर रहे हैं। युद्धास्त्र कारखानों में कई चीजों के निर्माण का विकास कर लिया गया है और उनका निर्माण कार्य स्थापित कर दिया गया है। बहुत सी अन्य निर्माण मदों का विकास किया जा रहा है : मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अवस्था उतनी खराब नहीं है जितनी कुछ माननीय सदस्य बताते हैं। निश्चय ही हम प्रगति कर रहे हैं।

बहुत से सदस्यों का मत है कि रक्षा विज्ञान संगठन के विकास होना चाहिये। यह भी कहा गया है कि विश्वविद्यालयों तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय आदि का समन्वय होना चाहिये। सभा को विदित है कि रक्षा विज्ञान संगठन की मुख्य प्रयोगशाला राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के भवन में स्थित है। इस ने गोष्ठी का आयोजन किया और विश्व-विद्यालयों से वैज्ञानिकों को आमंत्रित किया। बहुत सी समितियों की बैठक में रक्षा विज्ञान संगठन, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के प्रतिनिधि एक साथ बैठ कर सहयोग को सफल बनाने की समस्याओं पर विचार करते हैं। रक्षा विज्ञान संगठन धीरे धीरे विकसित हो रहा है। माननीय सदस्य कह सकते हैं कि इस कार्य में विलम्ब हुआ है पर इस का कारण यह है कि शस्त्र संचालन और यंत्र संचालन गवेषणा के क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिकों का अभाव है। धीरे धीरे सेना के स्थायी रूपका निर्माण किया जा रहा है रक्षा विज्ञान सेवा का निर्माण कर दिया गया है। रक्षा विज्ञान संगठन में कार्य करने वाले वैज्ञानिकों के अतिरिक्त टेकनोला-जिकल विकास संस्थापन आदि के वैज्ञानिक पदाधिकारी भी रक्षा विज्ञान सेवा के

[श्री सतीश चन्द्र]

सदस्य होंगे ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सके। इस से, म समझता हूं, अच्छा. समन्वय होगा । नौ सैना से सम्बन्धित दो प्रयोगशालायें , एक बम्बई में और दूसरी कोचीन में है । यह एक छोटी संस्था है पर यह बड़ी सफलता से काम कर रही है । कई सम्मेलन बुलाये गये जिन में विचारों का आदान-प्रदान हुआ और सेवा पदाधिकारियों को भी बुलाया गया । उन्हें अनुभव प्राप्त हुआ और विचारों के आदान-प्रदान से भी ठोस लाभ हुआ ।

सभा को विदित है कि राष्ट्रीय छात्र सेना दल की प्रगति बड़ी तेजी से हुई है । उस के विस्तार की प्रशंसा सभी करते हैं । राष्ट्रीय स्वयं सेवक सेना इस वर्ष एक लाख नागरिकों को प्रशिक्षण देगी । मेरे माननीय मित्र श्री भागवत झा आजाद ने गत वर्ष की संख्या १३,००० पर जोर दिया है : नयी योजना के अधीन अगले महीने शिविर प्रारम्भ हो जायेंगे । थोड़े ही महीनों में, १ करोड़ के प्रति वर्ष व्यय पर १ लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा ।

मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता । माननीय मंत्री जी कर्मचारियों एवं नीति से सम्बन्धित महत्वपूर्ण बातों पर कल जिक्र करेंगे । मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि रक्षा उद्योगों के विकासों तथा रक्षा सामग्री के स्वदेशी उत्पादन के सम्बन्ध में सदस्यों की उत्सुकता से सरकार को पूरी सहानुभूति है ।

श्री जोकीम आल्वा : मेरे माननीय मित्र श्री यू० एस० पटनायक ने विमान-भेदी तोपों के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया है। कदाचित मंत्री जी ने ब्रिटिश रक्षा पत्रों को पढ़ा होगा जिन में लिखा है कि विमान-भेदी यंत्र-व्यवस्था समाप्त कर दी गई है ।

सभापति महोदय : मंत्री जी के उत्तर देते समय माननीय सदस्य को खड़े हो कर बीच में नहीं बोलना चाहिये ।

श्री जोकीम आल्वा : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया ।

सभापति महोदय : मैं माननीय मंत्री को इस बात के लिये बाध्य नहीं कर सकता कि वह माननीय सदस्य को सन्तोषजनक उत्तर दें ।

डा० सुरेश चन्द्र (औरंगाबाद) : मैं रक्षा मंत्रालय से सम्बद्ध अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं , तथा श्री त्यागी, प्रभृति सभी मंत्रियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने मंत्रालय का कार्य बड़ी चतुरता से किया तथा व्यय में भी कमी की ।

श्री वी० जी० देशपांडे की विमति को छोड़ कर लगभग सभी सदस्यों ने भारतीय सेना की वीरता को प्रशंसा की। सारा संसार जानता है कि भारतीय सेना ने काश्मीर में ही नहीं, अपितु संसार के अन्य युद्ध क्षेत्रों में भी प्रशंसनीय कार्य किया है अतः श्री वी० देशपांडे का यह कहना भी उचित नहीं ज्ञात होता कि उन का हिन्द-चीन जाने से कोई प्रयोजन हल नहीं होगा जब कि हमारी सेना की शान्तिपूर्ण भावना ने कोरिया तथा हिन्दचीन में सफलता प्राप्त की है । ऐसा कहने से देश तथा उस की परम्परा के प्रति अनभिज्ञता प्रगट होती है ।

इतना कहने के पश्चात् अब मैं आज हिन्द फौज के सम्बन्ध में कहूंगा । कुछ दिनों पूर्व सभा में तथा सभा के बाहर भी इन मामलों को प्रस्तुत किया था । प्रधान मंत्री ने भी इस को अपना समर्थन प्रदान किया था किन्तु दुःख का विषय है कि इतने पर भी इन व्यक्तियों के साथ न्याय किया जा सका

इन के मामले को श्रीमती उमा नेहरू तथा श्री भक्त दर्शन ने बड़े योग्यतापूर्वक आप के सामने रखा । साथ ही सरदार पटेल ने इस के सम्बन्ध में जो कुछ कहा था वह स्मरणीय है । प्रधान मंत्री नेहरू ने तो यहां तक कहा था कि भारत की राष्ट्रीय सेना आजाद हिन्द फौज की बुनियाद पर ही बनेगी किन्तु आज हम उक्त सभी बातों को भूल चुके हैं ।

बहुत से माननीय सदस्य उन लोगों की वास्तविक अवस्था से परिचित नहीं हैं किन्तु हम लोगों को उन के तथा उन शहीदों की विधवाओं के पत्र प्राप्त होते रहते हैं जिनमें सरकार की उपेक्षा की शिकायत एवं अपनी करुणाजनक कहानी रहती है । आप कहते हैं कि उन्हें राजभक्ति की शपथ तोड़ी है किन्तु जिन लोगों ने शपथ तोड़ कर भारतीय राष्ट्रीय सेना का आश्रय लिया तत्पश्चात् उसे भी छोड़ दिया । उन्हें आप सभी सुविधायें एवं अधिमान दे रहे हैं । अब हम सम्राट के अधीन न हो कर स्वतन्त्र प्रजातन्त्र गणराज्य के नागरिक हैं और हमारा कर्तव्य है कि जिन लोगों ने इस स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिये अपने प्राणों की बाजी लगाई है, उन के प्रति हम न्याय करें ।

श्री त्यागी : माननीय सदस्य ने राज-भक्ति की शपथ तोड़ना शब्दों का कहां से उपयोग किया है । मंत्रालय ने इन शब्दों का कभी उपयोग नहीं किया ।

डा० सुरेश चन्द्र : यदि ऐसा है तो यह हर्ष का विषय है । तो क्या मैं मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि स्वतन्त्रता संग्राम में आजाद हिन्द फौज के काम आये वीरों की विधवाओं को निवृत्ति वेतन अनुदान अथवा उपदान क्यों नहीं दिये जा रहे हैं ?

श्री त्यागी : यदि कोई विशिष्ट मामले मेरे पास आयेंगे तो मैं उन की जांच करूंगा ।

डा० सुरेश चन्द्र : मैं इस प्रतिज्ञा के लिये माननीय मंत्री का कृतज्ञ हूं, क्योंकि ऐसे हजारों मामले हैं । मंत्री जी जानते होंगे कि यहां राष्ट्रीय सेना सहायता एवं जांच समिति है जिस के अध्यक्ष हमारे प्रधान मंत्री हैं । सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्य किया है, इस के मैं दो एक उदाहरण दूंगा ।

आप कहते हैं कि आजाद हिन्द फौज के व्यक्तियों को पुनः नये सिरे से कमीशन दिया जायेगा । क्या जनरल भोंसले जैसे ज्येष्ठ पदाधिकारी को पुनः द्वितीय लैफ्टिनेंट नियुक्त करना उपहासप्रद नहीं है ? आजाद हिन्द फौज में ऐसे कई पदाधिकारी थे । क्या उन के लिये यह कलंक की बात नहीं है ।

आजाद हिन्द फौज में ऐसे ऐसे कई सिपाही थे जिन की एकमात्र आजीविका सेना में नौकरी थी । आज कुछ सैनिक परम्पराओं के कारण सेना से पदत्याग करने के पश्चात् उन्हें कोई रोजगार नहीं मिल रहा है । इस का कारण यह है कि अंग्रेजी सरकार ने उन को नौकरी से हटाते समय 'बुरा' दर्शाया था । स्वतन्त्रता के पश्चात् हम ने 'बुरा' को 'अच्छा' कर दिया जो कि सैनिक क्रम में केवल तृतीय स्थान रखता है । इस के फल-स्वरूप इन्हें कहीं नौकरी नहीं मिल पाती है क्योंकि इन्हें निम्नतम वर्ग का समझा जाता है ।

मुझे हर्ष है कि माननीय मंत्री तथा प्रधान मंत्री को इन लोगों के प्रति पूरी सहानु-भूति है, तथा मैं सभा से निवेदन करता हूं कि वे इस प्रश्न पर पुनः नये सिरे से गम्भीरता-पूर्वक विचार करें ।

उन के वतन तथा निवृत्ति वेतन का भी प्रश्न है । उन्हें इन पदों का निवृत्ति वेतन मिला है । जिस पद पर वे उस समय थे जिस समय उन्होंने अंग्रेजों को समर्पण किया था । उन के साथ के लोग इस पर कहीं ऊंचे पदों में पहुंच गये हैं, किन्तु चूंकि

[डा० सुरेश चन्द्र]

उन्होंने स्वदेश के निमित्त त्याग एवं बलिदान किया । इस कारण वे अब भी कष्ट उठा रहे हैं । उन की पुर्ननियुक्ति का प्रश्न तो अब उठता ही नहीं क्योंकि उन में से अधिकांश बूढ़े हो चुके हैं या होते जा रहे हैं । किन्तु जो सेना के योग्य हैं उन्हें अवश्य नियुक्त किया जाय ।

एक अन्य प्रश्न उन्हें वेतन का बकाया चुकाने के सम्बन्ध में है । हम लोग करोड़ों रुपया अन्यत्र व्यय कर रहे हैं तो क्या हम केवल १.५ करोड़ रुपया उन लोगों को नहीं दे सकते हैं जिन्होंने स्वदेश के लिये अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था ? उन के आश्रितों को निवृत्ति वेतन मिलना चाहिये तथा इस प्रकार की अन्य मांगों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये ।

मैं माननीय मंत्री से यह विनम्र निवेदन करूंगा कि वह प्रधान मंत्री –जो आजाद हिन्द फौज सहायता तथा जांच समिति के अध्यक्ष हैं–के परामर्श से इन प्रश्नों पर विचार करें तथा उन लोगों के प्रति न्याय करें जो इस समय कष्ट उठा रहे हैं । और भूख एवं अभाव से पीड़ित हैं ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी (नेल्लोर) : रक्षा मंत्रालय के १९५४-५५ के प्रतिवेदन को पढ़ कर यह ज्ञात हुआ कि मंत्रालय का ध्यान अर्द्ध-सैनिक लक्ष्यों की ओर भी गया है । निस्सन्देह जो चित्र खींचा गया है वह बहुत आकर्षक है किन्तु मैं अपने को कटौती प्रस्ताव संख्या ३७२, ३७४ तथा ६६१ के अन्तर्गत आने वाले प्रशासन की त्रुटियों तक ही सीमित रखूंगा ।

अब भी बजट में काफी गुंजाइश रखी जाती है जैसा कि १९५२-५३ की लेखा परीक्षा के प्रतिवेदन से ज्ञात होता है कि बचत काफी हुई है तथा प्रतिवर्ष बचत होती रही है । १९५४-५५ के अन्तिम आंकड़े २३४ करोड़ हैं तथा शुद्ध व्यय २२३ करोड़ हैं । संशोधित प्राक्कलनों के अनुसार यह आंकड़े ३११ करोड़ हैं । कदाचित् महीने के अन्त तक और अधिक बचत हो जायेगी ।

यदि हम रक्षा का बजट अनुचित रूप से बढ़ा देते हैं तो इस का प्रभाव सामान्य बजट पर पड़ता है जिस से कि करारोपड़ की अधिक गुंजाइश हो जाती है । इस पर रक्षा सचिवालय के वित्त सलाहकारों को विचार करना चाहिये ।

मैं माननीय मंत्री से १९५४ की लेखा-परीक्षा की रिपोर्ट की ओर निर्देश करूंगा । मंत्रालय को अपने वार्षिक विवरण में इस का स्पष्ट संकेत करना चाहिये कि वित्तीय प्रबन्ध एवं प्रशासन के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ।

मैं ने प्रायः इस बात की आवश्यकता पर जोर दिया है कि सभा को रक्षा सम्बन्धी वित्तीय व्यवस्था के बारे में नवीनतम विकास की जानकारी दी जाये । लेखा परीक्षा रिपोर्ट में कई त्रुटियां बताई गई हैं । तथा सभा को, यह जान कर प्रसन्नता होगी कि उन में से अधिकांश त्रुटियां दूर कर दी गई हैं । ऐसे विवरण की अनुपस्थिति में बजट के वित्तीय पक्ष पर कोई चर्चा अवास्तविक होगी इसलिये यह अच्छा होगा यदि सरकार कई लेखा आपत्तियों को ध्यान में रख कर नवीनतम वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में एक विवरण देने की कृपा करे ।

यद्यपि माननीय उप मंत्री ने युद्धास्त्रों की व्यवस्था के सम्बन्ध में हुई आलोचनाओं का उचित उत्तर दिया है तथापि मैं उन से यह जानना चाहूंगा कि क्या यहां देश में ही रक्षा सामान, आदि का निर्माण नहीं हो सकता । हम कुछ अन्य वस्तुओं के निर्माण

की संभावनाओं के सम्बन्ध में जानना चाहते हैं। यदि कपड़ा मिलों को ही सेना सम्बन्धी कपड़े की आवश्यकताओं की उचित जानकारी दी जाये तो वे ही उन को पूरा कर सकती हैं। मुझे ज्ञात हुआ है कि मार्च के महीने में १५,००० रुपय प्रति मोटर लारी के हिसाब से १२०० मोटर लारियां खरीदी गई हैं। ज्ञात होता है कि बजट की राशि को व्यय करने के निमित्त ही अन्तिम दिनों में यह सामान खरीदा गया है। यदि ऐसे सामान की खरीद के स्थान पर केवल वास्तविक आवश्यकता का सामान खरीदा जाय तो निस्सन्देह बजट में पर्याप्त बचत हो सकती है।

उपमंत्री ने यह बताया है कि सरकार सरदार बलदेवसिंह की रिपोर्ट को सभा पटल पर नहीं रख सकती। यदि सरकार के लिये ऐसी गोपनीय बातें प्रगट करना सम्भव न हो तो क्या वह हमें यह बता सकती है कि किन अन्य तरीकों से युद्धास्त्रों में प्रगति की जा सकती है ?

अब मैं कुछ युद्धास्त्र पदाधिकारियों (असैनिक) के मामले को लूंगा। युद्ध काल में लगभग १००० व्यक्तियों को नियुक्त किया गया। उन्हें अब वहां सेवा करते हुए १० से १३ वर्ष हो गये हैं, जिन में से वहां अब केवल ३६१ के लगभग पदाधिकारी रह गये हैं। उन में से भी ११० व्यक्तियों को अन्य स्थानों में खपाया जायेगा बाकी २५१ को सेवा से पृथक कर दिया जायेगा। वे अभी अर्द्ध स्थायी सरकारी कर्मचारी थे। कदाचित् आज तक वे स्थायी भी हो जाते। इन लोगों को सरकारी खर्चे पर प्रशिक्षित किया गया तथा इन्होंने सदैव कुशलतापूर्वक सेवा की है। छटनी किये जाने वालों में से लगभग १४५ स्नातक अथवा अवर-स्नातक हैं। रक्षा मंत्रालय को इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये और जहां तक हो सके उन्हें और कहीं नौकरी दी जानी चाहिये। इस समय भी उस विभाग में करोड़ों रुपये की सामग्री पड़ी है तथा करोड़ों रुपये की सामग्री सम्भवतः खरीदी जाने वाली है। जिस के लिये इन २५० पदाधिकारियों को वहां रहना होगा। सरकार को इन की छटनी से पूर्व पर्याप्त विचार करना चाहिये तथा जब तक वे लोग नितान्त व्यर्थ सिद्ध न हों, उन की छटनी न की जाये।

सरकार, भारत की सारे राइफल क्लबों को '२२ की कुछ राइफलें देने वाली है इस के अलावा मैं यह सुझाव दूंगा कि ऐसी राइफलें उन सभी कालेजों को दी जायें जहां अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण चालू है। आज इस प्रशिक्षण की नितान्त आवश्यकता है क्योंकि स्कूल और कालेजों में कई कारणों से अनुशासनहीनता बढ़ रही है तथा सभी शिक्षण संस्थाओं, एवं सरकारी असैनिक सेवाओं में भी यह अनुशासनहीनता की भावना बढ़ गई है। इसलिये यह आवश्यक हो गया है कि वहां अनुशासन को और कठोर किया जाय जिस के लिये शिक्षण सस्थाओं में सैनिक शिक्षा अनिवार्य हो।

अन्त में, मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री को सैनिक कौशल जानना चाहिये। वे तीन वर्ष से इस मंत्रालय में हैं। उन के लिये सैनिक कौशल जानना अपने प्रशासन को प्रभावशाली बनाने के लिये नितान्त आवश्यक है।

श्रीमती इलापाल चौधरी (नवद्वीप) : नये रक्षा मंत्री को अपने लोगों को इस प्रकार जानना है जैसे कि एक गृह मंत्री जानता है। सीमान्त का राज्य होने के नाते बंगाल का रक्षा से घनिष्ठ सम्बन्ध है, क्यों क स्वतन्त्र की रक्षा निरन्तर सतर्कता से होती है।

पहिली दृष्टि में रक्षा व्यय के लिये सारे बजट की ४० प्रतिशत राशि बहुत अधिक

[श्रीमती इलापाल चौधरी]

ज्ञात होती है किन्तु जब हम आधुनिक रक्षा की आवश्यकताओं का अनुमान लगाते हैं तो यह यथार्थ ही ज्ञात होता है। हम चाहते हैं कि संख्या में कमी होने पर भी हमारी सेना का स्तर ऊंचा हो, उस में समाज के चुने हुए व्यक्ति लिये जायें। उच्च कोटि के आधुनिकतम शस्त्रों से हमारी सेना सुसज्जित रहे तथा हमारी सेना हमारी सीमा पर स्थिर अन्य देशों के मुकाबले में शत्रुता एवं मित्रता दोनों में ही समर्थ सिद्ध हो। हमें अपने सीमान्त की इस प्रकार सुरक्षा करनी चाहिये जिस से कि भयभीत होने की आशंका न रहे। हमें स्मरण रखना चाहिये कि एक ओर चीन है दूसरी ओर पाकिस्तान है और तीसरी ओर 'सीडो' का कटु तथ्य। फारमोसा में युद्ध के बादल गरज रहे हैं। इन सभी बातों पर विचार कर के रक्षा के व्यय को ४५ प्रतिशत से घटा कर ४० प्रतिशत करने से शंका उत्पन्न होती है।

कोचीन में मुझे ज्ञात हुआ कि एक हवाई जहाज ले जाने वाले जयान की लागत लगभग १२ करोड़ रुपये होती है, जब कि कुल नौ सेना का बजट १३ करोड़ रुपये है। भारत जैसे विशाल देश में, जिस का समुद्र तट बहुत बड़ा है, नौ सेना के विस्तार की बहुत आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में कोचीन के नौबल प्रशिक्षण केन्द्र का कार्य बड़ा संतोषजनक है जिस से हम प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते हैं।

यद्यपि भारत अणु शास्त्रों के उपयोग से सम्बन्धित नहीं है, तथापि इस से युद्ध कौशल में जो विकास हो रहा है उस के लिये हम क्या ठोस तरकीबें कर रहे हैं? मेरा विचार है कि अणु का विनाशक प्रयोग कालान्तर में समाप्त हो जायेगा। हमें इस के शान्ति-कालीन उपयोगों पर भी अधिक ध्यान देना चाहिये।

यह हार्दिक प्रसन्नता का विषय है कि इस विभाग में काम में आने वाली सभी सामग्री इस देश में तैयार की जायेगी तथा आयात निरन्तर घटता जायेगा। इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि निर्माता उपक्रमों को वस्तुओं के प्रकार तथा गुण के सम्बन्ध में निरन्तर सूचित करते रहना चाहिये जिस से कि वे लोग उन वस्तुओं के निर्माण के लिये प्रभावोत्पादक कार्यवाही कर सकें।

दूसरे, सैनिकों की वर्दियों के आर्डर इन औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों को दिये जायें जहां विस्थापित स्त्रियों के पुनर्वास का कार्य चल रहा है।

युद्ध के उपरान्त, युद्धास्त्रों के कारखानों में पर्याप्त छंटनी हुई है। कानपुर पैराश्यूट (हवाई छतरी) के कारखानों में २,००० श्रमिक थे। जिन में से अब केवल ९०० रह गये हैं। ईचापुर राइफल कारखाने में १०,००० श्रमिक थे जो घट कर ५,००० रह गये हैं। अब क्योंकि उन कारखानों के विकास का समय है इसलिये इन प्रशिक्षत व्यक्तियों को पुनः काम में लगाया जाय।

सैनिक मंत्रालयों का यह पुनीत कर्तव्य है कि वह भूतपूर्व सैनिकों तथा आजाद हिन्द फौज के सैनिकों आदि का ध्यान रखें। वेतन तथा सुविधाओं के सम्बन्ध में रक्षा मंत्रालय को उन्हें पूर्ववर्तिता देनी चाहिये कल्याण कार्यकर्त्ताओं को भी इन से निकट सम्पर्क स्थापित करना चाहिये जिस से कि वे इन की यथा सम्भव सहायता कर सकें।

सेना एक अथवा दो दिन में नहीं बन जाती। इस की नींव स्कूलों, कालेजों खेल के मैदानों अथवा स्काउटों के शिविरों में डल जाती है। इसलिये एन० सी० सी० अथवा राष्ट्रीय स्वयं सेवक बल का राष्ट्र व्यापी प्रचार किया जाना चाहिये। जिस से कि विद्यार्थियों के शारीरिक विकास की ओर

ध्यान दिया जा सके । शिक्षा मंत्रालय को इस मामले में यथा शक्ति सहयोग करना चाहिये । इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि स्त्रियों को भी इस योजना में उपयुक्त भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिये । उन के लिये पु षों के समान ही अवसर एवं प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिये । हमें सेना में भी सेवा का अवसर मिलना चाहिये । स्त्रियां इस क्षेत्र में भी कभी पु षों से कुछ कम सिद्ध नहीं हुई हैं । इतिहास इस का साक्षी है । नारी का मनोवैज्ञानिक गठन ही इस प्रकार का है कि वह त्याग, बलिदान एवं सेवा में किसी भी खतरे की परवाह नहीं करतीं । उस की इस क्षमता को राष्ट्र के हित में पूर्णतः उपयोग किया जाना चाहिये ।

हमारी सेना ने लाओस, कम्बोडिया, इत्यादि देशों में जहां भी बुद्धि तथा निष्पक्षता की आवश्यकता थी बहुत प्रशंसनीय कार्य किया है तथा सारे संसार में इस की प्रशंसा हुई है । आज हम सोचते हैं कि बंकिम चन्द्र द्वारा की गई सौ वर्ष पुर्व दुर्गा की कल्पना साकार हो तथा सेना के तीन विभाग दुर्गा के तीन हाथों के समान हों, जिस से हमारे देश की रक्षा हो सके । मैं आशा करती हूं कि हम इस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर होंगे ।

सरदार ए० एस० सहगल (बिलासपुर) सभापति जी जो डिमांड मिनिस्ट्री आफ डिफेंस की है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

इसके साथ में आपके सामने कुछ रखना चाहता हूं । आपकी हाई पावर्ड कमेटी, जो कि आर्डिनेन्स फैक्टरी आर्गेनाइजेशन कमेटी के नाम से है, उसकी रिपोर्ट, जहां तक मेरा इल्म है, आर्डिनेन्स फैक्टरीज़ के सुपरिंटेंडेंट्स के पास तो भेज दी गयी है । लेकिन क्या कारण ह कि वह रिपोर्ट इस सभा के सामने नहीं लायी जा रही है । हो सकता है कि उस रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातें हों जो कि इस सभा के सामने न रखी जा सकती हों । इसलिए मैं रक्षा मंत्री से इस बात की प्रार्थना करूंगा कि वे एक खास जलसा बुलावें और उसके सामने इन सारी बातों को डिसकस करें कि आखिर उस रिपोर्ट में कोन सी चीज़ लिखी गयी है ।

इसके साथ में आप का ध्यान खमरिया आर्डनेन्स फैक्टरी के उन दो आदमियों की तरफ दिलाना चाहता हूं जो १९५४ के झगड़े के कारण निकाले गये थे । कोर्ट आफ एनक्वारी बैठी, उसने तहकीकात की , और तहकीकात करने के बाद अगर वह उन पर चार्ज लगाती तो उनका निकालना बेशक ठीक था और वे चार्ज की नकल चाहते ह तो उन्हें देनी चाहिये थी, लेकन अगर कोर्ट आफ इन्क्वायरी ने कोई चार्ज नहीं लगाया, तो उस परिस्थिति को निकालना कहां तक उचित होगा । मैं यहां उनका नाम नहीं लेना चाहता ।

इसके साथ साथ मैं आपसे यह कहूंगा कि जो आपके स्किल्ड वर्कर रेलवे के हैं वे ५५ रुपया पाते हैं, पर जब वही आदमी आर्डनेन्स फैक्टरी काम करता है तो आप उसे ४० रुपया ही देते हैं । वह रेलवे के स्किलड वर्कर से आर्डनेन्स फैक्टरी में ज्यादा काम करता है लेकिन तनख्वाह कम पाने की वजह से भूखा रहता है । इसलिए जो इंडस्ट्रियल वर्कर डिफेंस सरर्वसेज़ में काम करते हैं उनकी छान बीन करना बहुत ज़रूरी है । किसी खास साइंटिफिक काम के लिए रद्दोबदल करना ज़रूरी है । लेकिन अगर कोई साइंटिफिक तरीके से अच्छा काम करता है तो हमको देखना चाहिए कि हम उसको कहां तक मदद कर सकते हैं । श्री के० एन० सुब्रह्मण्यम जाइंट और श्री आई.सी.एस.सेकेटरी लेबर डिपार्टमेंट ने, जो कि कल्याण वाली कमेटी के सदस्य थें, जिन्हों ने यह ठीक यह सुझाया है कि एक क्लासिफिकेशन ट्राइब्युनल बनाया जाय ताकि उनके वेज स्ट्रकचर तथा जो इंडस्ट्रियल वर्कर डिफेंस आर्गेनाइजेशन्स में

[सरदार ए० एस० सहगल]

काम करते हैं उनकी स्थिति और दुसरे मिनिस्ट्रियल कर्मचारी जो काम करते हैं उन की भी तनख्वाह के बारे में छान बीन की जावे तथा उस के मुताबिक उनको जगह दी जाय।

इसी तरह से आपके यहां गोडाउन कीपर्स हैं उनकी भी तनख्वाह बहत कम है। मैं प्रार्थना करूंगा कि इन चीजों पर आप गौर करें।

इसके साथ ही साथ आप देखें कि छटनी तथा तनुज्जुली के बाद डिफेंस इंडस्ट्रीज़ में जितने आदमी आज आपकी आर्डनेन्स फैक्टरीज़ में काम कर रहे हैं उनकी तुलना में पहले कितने काम करते थे।

वे आंकड़े जो इस प्रकार हैं: इस से मालूम हो सकता है। और आगे यह देख कर ताज्जुब होता है कि आर्डनैंस डिपो आर्डनैंस फैक्टरी में ४००० आदमी अधिक हैं।

	१९५०-५१	५१-५२	५२-५३	५३-५४	५४-५५
आफिसर	१८४	२४१	२७५	२९८	२७२
नान गजटेड आफिसर्स	१०३५	११०७	११२८	१३३९	१३५३
स्किल्ड वर्कर	१०८५१	१०३०६	११९९६	११५४१	११९८२
सेमी स्किल्ड वर्कर	१३१५९	१३६९३	१५०१४	१४७७६	१४१०८
अन स्किल्ड वर्कर	२६५१३	३००९३	३१४६१	२९६०२	२७४६०

इसी में सन् १९४७, ४८ में ११२ गजटेड आफिसर थे। और ८४५ नान गज़टेड आफिसर्स आप के यहां काम कर रहे हैं। उनको देखने से मालूम होता है कि यदि किसी चीज़ में हमारे यहां वृद्धि हुई है, तो यह हमारे डिफेंस आर्डनैंस फैक्ट्रीज़ में यह सारी बढ़ोतियां हुई हैं। अब डिफेंस इंडस्ट्रीज़ के हमारे जो डिपार्टमेंट्स इस वक्त काम कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आपकी जो फैक्टरीज़ ह, उन फैक्टरीज़ में कम से कम जैसा कि मेरा अनुमान है, पचास सकड़ा जो मशीनें हैं जो आपकी आर्डिनैंस फैक्टरीज़ में काम कर रही हैं, इनके काम न करने से आपकी यहां जो उत्पत्ति है, उस उत्पत्ति को जितना कि हम पैदा कर सकते हैं, नहीं करते हैं, इस अनुपात से आपको मालुम होगा कि आख़िर हम जो बाहर से सामान मंगाते हैं विदेशों से वह कितना मंगाते हैं। सन् १९५१-५२ में हमने करीब करीब १ करोड़, ३ लाख और ५० हज़ार का सामान मंगाया।

श्री त्यागी : जो चीजें वह मशीनें बनाती हैं, वह चीजें नहीं मंगाते हैं।

सरदार ए० एस० सहगल : मैं आप से अर्ज करूंगा कि यह जो मशीनें बेकार हैं, काम न पहुंचने पर आप के करीब दो हजार वर्कर्स जो सरप्लस हो गये हैं, उन लोगों से यदि आप इन नई किस्म की मशीनों को बदल लें तो, आपके यह जो सरप्लस आदमी हैं वह काम पर लगाये जा सकते हैं, यह मेरी अपनी धारणा है, हो सकता है कि मेरी यह धारणा गलत हो। मैं आप से अर्ज करूंगा कि इन चीजों को आप देखिये।

इसी तरह से सन् १९५१-५२ में आप ने १,०३,५०,००० रुपये का सामान बाहर से मंगाया। सन् ५२-५३ में १,००,०१,४७६ रुपये का मंगाया, १९५३-५४ में २५,००,००० रुपये का सामन मंगाया और सन् १९५४-५५ के साल में १,२५,००,००० रुपये का सामान मंगाया। इस से मालूम होता है कि यह जो हमारी डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं जिस में आर्डिनैंस फैक्ट्रीज ई० एम० ई० वर्कशाप

मिलेटरी इंजीनियरिंग सर्विस, नेवैल डोकयार्ड डिपो एयर फोर्स डेरीफार्म और आर्मी मैडिकल कोर के कर्मचारियों को याद उन्हें काम दिया जावे तो वे पूरी की जा सकती हैं,बशर्ते कि वह उचित और न्याय संगत हों, ऐसा यदि हम करेंगे तो न हम केवल फौज की मांग पूरी करेंगे बल्कि जनता की भी किसी किस्म का प्रदर्शन आदि करने की नौबत नहीं आयेगी और उन के मामले को सुलझाने के लिये जो काम करने वाले लोग हैं उन की सम्मिलित बैठक बुला कर उनके प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न यदि किया गया तो अच्छा होगा ।

इस के साथ साथ मैं आप से यह कहूंगा कि महावलाधिकृत जो तीनों कमांड्स की कान्फ्रेन्स बुलाया करते ह, उस में यह भी देखना जरूरी है कि किन किन कमांडों में वहां पर आर्डिनेन्स फैक्ट्री आर्डिनेन्स डिपो मिल्टिरी इंजीनियरिंग सर्विस, नैवैल डौकयार्ड डिपो और एयर फोर्स डेरी फार्म वगैरह के कर्मचारी हैं उन की यदि कोई तकलीफें हैं तो उन पर विचार करें तो बहुत कुछ चीजें आप अपने अफसरों के जरिये से तय कर सकते हैं और उन के सम्बन्ध में किन्हीं दूसरे लोगों को दखल देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी ।

जो भी उन्नति इस दिशा में हुई है उसे हम तीन हिस्सों में बांट सकते हैं । नौकरियों में उन्नति हुई है , और जो भलाई सर्विस-और एक्स सर्विसमैन के लिये हुई तथा फौजी शिक्षा में भी उन्नति हुई है । फौज में लड़ाई के वक्त लड़ने पर भी उन के कार्यक्षमता के सम्बन्ध में आपने विशेष ध्यान दिया है ओर खास कर ऐयरफोर्स और नैवी में जो आप के देश के अफसरों को उच्च कार्यों पर लगाने के लिये जो उन्हों ने काम किया है, उस के लिये वे भलाई के पात्र हैं । और खास कर नेवी ने तो अपना एक अलग ही स्थान नावल के उच्च कर्मचारियों के द्वारा प्राप्त किया है वे बधाई के पात्र हैं ।

अपनी आर्गेनाइजेशन के बारे में मैं कहूंगा कि नैशनल कैडेट कोर, ए० सी० सी० आक्जलरी फोर्स जो पहली तारीख को बंद हो जायेगी, उस में १ लाख,२ हजार ३४४ लोग हैं । लैंड रिक्रूटमेंट करने में आप बराबर लगे हुए हैं, यह मैं मानने के लिये तैयार हूं लेकिन यहां पर जिस तरह से हमें कार्य करना चाहिये, वह कार्य नहीं हुआ है । आप यह जो नेशनल वालियंटर फोर्स बना रहे हैं, टैरिटोरियल आर्मी को आप खत्म कीजिये, और आपकी जो नेशनल वालिंटियर फोर्स है उस को आप कायम कीजिये और उस के जरिये से देश में एक नव स्फूर्ति का संचार लोगों में हगा और इस में १८ वर्ष से ले कर ४० वर्ष तक के लोग आप के साथ इसमें काम करने के लिये आयेंगे और ५२, ५३ वर्ष की उम्रके भी लोग जो अपने को जवान अनुभव करते हैं वे भी आपका साथ देंगे और बराबर आपके साथ काम करने के लिय तैयार रहेंगे ।

इसके साथ साथ मैं यह भी चाहूंगा कि आप के प्रांतों में जो यह प्रान्तीय रक्षक दल हैं, अथवा होमगार्डस् जो वहां पर काम कर रहे हैं और उपयोगी काम कर रहे हैं, उन के सम्बन्ध में केंद्रीय सरकार को स्टेट सरकारों को सलाह देनी चाहिये कि जब वे इतना उपयोगी काम कर रहे हैं तो उन संगठनों को परमानेंट बेसिस पर कायम कर के उनसे काम लेना चाहिये । उदाहरणार्थ मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेशमें होम गार्डस् का संगठन जिस प्रकार से चल रहा है,और जिस संगठन के सम्बन्ध में आप के ऊंचे से ऊंचे मिल्टिरी के अफसर लोग जो वहां गये हैं और जा कर उस की वर्किंग के बारे में रिपोर्टस् दी हैं, उन पर आप गौर कीजिये और इस के लिये

[सरदार ए० एस० सहगल]

आप मध्य प्रदेश की सरकार को चाहिये और सलाह दीजिये कि यह जो उन की होमगार्डस् की फौज है उस को परमानेंट करें ताकि आज ७ या ८ वर्ष से जो आजाद फौज के आफसर काम कर रहे हैं । उन्हें अपने काम पर स्थायित्व प्राप्त हो । इन चन्द शब्दों के साथ मैं, रक्षा मंत्रालय के जो अनुदान स्वीकृति के लिये रक्खे गये हैं, उन का समर्थन करता हूं ।

श्री जी० एस० सिंह (भरतपुर-सवाई माधोपुर) : मैं प्रधान मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्हों ने मेरी प्रार्थना स्वीकार की, तथा एक ज्येष्ठ मंत्री को रक्षा मंत्रालय का प्रभारी नियुक्त किया । मैं डा० काटजू की विद्वता एवं अनुभव की प्रशंसा करता हूं किन्तु साथ ही मुझे सन्देह है कि उन के सहायकों की संख्या आवश्यकता से अधिक है । मुझे विश्वास है कि उन की बुद्धि तथा योग्यता का उपयोग अन्यत्र किया जायगा ।

पिछले वर्ष के रक्षा प्राक्कलनों में बचत करने के लिये श्री त्यागी को बधाई एवं प्रशंसा प्राप्त हुई है । मैं भी उन्हें, उस बचत के लिये बधाई दूंगा जो कि कुशलता के कारण हुई हैं किन्तु जो बचत विलम्ब एवं देरी के कारण हुई है उस के लिये मैं बधाई नहीं दे सकता, जैसी कि पिछले वर्ष हेलीकोप्टरो के नहीं खरीदे जाने से हुई है ।

श्री मोरे ने रक्षा नीति के पुनर्गठन के सम्बन्ध में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है । उन्हों ने यह यथार्थ कहा है कि हमारी सेना का संगठन एशियाई ढंग पर होना चाहिये क्योंकि पाश्चात्य ढंग पर सेना का संगठन करना बहुत खर्चीला सिद्ध होगा । इसलिये जब तक हम स्वयं आधुनिक शस्त्रास्त्रों का निर्माण नहीं कर सकते, हमारे लिये पाश्चात्य ढंग पर सेना का संगठन करना असम्भव होगा । कोरिया तथा हिन्द चीन में यह सिद्ध भी हो चुका है कि अविकसित देशों की विशाल जनसंख्या ने आधुनिकतम देशों के आक्रमण को सफलतापूर्वक रोक सका था । इस प्रश्न पर कार्यालय के संयुक्त प्रमुखों तथा रक्षा मंत्रालय को ध्यान देना चाहिये ।

आप को अपनी सेना को एक तिहाई घटा कर भी, अपने पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को अच्छा वेतन देना चाहिये । रक्षा मंत्रालय की तीनों सेवाओं के पदाधिकारी इस कारण चिन्तित हैं कि अनुभवी ज्येष्ठ पदाधिकारी असैनिक पदों पर जाने के लिये पद त्याग कर रहे हैं । केवल एन० ई० एफ० ए० के २० पदों के लिये २५०० पदाधिकारियों ने अपनी इच्छा प्रगट की थी । इसलिये मेरा निवेदन है कि वेतन-क्रम को निश्चित रूप से बदल दिया जाना चाहिये ।

निस्सन्देह श्री त्यागी ने निवृत्ति वेतन दिलाने की व्यवस्था की है और उस में वृद्धि भी की है । फिर भी यदि सेना में रहते हुए उन्हें अभाव ग्रस्त रहना पड़ता है तो निवृत्ति वेतन बढ़ाने का क्या लाभ है । सेना के पदाधिकारियों का नैतिक स्तर गिर रहा है । उपयुक्त व्यक्ति नहीं आ रहे हैं, तथा आप को विभिन्न रक्षा आदमियों के केडिटों की असफलताओं के लिये एक समिति नियुक्त करनी पड़ी है । यह निश्चित रूप से एक तथ्य है कि एक व्यक्ति असैनिक अथवा किसी फर्म की सेवा अधिक पसन्द करता है और यह चुनाव बोर्डों के लिये एक समस्या हो गई है ।

रक्षा सेना में तीन सर्विस चीफ (सेना प्रमुख) होते हैं । यह उच्चतम पद जसे कोई व्यक्ति प्राप्त कर सकता है । इसी प्रकार बारह अथवा सोलह मेजर जनरल होते

है। जबकि असैनिक क्षेत्र में तीन सौ से चार सौ तक ऐसे पद होते हैं। इस प्रकार हमें सेना में अब कोई आकर्षण नहीं रहा है। जब तक आप वे पुरानी रियायतें नहीं देंगे तब तक आप को उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिल सकते हैं।

विभिन्न रक्षा अकादमियों की असफलताओं के कारणों की जांच करने के लिए समितियों का चुनाव करते समय एक सदस्य ने पदाधिकारियों के लिए सुरक्षित स्थानों की मांग की थी। यह नितान्त गलत है। पदाधिकारियों का चुनाव मात्र योग्यता के आधार पर होना चाहिए।

[**श्रीमती सुषमा सेंस** पीठासीन हुई]

मैं सरकार का ध्यान इस प्रथा की ओर दिलाना चाहता हूं कि अब तक सेना की ऊंची श्रेणियों में नियुक्तियां आकस्मिक घटना के रूप में अकस्मात होती रही हैं, जिस से उन के लिये बड़ी प्रतिस्पर्धा, खुशामदें तथा कोशिशें चलती हैं, जिससे कि सेना में दलबन्दी का विकास हो रहा है जो कि नैतिक स्तर के लिए बहुत बुरा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सेना की सभी ऊंची नियुक्तियां एक वर्ष पूर्व घोषित हो जानी चाहिये।

भारतीय वायु सेना के विकास की बातें हो रही हैं। उस के विरुद्ध जो भी कहा जाना था वह एन० टी० ओ० में कहा जा चुका है। फिर भी मंत्रालय को यह करार करने में बहुत सावधानी रखनी चाहिये। एक स्विज़ फर्म ने अम्बरनाथ में एक कारखाना चालू किया है जो केवल एक चौथाई क्षमता से कार्य करते हुए भी ठीक आठ इंच के खराब बना रहा है। यह एक आश्चर्यजनक वस्तु होते हुए भी हमारे लिए व्यर्थ है क्योंकि हमारे पास तीन कापीइंग खराद हैं जब कि ब्रिटेन की रोल्स रायस जैसी बड़ी फर्म के पास केवल एक खराद है। इस लिए उसने केवल ४०० से ५०० घंटे काम किया है। इस प्रकार हमें दूसरे देशों के लिए माल तैयार करने का साधन बना कर बुद्धू बनाया जा रहा है। हमें इस प्रकार नहीं बहकना चाहिए।

मैं डा० काटजू से उक्त प्रश्नों पर गौर करने को कहूंगा, तथा निवेदन करूंगा कि वह इस बात पर विचार करें कि क्या केवल उपमंत्री तथा एक सभा सचिव से वह अपना कार्य अधिक सरलता से नहीं चला सकेंगे।

पंडित फोतेदार (जम्मू तथा काश्मीर): मैं रक्षा मंत्रालय के अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। सशस्त्र बलों के प्रशासन तथा कतिपय अन्य चीजों के सम्बन्ध में कुछ मुख्य बातों का निर्देश करने के पूर्व मैं इस अवसर पर यह कहना चाहता हूं कि हम सभी और सारा भारत काश्मीर, कोरिया हिन्दचीन और अन्य स्थानों में हमारे शस्त्र बलों द्वारा किये गये कार्यों पर गर्व का अनुभव करता है और यह समझता है कि उन्होंने भारत के आदर्शों की रक्षा की है और जहां जहां वे गये, उन्होंने असैनिक जनता के प्रति अपने व्यवहार और नैतिकता के ऊंचे स्तर कायम किये हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से जनाता हूं कि उन्होंने काश्मीर में किस प्रकार व्यवहार किया ओर मध्य शीत काल में १३ हज़ार ओर १४ हजार फुट की ऊंचाई पर जाकर द्रास पर पुनः विजय प्राप्त करके लद्दाख से सम्पर्क स्थापित करने में उन्होंने किस प्रकार बहादुरी और शौर्य का परिचय दिया था और राज्य के उस भाग की प्रादेशिक एकता को कायम रखा था। इस सब के लिए मैं उन शस्त्र बलों को हम में से प्रत्येक की ओर से बधाई देता हूं।

जहां तक हमारी रक्षाओं का सम्बन्ध है, मैं श्री बी० जी० देशपांडे से सहमत नहीं

[पंडित फोतेदार]

हूं। मालूम होता है कि अपनी राजनैतिक पूर्व धारणाओं की प्रेणाके कारण वह भारत में युद्ध का वातावरण बनाना चाहते हैं। किन्तु मैं एक बात यह कहता हूं कि प्रत्येक संगठन में, चाहे वह प्रादेशिक सेना हो, राष्ट्रीय छात्र सैनिक दल हो अथवा सहायक बल हो, इन वर्षों में एक नया जीवन दिखाई पड़ता है। विभाजन के पश्चात सेना के नैतिक स्तर को कायम रखना कोई आसान काम नहीं था। हमारी सेनाओं ने अनुशासन और भक्ति का जो परिचय दिया है, उससे सारी दुनिया में उन की और देश की प्रशंसा हुई है।

हम अलिप्त रहने की नीति के लिए वचन बद्ध है। हमारी नीति दुनिया के सभी देशों के साथ सर्वोत्कृष्ट और मित्रतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने और अपना सहयोग शान्ति की स्थापना में देनी की है जिससे कि दुनिया में युद्ध न हो। आज भारत युद्ध पिपासियों के बीच एक रुकावट बनकर खड़ा हो गया है। रक्षा से आशय यह है कि ऐसी कोई वस्तु है जिस से हमें अपनी रक्षा करनी होगी। यद्यपि हम युद्ध नहीं चाहते हैं और हमारी नीति शांति की नीति है। फिर भी हमारी ओर से बिना किसी प्रकार के उत्तेजन के हम पर आक्रमण हो सकते हैं और उस दश के लिए हमें सदैव तैयार रहना होगा। मैं युद्ध का वातावरण निर्माण नहीं करना चाहता हूं फिर भी हमें सावधान रहना होगा। अतः हमें इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि हम अपने रक्षा साधनों को अधिक शक्तिशाली और सार्थक बनायें जिस से कि आपत्ति के समय हम में असहायता की भावना उत्पन्न न हो और सारा राष्ट्र उस संकट का सामना करने के लिए पूर्ण देशभक्ति और दृढ़ विश्वास के साथ उठ खड़ा हो।

प्रशासन के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि हमारे सशस्त्र बलों, सैनिकों और राष्ट्र के हितों में यह अत्यन्त आवश्यक है कि एक आयोग नियुक्त किया जाये जो सैनिक कर्मचारियों के वेतन क्रमों और उनकी सेवा की शर्तों और दशाओं से सम्बन्धित अन्य विषयों पर विचार करे और यह देखे कि वे पूर्णतया संतुष्ट हैं या नहीं। इस में संदेह नहीं कि सरकार ने उनके कल्याण के लिए उतका सामाजिक स्तर ऊंचा करने के लिए और उन्हें अन्य सुविधायें देने के लिए बहुत कुछ किया है। फिर भी बहुत कमी है। हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि उन का स्तर इतना ऊंचा किया जाय कि उन्हें भारतीय गणतंत्र में अपनी स्थिति और स्थान का गर्व हो। मुझे विश्वास है कि रक्षा मंत्री आयोग नियुक्त करने की अतीव आवश्यकता पर शीघ्र ध्यान देंगे।

दूसरा विषय संसदीय समितियों के सम्बन्ध में है। करीब छै महीने पूर्व रक्षा के सम्बन्ध में एक सलाहकार समिति जो निश्चय ही अनौपचारिक ढंग की है, बनायी गयी थी। यद्यपि वह समिति अनौपचारिक है उस समिति में हुई चर्चा और दी गई मंत्रणा भी अनौपचारिक थी। मुझे प्रसन्नता है कि श्री त्यागी ने पहले ही स्पष्ट बता दिया था कि कोई कार्य सूची नहीं थी और यदि हम बातें करना चाहते थे तो छावनी क्षेत्रों अथवा अन्य किसी भी चीज़ के बारे में बातें कर सकते थे। कुछ सदस्यों ने यह जानने की इच्छा प्रकट की कि सरकार उन्हें सशस्त्र बलों के प्रशासन तथा तत्सम्बन्धी नीति से किस प्रकार सम्बद्ध करना चाहती थी और वह उन के परामर्श से किस प्रकार लाभ उठायेगी। इस पर उन्होंने बताया कि इस प्रकार की बैठक कुछ समय बाद समवेत की जायेगी

और तब सारी प्रक्रिया निश्चित कर दी जायेगी । अब लगभग ७ या ८ महीने बीत गये हैं और अब तक वह दिन नहीं आया है । जब आप इन समितियों को कोई महत्व नहीं देते हैं और यह समझते हैं कि ये समितियां ठीक तौर पर काम नहीं कर सकती हैं तो यह अधिक अच्छा है कि ऐसी समितियां बनाई ही न जायें । यदि कोई समिति बनायी जाती है, तो उस देश और सशस्त्र बलों के हित में उचित रूप से कार्य करने दीजिये जिस प्रकार कि उसे करना चाहिये । विशेषकर वर्तमान स्थिति में यह बहुत आवश्यक है ।

मैं डा० सुरेश चन्द्र और श्रीमती इला पाल चौधरी से सहमत हूं जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना अथवा आजाद हिन्द फौज का निर्देश किया है । किन्तु इस के साथ ही भूतपूर्व सैनिकों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये । संभवतः भारत सरकार ने अब तक इन की ओर ध्यान नहीं दिया है किन्तु यह सत्य है कि इन देश भक्तों ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिये अपना बहुत खून बहाया है और त्याग किया है । मेरे विचार से अब वह समय आ गया है जब कि भारत सरकार के आजाद हिन्द फौज के प्रति त्याग करने, उस के जवानों को पुनर्वासित करने और लगभग ४० हजार से ५० हजार के बीच भूतपूर्व सैनिकों की वर्तमान दयनीय दशा को सुधारने की ओर तुरन्त ध्यान दे ।

मैं माननीय रक्षा मंत्री का ध्यान आपात कमीशन प्राप्त पदाधिकारियों और अल्प सेवा कमीशन प्राप्त पदाधिकारियों की ओर आकृष्ट करता हूं । गत युद्ध में अनेक पदाधिकारी, आपात कमीशन प्राप्त पदाधिकारियों और अल्प सेवा कमीशन प्राप्त पदाधिकारियों की भांति नियुक्त किये गगये थे और वे कई वर्षों से हमारे सशस्त्र बलों में कार्य कर रहे हैं । किन्तु फिर भी उन का कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है और वे प्राधिकारियों की मर्जी पर हैं और किसी भी क्षण निकाले जा सकते हैं । अतः हमें इन पदाधिकारियों की सेवा को नियमित करना चाहिये और यह अत्यन्त आवश्यक है ।

इन शब्दों के साथ मैं अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं ।

श्री राजाराम शास्त्री (जिला कानपुर मध्य) : माननीया सभानेत्री जी, इस रक्षा विभाग पर हम अपने मुल्क के बजट का ४० प्रति शत खर्च करते हैं । इसी से अन्दाजा लगाया जा सकता है कि वास्तव में यह विभाग कितना महत्वपूर्ण है ।

जैसा कि बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि इस विभाग की उन्नति और इसकी मजबती पर ही हमारे देश का भविष्य बहुत कुछ निर्भर करता है । फौज, नौ सेना और हवाई सेना इन तीनों के सम्बन्ध में इस सदन में काफी कहा जा चुका है । मैं तो सिर्फ एक बात की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा और वह यह कि रक्षा विभाग के कारखानों में काम करने वाले जो कर्मचारी लोग हैं उनकी कुछ मुसीबतें ऐसी हैं जिनकी ओर मैं चाहता हूं कि हमारे मंत्री जी ध्यान दें ।

जैसा कि यहां पर कहा गया, हमारी आर्डनेंस फक्टरीज़ की तरक्की की जा रही है और यह प्रयत्न किया जा रहा है कि उनसे सिविलियन गुड्स के प्रोडक्शन का भी काम लिया जाये । परन्तु ऐस मौके पर जब कि आप इस व्यवसाय को तरक्की देना चाहते हैं, इसका उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, उसी मौके पर यह प्रयत्न किया जा रहा है कि जो कर्मचारी वहां काम कर रहे हैं उनको कम किया

[श्री राजाराम शास्त्री]

जाये, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। एक तरफ तो विकास की योजना है और दूसरी तरफ जो लोग काम पर लगे हुये हैं उनको हटाना यह दोनों चीज़ें न्याय संगत नहीं प्रतीत होती हैं। मैं समझता हूं कि अगर विभाग कोशिश करे तो कोई वजह नहीं कि इन कामों में जो कि ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, सरप्लस लेबर को आबज़ार्ब न किया जा सके।

साथ ही साथ मैं यह भी नहीं समझ सका कि आर्डनेंस डिपार्टमेंट में पहले एक हजार अफसर काम करते थे, उनको घटा कर ४०० कर दिया गया है, अब यह कहा जाता है कि उनमें से एक सौ दस तो परमानेंट रहेंगे और बाकी लोगों को यह भय प्रतीत होता है कि शायद वह भी अलग कर दिये जायें। मैं यह बात ज़रूर जानता हूं जैसा कि अभी माननीय मंत्री ने कहा था भी कि इस बात की कोशिश की जा रही है कि विभागों के अन्दर हम और भी ज्यादा तरक्की करें, फिर समझ में नहीं आता है और आप जरा कम से कम इतना आश्वासन भी सदन के सामने दे देते कि बाकी अब जो लोग सरप्लस हैं उनको आप रिट्रेंच नहीं करेंगे, हमारे कारखानों में और भी ज्यादा तरक्की लायेंगे, इस वक्त वहां पर कोई चार, पांच हजार आदमी सरप्लस होंगे, इस सरप्लस लेबर को बचाने की बहुत बड़ी बात सदन में आप कह सकते थे, इस तरह का कोई आश्वासन हमारे सामने आता। साथ ही साथ मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि क्या वजह है कि पे कमीशन के मुताबिक पीस वर्कर्स के एरियर्स अभी तक नहीं दिये गये हैं? ऐसे कर्मचारियों की तादाद एक दो नहीं बल्कि २५–३० हजार है। इन कर्मचारियों के पे के एरियर्स अभी तक उनको नहीं दिये गये हैं, क्या वजह है कि गवर्नमेंट इसको देने से इंकार करती है। इसके लिये कहा जाता है कि अगर पुराने हिसाब किताब उठाये जायें और उनका हिसाब लगाने की कोशिश की ज़ाये तो इसमें बहुत बड़ी परेशानी होगी। मैं समझता हूं कि उनको एरियर्स देने के लिये यह मुनासिब बात और दलील नहीं है, अगर आपको हिसाब लगाने में दिक्कत पड़े, तो आप इस काम के वास्ते थोड़े क्लर्क और रख लीजिये और उनसे हिसाब बनवा सकते हैं और कर्मचारियों के जो पे के एरियर्स हैं उनको देने की कोशिश करें। साथ ही साथ मैं इस बात की और भी मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे कानपुर नगर में हार्नेस फैक्टरी, पैराशूट फैक्टरी और कई फैक्टरियां इस प्रकार की हैं कि जहां के कर्मचारियों के लिये रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपके सामने है, मैं चाहता हूं कि इस विधेयक के अन्दर जो काम करने वाले कर्मचारी जिनके रहने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है उनके लिये भी व्यवस्था की जायेगी और उनके वास्ते मकान वगैरह आप बनाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि कानपुर के अन्दर जो एम० ई० एस० है वहां के तीन सौ कर्मचारी ऐसे हैं जिनको सन् १९४७ से लेकर अभी तक कोई भी इनक्रीमेंट आपने नहीं दिया है। मैं बहस को सुन रहा था और दिल में सोच रहा था कि जो प्रशंसा की गई है, वह बिल्कुल ठीक की गई है, लेकिन साथ ही साथ जिन कर्मचारियों की मेहनत के बल पर इस विभाग की उन्नति बहुत कुछ निर्भर करती है, अगर आप उनके रहन सहन के ऊपर ख़याल नहीं करेंगे उनके वेतन पर ख़याल नहीं करेंगे, अगर उनके सिर पर सदैव छंटनी की तलवार नाचती रही तो उनके दिल में क्या कोई उत्साह हो सकता है या उनके जीवन में यह आशा आयेगी कि वह इस विभाग की तरक्की करके अपने देश की

रक्षा करने में आगे बढ़ सकें ? मैं यह भी जानना चाहता हूं जैसा कि कहा गया कि इधर ध्यान दिया जाये और वह यह कि कोई इस तरह का प्रयत्न आप करें कि जो इस विभाग की उन्नति में व्यावसायिक कर्मचारी हैं उनके वेतन की तरफ भी आप जरा ग़ौर कीजिये। जो अनस्किल्ड कर्मचारी हैं और साल में जिसको आठ आने तरक्की मिलती है और अधिक से अधिक तनख्वाह उसकी ३० या ३५ रुपये है, उसको भी आशा हुई होगी कि देखें हमारे वास्ते क्या किया जाता है, वह अखबार में पढ़ेंगे कि दो रोज़ तक बहस हुई है और अगर उन लो पेड कर्मचारियों की तनख्वाह में थोड़ा सा इज़ाफा कर दिया होता तो उन कर्मचारियों में एक नवजीवन का संचार होता और उनको बड़ी खुशी होती। इसके अलावा मैं यह नहीं समझ सका कि जिन लोगों ने दस दस या बारह बारह साल तक काम किया और आज तक सालाना तरक्की पाते रहे, उनको अलग करते हुये आज आप कहते हैं कि वे कैजुअल हैं। जिन लोगों ने दस बारह वर्ष तक आपके विभाग मे काम किया हो और जिनको आप अभी तक सालाना इनक्रीमेंट देते रहे, और सहुलियतें देते रहे आज उनको कैजुअल कह कर नौकरी से अलग कर दिया जाय, यह मुनासिब बात नहीं है। सबसे बुरी बात तो यह लगती है कि आज गवर्नमेंट का इस बात का दावा है कि देश के अन्दर हम ट्रेड यूनियन मूवमेंट को तरक्की देना चाहते हैं, गवर्नमेंट इस बात को कहती है और दुनिया के सामने एलान करती है कि हम अपने कर्मचारियों को संगठित होने का पूरा मौका देते हैं। क्या यह सच नहीं है कि आपके विभाग में बेइंसाफी बनी हुई है और कर्मचारियों में ऐसे लोग जो आगे बढ़े हुये हैं और ऐसे कर्मचारी जो अपने जायज हकों के लिये कोई आन्दोलन करते हैं और सच्ची आवाज उठाते हैं तो और ऐसे कर्मचारियों को विक्टिमाइज़ करते हैं। विक्टिमाइज़ेशन इस तरह का नहीं कि उन्हें नौकरी से अलग कर दें, बल्कि उनको यहा कह कर कि तुमने ट्रेड यूनियन में काम किया है, दूर फेंक दिया जाता है। इसके हमारे सामने दो उदाहरण हैं। मान लीजिये कि कोई कर्मचारी लेबर फेडरेशन के अन्दर काम करता है, उसको आपने उठा करके पूना ट्रान्सफर कर दिया, तो वह तो सरकारी नौकर है, उसको वहां पर जाना चाहिये और वह चला भी जायेगा लेकिन इस तरह-की कार्यवाही करके जो आगे बढ़े हुये कम-चारी हैं उनके दिल में यह भावना पैदा करने की कोशिश की कि अगर तुम लोग ट्रेड यूनि-यन में हिस्सा लेते हो तो तुम्हें भी सज़ा होगी और दंड का रूप यह होगा। दिल्ली में फेडरेशन का ज्वाइन्ट सेक्रेटरी था उसको यहां से ट्रान्सफर करके मद्रास भेज दिया कि जाओ वहां पर सोशलिस्टक पैट्रन ऑफ सोसाइटी की स्टडी करो। जो कर्मचारी आगे बढ़ कर काम करते हैं उनको इस तरीके से आप दंडित करना चाहते हैं, यह मुनासिब बात नहीं है। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं और वह यह है कि फौज कितनी ही बढ़ा लीजिये, आप नौ सेना कितनी ही बढ़ा लीजिये, हवाई सेना कितनी ही बढ़ा लीजिये और उस कार्य के लिये आप चाहे कितने ही बधाई के पात्र क्यों न हो जायें, परन्तु जब तक जो विभाग के अन्दर काम करने वाले हैं उनके जीवन में संतोष नहीं है, उनके जीवन में आनन्द नहीं है, तब तक आप उनको इसका विश्वास नहीं दिला सकते हैं कि कि जो कुछ हो रहा है वास्तव में वह उनके फायदे के लिये हो रहा है और विश्वास मानिये कि जब तक उस विभाग के काम करने वाले कर्मचारी संतुष्ट नहीं हैं तब तक कोई भी डिफेंस का काम नहीं हो सकता है। मैं एक वाक्य में कहूं कि देश के लिये सब से बड़ी खतरे की चीज़ यह है कि इस सरकार की जनता के प्रति जो जन विरोधी नीति है और अपने कर्म-

[श्री राजाराम शास्त्री]

चारियों के प्रति जो उसका सलूक है, इसे मैं देश के लिये सबसे बड़े खतरे की चीज मानता हूं। एक तो होता है सरकारी ढंग का डिफेंस और एक होता है जनता का डिफेंस। रूस की जब मैं सैर करने गया था तो स्टैलिन ग्राड के अन्दर यह देख कर मेरी आंखें खुल गयीं जब मैंने देखा कि वहां पर रूसी जनता किस तरह अपने घरों और जमीन को बचाने के लिये जान तोड़ कर लड़ी और यही रूस की जनशक्ति थी जिसके आगे हिटलर जैसे शक्तिशाली पुरुष को सिर झुकाना पड़ा। आखिर रूस का एक किसान क्यों युद्ध में जूझ पड़ा, क्योंकि वहां का किसान और मजदूर समझता था कि जमीन और फैक्टरी हमारी है, वहां की जनता समझती थी कि कारखाने और फैक्टरीज हमारी हैं किसी और की नहीं हैं और इसका नतीजा यह हुआ कि वहां की जनता पूरी शक्ति के साथ निजी शक्ति के खिलाफ लड़ी और रूसी सरकार को जनता का पूरा सहयोग प्राप्त हुआ। सबसे बड़ी चीज जो किसी भी राष्ट्र के लिये आवश्यक हो सकती है, वह जनता का मारेल हुआ करता है। अगर जनता की हमदर्दी सरकार के साथ है और सरकार जनता के हित में कायम है तो जनता उसके लिये जूझती है, लड़ती है और मरती है। लेकिन मुझे दुःख के साथ यह बात स्वीकार करनी पड़ती है कि सरकार आज जनता को अपने साथ लेने का प्रयत्न नहीं कर रही है। हम इधर के बैठने वाले जब कभी सरकार की कोई आलोचना करते हैं तो जवाब में कहा जाता है कि विरोधी पक्ष वाले तो महज़ आलोचना के लिये आलोचना करते हैं, सरकार यह तमाम चीजें करती है, लेकिन विरोधी पक्ष के भाइयों का तो सिर्फ़ काम ही आलोचना करना रह गया है। अब हम सरकारी पक्ष के लोगों को कैसे विश्वास दिलायें कि हम इस मुल्क के दुश्मन नहीं हैं, हम कोई आपके दुश्मन नहीं हैं लेकिन हम क्या करें, हमें गरीब जनता के बीच में जाना पड़ता है, छोटे छोटे कर्मचारियों बीच में जाना पड़ता है और यह देख कर बड़ा दुःख होता है कि ऊपर के बैठने वाले लोग उनकी भावना की कद्र नहीं करते।

मैं सुबह से बैठा बहस को सुन रहा था। बहस के सिलसिले में आज़ाद हिन्द फौज की बात आई, कई बार उसका ज़िक्र किया गया। उसकी परेशानी और खस्ता हालत की तरफ तवज्जह दिलाई गई और माननीय मंत्री ने जवाब दिया कि आप लिख कर शिकायत कीजिये, हम उन पर गौर करेंगे। मैं कहता हूं कि हमें आपके पास लिख कर शिकायतें क्यों भेजनी पड़ें, आप क्यों नहीं समझते कि, आज़ाद हिन्द फौज़ की कुर्बानियों की वजह से आप आज हुकूमत की कुर्सी पर बैठे हुये हैं और यह कहां तक मुनासिब है कि हम उनको भूल जायें जिनकी बदौलत हम आज देश पर हुकूमत कर रहे हैं। आज़ाद हिन्द फौज़ का नाम चुनावों के अवसर पर भी कांग्रेस वाले की ओर से लिया जाता है। मैं स्वयं अपने अनुभव के आधार पर बतलाऊं कि मैं कानपुर क्षेत्र से चुनाव लड़ कर इस संसद् में आया हूं और जिस समय कांग्रस वालों ने देखा कि चुनाव में उनका पलड़ा हलका पड़ रहा है और किसी तरह से काम चलता हुआ नज़र नहीं आया तो श्री शाहनवाज़ खां वहां पर भेजे गये और वहां पर बराबर प्रचार किया गया कि आज़ाद हिन्द फौज़ के श्री शाहनवाज़ खां आ रहे हैं और कानपुर में चुनाव की बात करने जा रहे हैं। पिछले चुनाव के मौके पर आपने आज़ाद हिन्द फौज़ की कुर्बानियों के नाम पर जनता से वोट हासिल किये और जहां कहीं भी आप हारने लगते हैं, आप आज़ाद हिन्द फौज के नाम पर जनता से वोट मांगते हैं लेकिन जब इस सदन में उन

सैनिकों के सम्बन्ध में कोई मांग आती है, तो उसमें टालमटोल करते हैं, यह नामुनासिब बात है। आज़ाद हिन्द फौज के सिपाही कोई भिखारी नहीं हैं, कोई आपसे भीख नहीं मांगते हैं। मैं तो समझता हूं कि वह आपके आदर के पात्र हैं और अगर आप उनका आदर नहीं भी करते हैं तो कोई चिन्ता की बात नहीं हैं, राष्ट्र उनके गौरव को कभी भूलेगा नहीं लेकिन इतिहास हमेशा इस बात को कहेगा कि जिन लोगों ने मुल्क के लिये इतनी कुर्बानियां कीं और जिनकी बदौलत हमारा देश आगे बढ़ा, आज हमने उनको भुला दिया है और आज जब मैंने इस तरह की बात सुनी तो मुझे दुःख हुआ और आज जो वातावरण मैं देखता हूं उसमें शहीदों के प्रति जो सम्मान होना चाहिये वह मैं नहीं देखता हूं, मुझे वह आदर का भाव नहीं दिखाई देता है। आज भी नई दिल्ली के पार्कों में उन लोगों की मूर्तियां नजर आती हैं जिन्होंने हमारे देश को गुलाम बनाया है, कहीं उन शहीदों की मूर्तियां नहीं दिखाई पड़तीं कि जिनके बल पर हम आज यहां बैठे हुयें हैं। आप उन शहीदों को चाहे जितना भुला लें, लेकिन देश उन शहीदों को नहीं भूलेगा। मगर आप इसको याद रखें कि मैं देश के फायदे की बात आपसे कह रहा हूं। अगर आप शहीदों की कद्र करेंगे तो आइन्दा लोग कोशिश करेंगे कि हम शहीद बनें। शहीदों की कद्र करने से, आज़ाद हिन्द फौज की कद्र करने से हमारे देश के सैकड़ों देशभक्त आज़ादी के दीवाने बन गये और वह सोचने लगे कि हम देश के लिये अपनी जाने कुर्बान करते हैं तो आइन्दा आने वाली संतान हमारा साथ देगी।

इसलिये ज्यादा बात न कहते हुये मैं माननीय मंत्री जी से बहुत अदब से कहता हूं कि मैं मानता हूं कि आपने देश में बहुत काम किया। है लेकिन मेरा ख्याल है कि जितना काम हुआ है उससे कहीं अधिक बधाइयां आपको मिली हैं। लेकिन जो नीचे के काम करने वाले कर्मचारी हैं आप उनकी तरफ ध्यान दीजिये। साथ ही साथ आप देश की भावना को पहचानिये। आपको ऐसे काम करने चाहियें कि नीचे दबे हुये और गरीब इन्सान भी समझने लगें कि उसको देश के लिये कुर्बानी करना है।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि मैं कानपुर के गरीबों में से आता हूं। जब मैं इस सदन में आने के लिये आ रहा था तो दिल्ली शहर से टेलीफ़ोन पर टेलीफ़ोन आ रहे थे और टेलीफ़ोन पर क्या शिकायत आ रही थी कि सदन में जाकर हमारी तरफ से शिकायत करो और हमारा मामला पेश करो। मेरा अनुरोध है कि जो कुछ मैं कह रहा हूं उसकी तरफ ध्यान दिया जाय। दूसरी तरफ के जो माननीय सदस्य इस सदन में हैं वह केवल धन्यवाद देना ही अपना सबसे बड़ा कर्त्तव्य समझते हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि देश की रक्षा की जिम्मेदारी हमारी है परन्तु यदि हमने इसकी रक्षा करने में ढील की और देश पर खतरा आया तो रक्षा आपके कर्मचारी ही करेंगे, इस देश की रक्षा करेगी आम जनता, गरीब साधारण जनता के लोग इसकी रक्षा करेंगे, इस विभाग के कर्मचारी लोग करेंगे। इसलिये उनकी देशभक्ति की भावना को जाग्रत करना है, उनको इस बात को बताना है कि देश तुम्हारा है और इसकी रक्षा तुम्हें करनी है। आप यह इरादा लेकर काम कीजिये तभी देश आगे बढ़ेगा। मैं मानता हूं कि सरकारी अफ़सर यहां के अच्छे हैं, हमारी सेना भी कमज़ोर नहीं है लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि हम देशभक्ति की भावना से प्रेरित हो कर अपने नौजवानों को आगे बढ़ायें। वास्तव में तभी देश की रक्षा की सबसे अधिक आशा हो सकेगी।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव): जनाब चेअरमैन साहब, इस आख़िरी वक्त

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

पर आपने मुझे जो मौका दिया है इसके लिये मैं आपका आभारी हूं ।

अभी जो मैंने अपने दोस्त की स्पीच सुनी उससे मेरे ऊपर बड़ा असर हुआ । लेकिन मैं बहुत अदब से उन से पूछना चाहता हूं कि जब वह कहते हैं कि जिन आदमियों ने देश के वास्ते काम किया, जिन्होंने देश के वास्ते कुर्बानियां कीं, उन की हमें कद्र करनी चाहिये, तो अगर हम उन दो चार आदमियों को जो हमारी भारत माता के पेट्रियाटिक सन्स हैं, उनके बढ़िया काम के लिये कोई मुबारक बाद दें तो आपको एतराज़ क्यों होता है ? ग़रीब-नवाज़, म ख़ुश हूं और मैं अपने दिल से कहता हूं कि जिस तरह से हमारे मिनिस्टर साहबान ने हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने, हमारे डिप्टी मिनिस्टर साहबान ने इस काम को साल भर तक चलाया है, मैं उसके लिये उनको मुबारकबाद देता हूं, तो मैं और अब मुबारकबाद देता हूं । हकीकत में किसी की ख़ुशामद नहीं करता हूं, अगर कोई मिनिस्टर ठीक काम नहीं करेगा तो मैं कहूंगा कि उस मिनिस्टर ने अच्छा काम नहीं किया है । मैं जानता हूं, आज की स्पीचेज़ सुन कर नहीं बल्कि वैसे भी कि किस जांफिशानी से हमारे दो डिप्टी मिनिस्टर साहबान ने जो यहां बैठे हैं काम किया है । मुझे इसका एहसास है कि जब कभी मैंने उनको एप्रोच किया, जब मैं उनकी नोटिस में कोई चीज़ लाया तो किस तरीके से उन्होंने उस चीज़ को देखा और उसका फ़ैसला किया और वह क़ाबिले इत्मीनान है । लेकिन यह मिनिस्टर हर्गिज़ काम नहीं कर सकते अगर जो उनके मातहत हैं वह उनके साथ पूरी तरह कोऑपरेट न करें और अच्छी तरह से काम न करें । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि जहां त्यागी जी एन्कोमियम्स मिले हैं, मैं उनमें शामिल हूं, मैं नहीं चाहता कि मैं उनको लेढ़राऊं, लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री के बहुत सारे अशखास ने उनके साथ कोआपरेट किया और एक ही मामले में एक करोड़ रुपये का फ़ायदा इस देश को पहुंचा, और अब तक पेट्रोल की एक बूंद भी कम न हुई । लेकिन उनके कंटेनर्स और रिंजर-वायर्स को तबदील करके बड़ा भारी फायदा पहुंचा । इसी तरह से मैंने एक किताब पढ़ी और चेप्टर ६ को पढ़ा तो त्यागी जी और डिफेंस मिनिस्ट्री के कर्मचारियों और दूसरे साथियों के काम को देखा । ६ करोड़ रुपया रिकरिंग का दो साल के अन्दर एक डिमांड में कमी कर देना और ४ करोड़ के नान-रिकरिंग पेमेंट को कम कर देना मामूली बात नहीं है । हम उम्मीद करते हैं कि इससे भी ज्यादा कमी हमारे मिनिस्टर साहब और मिनिस्ट्री इसी तरह से आइन्दा करेंगे ।

इसके अलावा जब हम देखते हैं कि कई एक ऐसी बातें चली आती हैं जिनके अन्दर मिनिस्टर साहबान ने या मिनिस्ट्री ने ज्यादा गौर नहीं किया है । जब फाइनेंस कमेटी होती थी तो उस वक्त मैंने कुछ झगड़ा किया था आर्डिनेंस के सिविलियन्स का । उनके साथ मिलिटरी वाले अच्छा सलूक नहीं करते थे । इसलिये कई मौकों पर इस चीज़ को उठाया गया, लेकिन मैं सुनता हूं कि आज तक १०-११ बरस की उनकी नौकरी हो चुकी फिर भी वह सब के सब टेम्परेरी हैं, उनको केटेगरी 'डी' में डाला है, लेकिन ताहम उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है । जहां तक मुझे मालूम है, उन्होंने देश के बाहर जाकर भी काम करने का वायदा दिया हुआ है, लेकिन यह कोशिश की जा रही है कि उनमें से कुछ आदमियों को निकाल दिया जाय । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि जिन्होंने इतनी मेहनत से और इतनी मुद्दत से सर्विस की है उनके साथ बेजा सलूक किया जाय, यह ठीक नहीं है । अगर एक क्लास के साथ अच्छा

सलूक होता है तो दूसरे क्लास के साथ भी आपको पूरा इन्साफ करना चाहिये । हर एक इन्सान के साथ इन्साफ होना चाहिये । मैं कोई वजह नहीं देखता कि सिविलियन्स के बारे में इतनी सस्ती का सलूक किया जाय । कई बरस से उनका मामला मिनिस्ट्री के सामने रखा जाता रहा है लेकिन कुछ नहीं किया गया है । मैं समझता हूं कि मिनिस्ट्री वाले उनके साथ पूरी हमदर्दी के साथ पेश आयेंगे । हर साल उनका मामला आपके सामने पेश होता है मैं चाहता हूं कि आपको जल्दी से जल्दी उनके साथ इन्साफ करना चाहिये ।

इसके अलावा मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं । मुझे उन लोगों से मिलने का बहुत मौका मिलता है जो कि रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन हैं । मेरे ज़िले में बहुत से ऐसे आदमी हैं जिन को आम तौर से यह शिकायत है कि अंग्रेज़ों के ज़माने में जिस तरह से सिविलियन्स उनकी इज्जत करते थे, उनको अपने पास बिठाते थे, जब अफ़सर लोग उन के गांव में जाते थे तो उनको बुला कर एक तरह से उनको मान देते थे, वह हक उनका जाता रहा है । मुझे पता नहीं कि यह बात कहां तक दुरुस्त है, लेकिन चन्द साहबान ने यह शिकायत की है । इसके अलावा वह सर्विसमैन शिकायत करते हैं कि पहले जो सहूलियतें उनको मुक़द्दमात में मिला करती थीं, वह अब उनको नहीं मिलती हैं । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मैं इसको अपना पहला फ़र्ज समझता हूं, और मैं समझता हूं कि मैं इस मामले में यहां के मेम्बरान के सेन्टिमेन्ट्स की तर्जुमानी करता हूं कि जिन लोगों ने देश के वास्ते कुर्बानियां की हैं उनको मान देना, उनकी इज्जत करना, उनके साथ अच्छा सलूक करना हमारा पहला फ़र्ज है । कुजा यह कि अंग्रेज़ों के ज़माने में वह उनके गुलाम की तरह पर थे, लेकिन आज वह डिफेंस मिनिस्ट्री के पुराने नौकर पेट्रियाटिक सन्स ऑफ इंडिया हैं, उनकी जितनी इज्जत की जाय वह थोड़ी है । जहां तक इस सदन का सवाल है, हमेशा मैं यह कहता रहा हूं कि उनकी एमेनेटीज को और सहूलियतों को कम करने के लिये मैं तैयार नहीं हूं । इसलिये इसकी तरफ हुकूमत को खास तवज्जह देनी चाहिये ।

जिस ग़रज़ के वास्ते मैंने आखिर में डिवेट में हिस्सा लिया, वह दरअसल यह मामला है जिसका मैं अब ज़िक्र करने लगा हूं । मुझे याद है कि जब बड़ी लड़ाई योरुप के अन्दर चल रही थी तो महात्मा गांधी ने एक मजमून अंग्रेज़ों की खिदमत में लिखा था । उन्होंने लिखा था कि आप क्यों लड़ाई करते हैं ? मैं लड़ाई के हक़ में नहीं हूं, और मैं महात्मा जी की कद्र करता हूं, लेकिन जब महात्मा जी के वसूलों पर चलने का सवाल आता है तो न कोई गवर्नमेंट उन पर चलती है और न कोई दूसरे लोग चलते हैं । और बहुत सी बातें भी वह ऐसी कह गये कि जिनको मैं मानता हूं कि मैं इस क़ाबिल नहीं हूं कि अपनी राय दे सकूं । उन्होंने अंग्रेज़ों को लिखा कि आप लड़ाई लड़ना छोड़ दें । आप अपने देश के अन्दर हमला करने वालों से नान-कोऑपरेट करें आप अपने अन्दर ऐसी स्प्रिट पैदा करें कि जब कोई आप पर हमला करे तो आप उससे नान-कोऑपरेट करें । अगर आज मैं यह बात सदन में कहूं, या देश में कहूं या किसी शख्स से कहूं तो यह बात मानी नहीं जायेगी । यह हर्गिज़ कोई नहीं मानेगा कि सारा डिपार्टमेंट खत्म कर दिया जाय और यहां पर नान-कोऑपरेशन की स्पिरिट पैदा करके काम चलाया जाय । लेकिन जो कुछ महात्मा गांधी ने कहा उसके अन्दर बड़ी भारी सच्चाई थी, उसके अन्दर इतना तत्व था कि अगर कोई उसको माने, अगर कोई गवर्नमेंट उसको मान कर उस पर काम करना शुरू कर दे, तो बड़ी तरक्की होगी । आज ही मैं ने श्री मोरे साहब की तक़रीर सुनी

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

उनकी तक़रीर का सारा माहसिल उस बेसिस पर था जिस पर महात्मा जी ने फरमाया था कि आज़ाद हिन्दुस्तान के अन्दर इतने बहादुर लोग हो सकते हैं कि वह अपनी हिफ़ाजत बिना किसी फौज़ के कर सकें, मैं इस हद्द तक तो नहीं जाता हूं, क्योंकि में नहीं कह सकता कि महात्मा जी के उसूलों के मातहत सेना को खत्म कर दिया जाय । मैं चाहता हूं कि हम अपनी फौज़ को चलायें, मैं जानता हूं कि आज हमें बड़े बड़े कामों के लिये पैसा खर्च करना पड़ रहा है, लेकिन फौज़ के खर्च की रक़म को देख कर मुझे शर्म आती है । मुझे इस बात का एहसास है कि हमारा मुल्क ग़रीब है और आप इससे ज्यादा नहीं कर सकते थे, लेकिन मुझे शर्म आती है जब में मुकाबला करता हूं अपने बजट का अपनी मैटीरियल वैल्थ का दूसरे मुल्कों से, कि हमारे मुल्क की फौज़ ताक़त और मैटीरियल ड्राप इन दि ओशन में भी नहीं है ।

आपने नेशनल वालंटियर कोर और टैरीटोरियल आर्मी सब को एक करोड़ रुपये में खत्म कर दिया है : मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि आपकी फौज़ों से अंग्रेज़ लड़ें, या रूस लड़े, या चीन लड़े या अमरीका वाले लड़ें, तो उनके मुक़ाबिले मुझे कोई भी शक नहीं है कि हमारी फौज़ और हमारा मसाला कहीं भी नहीं है । हमारे पास जो मसाला है वह क्या चीज़ है । अगर आप असली चीज़ देखें तो हमारे पास वह चीज़ है जिसकी वज़ह से आज पंडित नेहरू ने हमारे देश का नाम ऊंचा कर रखा है । दुनिया में जो चीज़ दरअसल लड़ाई में काम आती है वह इन्सान का और मुल्क का कैरेक्टर है । अगर आप अल्टीमेट डिसीसन पर पहुंचें तो आप देखेंगे कि आज लड़ाई दो राज्यों में नहीं होती है । आज लड़ाई मुल्कों में होती है । एक मुल्क की सारी ताक़त, इकानमिक, कल्चरल, पोलिटिकल और स्प्रिचुअल दूसरे मुल्क की ताक़त से लड़ती है । लड़ाई के दिनों में जो आदमी अपनी दुकान पर काम करता है या जो क्लर्क दफ्तर में काम करता है, तो उन सब की मजमूई ताक़त से लड़ाई लड़ी जाती है । इसलिये अगर आप चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में ताक़त हो और हिन्दुस्तान किसी मुल्क के कब्ज़े में न आये तो आपको एक काम करना होगा, और वह यह कि हिन्दुस्तान के अन्दर नेशनल डिसिप्लिन और नेशनल कैरेक्टर को क़ायम किया जाय । जब तक यह चीज़ कायम नहीं होती उस वक्त तक, चाहे आप चन्द हवाई जहाज़ बढ़ा लें, जैसा कि आल्वा साहब ने कहा ५,००० तो आप हमारी जिन्दगी में नहीं बढ़ा सकते, या चाहे आप कुछ फ्रिगेट या क्रूजर्स बना लें, हालांकि हमें उम्मीद नहीं कि हम किसी बड़े मुल्क के बराबर आ सकें, तब तक हम ताक़तवर नहीं हो सकते हैं ।

जिस वक्त हमने सन् ४८ में ऐक्ट पास किया और यह नेशनल केडेट कोर और टेरीटोरियल आर्मी बनाई उस वक्त हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे । लेकिन आज अगर आप सही रास्ते पर चलना चाहते हैं तो सिर्फ कालिजों की ही तरफ तवज्जह न दें । ऐसा आर्गेनाइजेशन अमल में लायें कि जिस तरह से नर्सरीज में तरवियत होती है, फिर स्कूल में होती है, और फिर कालेज में होती है वैसी ही इस मामले में भी हो । आप जो कर रहे हैं उससे संतुष्ट न हों । आपको सारे देश में नेशनल डिसिप्लिन क़ायम करना पड़ेगा । अगर आप सही मानों में हिन्दुस्तान का बचाव करना चाहते हैं तो उसकी एक ही तरकीब है । मैं ने भोंसले साहब के शान्ति निकेतन में देखा कि एक ही महीने के बाद लड़के और लड़कियां ऐसी परेड करती थीं कि मालूम होता था कि उनमें डिसिप्लिन है । अगर आज हम इस तरह से

नेशनल डिसिप्लिन क़ायम करना चाह तो कोई वजह नहीं है कि हम ऐसा न कर सकें। हमारे देश के अन्दर अच्छी से अच्छी मैटीरियल मौजूद है। अभी तक हमारे देश वासियों ने फ्लेंडर्स में और टर्की में जो कारनामे किये उनको यूरोप वाले मानते हैं। हमारे यहां फाइनेस्ट मैटीरियल इन दी वर्ल्ड मौजूद है। अगर आप महात्मा गांधी के रास्ते पर चलें, जिस पर कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी चलते हैं, तो हम इस मैटीरियल को बहुत अच्छा बना सकते हैं। अब वक्त आ गया है कि आप इस नेशनल मिलीशिया को नये सिरे से आर्गेनाइज करें। मैं नहीं चाहता कि मैं यहां इस काम के लिये एक करोड़ की रक़म देखूं। मैं चाहता हूं कि अगले बजट में आप इसके लिये कम से कम दस करोड़ रुपया ले और काम शुरू करें।

पाकिस्तान के झगड़े के दिनों में मुझे पंजाब में जाने का मौका हुआ था। उस वक्त एक एक शहर में एक एक हज़ार आदमी बन्दूक चलाना सीखते थे। मैं समझता हूं कि इस देश का असली बचाव हमारे नेशनल कैरेक्टर का इलाज करने में है। हम चाहते हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे नेशनल डिसिप्लिन में हों। कहा जाता है कि पुरानी राजपूत मातायें अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देती थीं कि वे कभी रण में पीठ नहीं दिखलाते थे। वे पीठ में घाव नहीं खाते थे। वह हमेशा छाती पर चोट खाते थे। उसका क्या कारण था कारण यह था कि जब बच्चा सोता था तो भी मां उसकी तरफ पीठ करके नहीं सोती थी। यह प्रथा आज भी चल रही है। अगर आप चाहते हैं कि हिन्दुस्तान के राष्ट्र को नये सिरे से राऊज करें तो आपको महात्मा गांधी के रास्ते पर चलना होगा और आपको लोगों को सिखाना होगा कि अगर कोई तुमको मारे तो तुम खुद मर जाओ उसको मत मारो। मैं यह नहीं कह सकता कि ऐसा करना सही होगा या गलत, लेकिन यह मैं मानता हूं कि हम एक एक देशवासी के अन्दर एक नई स्पिरिट दाखिल करें। उस हालत में दुनिया की कोई हुकूमत, कोई ताकत हिन्दुस्तान की तरफ आंख उठा कर नहीं देख सकेगी। इसके यह मानी नहीं हैं कि जो कुछ आपने किया है उसको आप भूल जायं। मैं तो चाहता हूं कि जितनी तरक्की आप कर सकते हैं आप करें। अगर आप किसी इंटरनेशनल गैदरिंग में जायं तो दूसरे लोग समझें कि आपकी भी कोई ताकत है आपके पास भी कुछ मसाला है। लेकिन साथ ही मैं कहूंगा कि स्पिरिट में जो ताकत मौजूद है उसका कोई अन्दाजा नहीं लगा सकता है। वह ताकत एटम बम से बड़ी है और वही आखिरी फैसला करने वाली है। आप महज़ फ़िज़ीकल ताक़त को देखें इसका यह मतलब नहीं कि मैं फ़िज़ीकल ताकत की तरफ ज़ोर नहीं देना चाहता हूं।

थोड़े दिन हुए मैं बम्बई में एक जहाज़ को देखने गया था। उस वक्त मैं फाइनेन्स कमेटी का मेम्बर था और उसी हैसियत से उसे देखने गया था। उसी वक्त हमने वह जहाज़ खरीदा था। उसका नाम ग़ालिबन "दिल्ली" था। तो मैं उसे देखने गया। देखने के बाद मैं ने उसके अफसर से पूछा कि आप यह बतलाइये कि हमारे पास कितने टारपीडो हैं, तो उसने कहा कि हमारे पास दो हैं। मैं ने कहा कि अगर यह दो टारपीडो खत्म हो जायं तो यह जहाज़ क्या रहेगा।

हमने पंडित जी की राय सुनी, और वह राय दुरुस्त है कि हम अपने सामान के लिये किसी दूसरे मुल्क पर रिलाई नहीं कर सकते हैं। हमने देखा कि जब हमको जीपों की ज़रूरत थी तो उसका कितना स्कैंडल हुआ और वह हमको नहीं मिल सकीं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा सामान देश के अन्दर ही बने चाहे वह सैकिंड रेट ही बने।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

कुछ दिन हुए मैं ने अखबारों में पढ़ा था कि हिन्दुस्तान की गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर कोई हम से एम्यूनीशन चाहे तो हम बेच सकते हैं। यहां तक तो ठीक है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप के पास दूसरे मुल्कों जैसे फर्स्ट क्लास वेपन्स मौजूद हैं। अगर आप कहें कि हम तो महज़ डिफेंस करना चाहते हैं, उसके लिये हमारे पास काफ़ी सामान है, तो मैं समझता हूं कि डिफ़ेंस वही अच्छा होता है जिसमें थोड़ी सी आफ़ेंस की ताकत हो। कुश्ती में भी यही होता है कि जिसकी आफ़ेंस की ताकत होती है वही जीतता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको फ़िज़ीकल चीज़ों पर ज्यादा से ज्यादा रक़म खर्च करनी चाहिऐ।

जहां तक नेवी और एअर फोर्स का सवाल है मैं चाहता हूं कि यह दुगनी और चौगुनी ही नहीं बल्कि इससे बहुत ज्यादा बढ़ें ताकि लोग दुनिया की ताकतों में हमारा भी नाम शुमार करने लगें। हमने क़सम नहीं खायी है कि हम इन चीज़ों को देश में आने नहीं देंगे। गो मैं समझता हूं कि हमको दूसरी ताकत की ज्यादा जरूरत है और वह फ़िजिकल ताक़त से ज्यादा बड़ी है, और हिन्दुस्तान का असली परपज़ उसी को डेवेलप करना है, लेकिन ताहम हम फ़िज़ीकल ताक़त को नज़रन्दाज़ नहीं कर सकते हैं। मैं अदब से अर्ज़ करूंगा कि इस नुक्ते निगाह से आपकी सारी पालिसी एक दम तबदील होनी चाहिये। आप हर स्कूल में और स्कूल के अलावा भी लोगों में यह स्पिरिट पैदा कर दें कि यह देश हमारा है और इस देश के वास्ते मरना हर एक आदमी का फ़र्ज़ है। इस तरह का हमारे अन्दर डिसिप्लिन हो। एक साहब ने जापान का जिक्र किया कि वहां पर बच्चे रोते नहीं हैं। और जो हिन्दुस्तानी बच्चे वहां जाते हैं वह भी नहीं रोते हैं। मैं यह सुन कर हैरान रह गया। उन्होंने बतलाया कि यह वहां का नेशनल कैरेक्टर है। मैं चाहता हूं कि आप हिन्दुस्तान में नेशनल कैरेक्टर पर जितना ज़ोर दे सकें दे। आपका डिफ़ेंस उस वक्त तक पूरा नहीं होगा जब तक कि आप जो नेशन का असली प्लाज्मा है, जो नेशन की असली ताक़त है, जो नेशन की असली स्पिरिट है, उसको नहीं बढ़ायेंगे। जब तक आप यह नहीं करते हैं तब तक चाहे आप कुछ थोड़ा सा सामान बढ़ा भी लें, आप सही मानों में मुल्क को ताक़तवर नहीं बना सकेंगे।

इतना कह कर मैं आपका शुक्रिया करता हूं कि आपने मुझे वक्त दिया।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय कल प्रातः अपना उत्तर देंगे। अब सभा कल ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित होती है।

इस के पश्चात् सभा मंगलवार, २९ मार्च, १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

©IPND—HS—20 LSD—7-10-55—240